राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 5531/2015

इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ इन एडुकेशन (आई. ए. एस. ई.)

----याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य

----प्रतिवादीगण

संबंधित मामलों के साथ-साथ

एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7267/2005, 5372/2008, 9695/2008, 4761/2009, 6155/2009, 9754/2012, 13900/2013, 5194/2014, 7419/2015, 8832/2015, 10310/2016, 13467/2018, 3051/2019, 5896/2019, 5899/2019, 5905/2019, 6111/2019, 6352/2019, 6455/2019, 6596/2019, 4086/2020 और 13575/2021

याचिकाकर्ता (गण) के लिएः श्री मनोज भंडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री तरुण जोशी, श्री गोविंद सुथार,
श्री सुशील बिश्नोई, श्री चमन खन्ना,
श्री ए. आर. गोदारा, श्री हिमांशु बम्प,
श्री दीपक कंवर।

प्रतिवादी (गण) के लिए:	वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. एन. माथुर के साथ श्री ऋषभ हांडा, श्री गिरीश जोशी श्री मुकेश राजपुरोहित, एएसजी, श्री अखिलेश राजपुरोहित, पीटीईटी के लिए श्री राजीव पुरोहित श्री सुभाष चौधरी यूओआई के लिए श्री डी. एस. ढाका प्रतिवादी नंबर 7 के लिए वीसी के माध्यम से श्री शशांक जोशी, श्री रवि मालू, श्री बी. पी. बोहरा, श्री डी. डी. चितलंगी, श्री गौरी गोबर्धन, वीसी के माध्यम से श्री अपूर्व कुरुप।

माननीय श्री न्यायाधीश अरुण मोंगा

निर्णय

आदेश की तारीखः **08/01/2024**

1. याचिकाओं के इस समूह में, दो निजी शैक्षणिक संस्थान अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन (आई. ए. एस. ई.-संक्षेप में) और जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ (जे. आर. एन.-संक्षेप में) और

उनके कुछ छात्र विभिन्न धाराओं/पाठ्यक्रमों में दूरस्थ शिक्षा द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्री/डिप्लोमा को मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओ. एल. सी. एल.-संक्षेप में) के एक कर्मचारी द्वारा दायर एक विचाराधीन याचिका 1 को अनुमति दी, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सरकारी सेवा में रहते हुए जे. आर. एन. से दूरस्थ मोड के माध्यम से प्राप्त इंजीनियरिंग में उनकी डिग्री वैध थी। उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने उक्त फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। लगभग उसी समय, अन्य बातों के साथ साथ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका भी दायर की गई थी, जिसमें आई. ए. एस. ई. एवं जे. आर. एन. द्वारा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दी जाने वाली इंजीनियरिंग डिग्री को चुनौती दी गई थी। डी. बी. के एक फैसले के अनुसार इन दोनों संस्थानों द्वारा दूरस्थ मोड द्वारा से तकनीकी शिक्षा/इंजीनियरिंग में दी गई 3 डिग्री को अमान्य माना गया।

1.1 जेआरएन ने डिग्रियों की अमान्यता पर हमला नहीं किया, लेकिन कुछ छात्रों और आईएएसई ने शीर्ष अदालत के समक्ष करतार सिंह मामले में फैसले को असफल रूप से चुनौती दी। वास्तव में, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपीलें प्रतिकूल साबित हुईं। सुप्रीम कोर्ट ने कर्तार सिंह के फैसले को बरकरार रखते हुए दोनों निजी संस्थानों आई. ए. एस. ई. और जे. आर. एन. को कड़ी फटकार लगाई। इसने न केवल यू. जी. सी. द्वारा जांच का आदेश दिया ताकि निर्णय लिया जाये की भविष्य में उन्हें विश्वविद्यालयों के रूप में जारी रखा जा सके, बल्कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से इंजीनियरिंग की डिग्री प्रदान करने में घोर उल्लंघन के लिए सी. बी. आई. जांच का भी निर्देश दिया। इस प्रकार दूरस्थ मोड द्वारा तकनीकी शिक्षा की डिग्री के बारे में विवाद न्याय-विरोधी है। यहाँ हम दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से सामान्य शिक्षा (तकनीकी शिक्षा के अलावा) में डिग्री/डिप्लोमा की वैधता के साथ-

साथ कुछ नए पाठ्यक्रमों में दी जाने वाली डिग्री के बारे में चिंतित हैं। दूरस्थ मोड द्वारा तकनीकी शिक्षा में डिप्लोमा भी जांच के दायरे में हैं। इसके बारे में अधिक, बेहतर विवरण में, बाद में।

2. दूरस्थ शिक्षा के आगमन के साथ भारत में शिक्षा के परिदृश्य में बदलाव आया है, जिससे छात्रों को पारंपरिक कक्षा व्यवस्था से परे अपने विद्या सम्बन्धी प्रयासों को आगे बढ़ाने के अवसर मिले हैं। हालाँकि, दूरस्थ शिक्षा के विकास ने व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रणाली का शोषण करने वाले बेईमान संस्थानों का भी उदय किया है। आवश्यक बुनियादी ढांचे और संसाधनों की कमी के बावजूद, ये संस्थान विभिन्न विषयों में छात्रों को धोखा देते हुए प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के साथ जुड़ाव का झूठा दावा करते हैं। इन संदिग्ध संस्थानों का प्रसार न केवल शिक्षा क्षेत्र की प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक है, बल्कि उन अनगिनत छात्रों की आकांक्षाओं और भविष्य को भी खतरे में डालता है जो अनजाने में उनके कार्यक्रमों में दाखिला लेते हैं। नियमों को लागू करने के लिए निरीक्षण की कमी और अभावपूर्ण दृष्टिकोण ने बहुत इच्छा छोड़ दी है, जिससे ऐसे प्रतिष्ठानों को पनपने दिया है, जो अपरंपरागत साधनों द्वारा से शिक्षा की तलाश करने वालों की आकांक्षाओं का शिकार कर रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम. एच. आर. डी.)/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू. जी. सी.) की भूमिका इस बढ़ते खतरे के जवाब में कार्य करना है। उन्हें देश में दूरस्थ शिक्षा की अखंडता की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है।

3. इस न्यायालय के समक्ष न्यायिक समीक्षा के तहत पूर्ववर्ती दूरस्थ शिक्षा परिषद-डी. ई. सी. (अब दूरस्थ शिक्षा बोर्ड-डी. ई. बी.), यू. जी. सी. और एम. एच. आर. डी. के कार्यों और निर्देशों की वैधता है। याचिकाओं के समूह का निपटारा इस सामान्य आदेश और निर्णय के माध्यम से किया जा रहा है, क्योंकि इसमें शामिल मुद्दे समान हैं। सुविधा के लिए, उदाहरणात्मक तथ्यात्मक विवरण और पठन सामूहिक रूप से 2005 की सिविल रिट

याचिका संख्या 7267 (आई. ए. एस. ई. द्वारा दायर), यूजीसी के 21.05.2008 के जवाबी हलफनामे, एमएचआरडी के 22.06.2006 के जवाबी हलफनामे और उक्त याचिका में दायर आईएएसई के 22.01.2022 के एक अतिरिक्त हलफनामे से लिए गए हैं।

4. उपरोक्त रिट याचिका में, आईएएसई ने अन्य बातों के साथ-साथ, डीईसी और यूजीसी द्वारा क्रमशः दिनांक 27.06.2005 और दिनांक 17.11.2005 को जारी किए गए संचार/आदेशों पर हमला किया है, जिसके तहत संस्थान के दूरस्थ शिक्षा शैक्षणिक कार्यक्रमों को मंजूरी नहीं देने का निर्णय लिया गया था। यह विवाद अन्य बातों के साथ-साथ एमएचआरडी द्वारा दिनांक 19.02.2008 को लिए गए निर्णय (सीडब्ल्यूपी संख्या 5372/2008 में स्वीकृत) के आसपास भी घूमता है, जिसके तहत यह निर्णय लिया गया था कि डीईसी द्वारा दूरस्थ शिक्षा के लिए कोई भी मंजूरी दी जाएगी (पूर्व कार्योत्तर सहित) तो यह अंतिम नहीं है और इसकी आवश्यक रूप से समीक्षा की जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, निर्णयों की समीक्षा के लिए यू. जी. सी., ए. आई. टी. सी. ई. और डी. ई. सी. की एक संयुक्त समिति का गठन किया गया था। इस प्रकार आई. ए. एस. ई. को उक्त संयुक्त समिति से संपर्क करने की सलाह दी गई।

5. मामले के तथ्यः-

सुविधा के लिए, प्रासंगिक तथ्यात्मक कथा, अनावश्यक विवरणों को काटकर, कालानुक्रमिक रूप से निकाला गया है और इसे नीचे सारणीबद्ध किया गया हैः-

सी डब्ल्यू पी सं. 7267/2005 में तिथि और पी डी एफ पृष्ठ	घटनाएँ
25.06.2002 अनुलग्नक-1 पी. 231	एम. एच. आर. डी. ने आई. ए. एस. ई. (गांधी विद्या मंदिर, सरदारशहर, जिला चुरू, राजस्थान नाम की एक संस्था द्वारा स्थापित) को केवल शिक्षा के विषय में परिसर में पढ़ाने के लिए डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए एक अधिसूचना जारी की।
17.07.2002 अनुलग्नक-2 पी 232	यू जी सी ने यू जी सी अधिनियम की खंड 3 के तहत एक अधिसूचना भी जारी की। जिसके तहत आई. ए. एस. ई. को मानद विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित किया गया था।
18.10.2002	आई. ए. एस. ई. के बोर्ड/प्रबंधन द्वारा अपने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम को शैक्षणिक सत्र 2002-03 से शुरू करने का संकल्प लेते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया।
26.10.2002 अनुलग्नक-3 पी 235	तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार ने आईएएसई को एक पत्र भेजा कि, एक डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में, उसे शैक्षणिक सत्र 2003-04 के लिए एमबीए, एमसीए, फार्मास्यूटिकल्स, होटल मैनेजमेंट आदि के नए संकाय शुरू करने के लिए राज्य सरकार से एनओसी की आवश्यकता नहीं है।
29.01.2003 अनुलग्नक-6	आई. ए. एस. ई. ने सचिव, यू. जी. सी. को शैक्षणिक सत्र 2003-04 के लिए अपने मानद विश्वविद्यालय में

पी 240	कुछ नए संकायों एमबीए, एमसीए, फार्मास्यूटिकल्स, होटल मैनेजमेंट आदि को जोड़ने के संबंध में लिखा। ।
04.04.2003 अनुलग्नक-9 पी. 247	निदेशक, डी. ई. सी. ने आई. ए. एस. ई. को पत्र लिखा और आगाह किया कि डी. ई. सी. की पूर्व मंजूरी के बिना कोई भी दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शुरू नहीं किया जाना चाहिए।
15.04.2003 अनुलग्नक-10 पी. 250	बिना किसी हिचकिचाहट के, स्व-निर्धारित प्राधिकरण के आधार पर, आई. ए. एस. ई. ने डी. ई. सी. या यू. जी. सी. से किसी भी पूर्व अनुमति के बिना, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कई विद्या सम्बन्धी कार्यक्रम शुरू किए।
28.07.2003 अनुलग्नक-12 पी. 256	यू. जी. सी. ने आई. ए. एस. ई. से प्रदान किए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों और नियमित और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से इन पाठ्यक्रमों के लिए नामांकित छात्रों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी।
19.08.2003 अनुलग्नक-14 पी. 260	आई. ए. एस. ई. ने जवाब दिया और बताया कि बी. एड और एम. एड पाठ्यक्रमों में नियमित मोड में 467 छात्रों के अलावा आईटी और प्रबंधन में दूरस्थ शिक्षा मोड द्वारा से कुल 293 छात्रों को प्रवेश दिया गया था।
16.03.2004 अनुलग्नक-23 पी. 281	यू. जी. सी. ने निर्देश दिया कि मानित विश्वविद्यालय, जिन्होंने यू. जी. सी. और डी. ई. सी. से पूर्व अनुमोदन के बिना दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए थे, उन्हें कार्योत्तर अनुमोदन के लिए आवेदन करना था। सभी मानित विश्वविद्यालयों को परिसर के भीतर नए विभाग स्थापित करने या परिसर के बाहर केंद्र/संस्थान/अपतटीय परिसर की स्थापना और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने के लिए यू. जी. सी. दिशानिर्देश-2000 में निहित प्रावधानों का पालन करने

	का निर्देश दिया गया था।
11.06.2004 अनुलग्नक-आर/4 (यू जी सी उत्तर) पी. 759	यू. जी. सी. ने आई. ए. एस. ई. से कहा कि पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना उसके द्वारा न तो नए पाठ्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं और न ही विद्या सम्बन्धी केंद्र/अध्ययन केंद्र या परिसर के बाहर केंद्र खोले जा सकते हैं। आई. ए. एस. ई. को परिसर में नए विभाग स्थापित करने या ऑफ-कैंपस केंद्र/संस्थान/अपतटीय परिसर स्थापित करने और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने के लिए यू. जी. सी. के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए भी कहा गया था।
	यू जी सी ने आई ए एस ई को संकाय, भवनों, पाठ्यक्रमों/बुनियादी ढांचे, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि की एक व्यापक सूची प्रस्तुत करने और 21 दिनों के भीतर अपने परिसर से बाहर के केंद्रों/अध्ययन केंद्रों/विस्तार केंद्रों की पूरी सूची भी भेजने का निर्देश दिया, जिसमें विफल रहने पर, एक सार्वजनिक सूचना जारी की जानी थी कि आई ए एस ई द्वारा संचालित पूरे देश में दूरस्थ मोड में विस्तार केंद्र/अध्ययन केंद्र यू जी सी द्वारा अनुमोदित नहीं थे/हैं।
19.04.2005 अनुलग्नक-33 पी. 392	यू जी सी ने आई ए एस ई को फिर से आगाह किया कि यदि लागू यू जी सी दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो मानित विश्वविद्यालय का दर्जा वापस ले लिया जाएगा।
27.06.2005 अनुलग्नक-आर/5 (यू जी सी उत्तर) पी. 760	डी ई सी ने आई ए एस ई को एक पत्र लिखा जिसमें उससे मांगे गए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की मंजूरी को अस्वीकार कर दिया गया।

09.08.2005 अनुलग्नक-49 पी. 481	यू. जी. सी. द्वारा एक सार्वजनिक सूचना/परिपत्र जारी किया गया था जिसमें घोषणा की गई थी कि आई. ए. एस. ई. और जे. आर. एन. को किसी भी कॉलेज/संस्थान से संबद्ध करने की अनुमति नहीं दी गई है और डी. ई. सी. या यू. जी. सी. द्वारा दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केंद्र के माध्यम से किसी भी पाठ्यक्रम का संचालन करने की अनुमति नहीं है।
23.08.2005 अनुलग्नक-50 पी. 482	यू. जी. सी. ने इसी तरह का एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर आगाह किया कि मानित विश्वविद्यालय केवल अपने अध्ययन केंद्रों के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम की पेशकश कर सकते हैं जो परिसर में हैं और वह भी यू. जी. सी. और दूरस्थ शिक्षा परिषद दोनों की विशिष्ट मंजूरी के साथ।
26.10.2005 अनुलग्नक-47 पी.433	यू. जी. सी. ने आई. ए. एस. ई. को दूरस्थ शिक्षा पद्धति के तहत प्रवेश लेने वाले कुल छात्रों (पाठ्यक्रम-वार और वर्ष-वार) की संख्या और नियमित पद्धति के बारे में जानकारी देने के लिए कहा, जो देश के प्रत्येक राज्य में प्रत्येक केंद्र के स्थान का नाम दर्शाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आई. ए. एस. ई. ने बिना मंजूरी के दूरस्थ मोड के माध्यम से विभिन्न एकेडमिक कार्यक्रमों की पेशकश जारी रखी।
15.11.2005 अनुलग्नक-48 पी.434	आई ए एस ई द्वारा तब खुलासा किया कि उसके पास पूरे भारत में, लगभग सभी राज्यों में फैले 216 अध्ययन केंद्र हैं, जिनमें 28,377 छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया गया है, जिसमें अकैडमिक इयर 2004-05 के लिए बी टेक, एम टेक, एम एस सी, एम बी ए, एम सी ए, फार्मेसी, बी ए, एम ए, बी कॉम, बी एस सी, बी बी ए शामिल हैं।

17.11.2005 अनुलग्नक-52 पी.484	यू. जी. सी. ने आई. ए. एस. ई. को ऐसे सभी परिसर से बाहर के केंद्रों को तुरंत बंद करने और एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। यू. जी. सी. ने यह भी सूचित किया कि दूरस्थ शिक्षा मोड के तहत आई. ए. एस. ई. द्वारा संचालित अध्ययन केंद्रों/विस्तार केंद्रों/शैक्षणिक केंद्रों के लिए पूर्वव्यापी मंजूरी नहीं दी जा सकती है।
	आई. ए. एस. ई. ने राजस्थान उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और 2005 के सी. डब्ल्यू. पी.संख्या 7267 में पारित एक अंतरिम अदालत के आदेश के माध्यम से, यू. जी. सी. द्वारा पारित 17.11.2005 के आदेश/पत्र के संचालन पर रोक लगा दी गई।
	ए आई सी टी ई, यू जी सी और डी ई सी द्वारा संयुक्त रूप से एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी जिसमें आगाह किया गया था कि गैर-अनुमोदित दूरस्थ पाठ्यक्रमों और अध्ययन के कार्यक्रमों के बारे में कार्यक्रमों को चलाने और भ्रामक विज्ञापन देने पर लागू कानूनों के प्रावधानों के तहत गंभीर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मान्यता रद्द करना और संस्थागत अनुमोदन को वापस लेना शामिल है। यह भी दोहराया गया कि "दूरस्थ मोड" में अध्ययन के सभी पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों के लिए डी ई सी की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है।
10.05.2007 अनुलग्नक-आर/9 (यू. जी. सी. उत्तर) पी.766	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और प्रयासों के दोहराव से बचने के लिए तीन नियामक निकायों यानी यू. जी. सी., अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए. आई. सी. टी. ई.) और दूरस्थ शिक्षा परिषद (डी. ई. सी.) के बीच समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया

	और उसके अनुसार तीनों की संयुक्त समिति का गठन किया गया।
29.08.2007 अनुलग्नक-आर/8 (कोली) पी.765	डी. ई. सी. ने केवल वर्ष 2005 तक आई. ए. एस. ई. अनुमोदन को कार्योत्तर मंजूरी दी।
03.09.2007 अनुलग्नक-आर/8 (कोली)	डी. ई. सी. ने शैक्षणिक वर्ष 2007-08 के लिए आई. ए. एस. ई. को अस्थायी मंजूरी दी।
19.02.2008	सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (दूरस्थ शिक्षा प्रभाग), एम एच आर डी, यू जी सी के अध्यक्ष, ए आई सी टी ई के अध्यक्ष और इग्नू के वी सी और संयुक्त सचिव (दूरस्थ शिक्षा) की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कार्योत्तर अनुमोदन सहित अनुमोदन पाठ्यक्रमों को दिए जाने चाहिए न कि संस्थान को और डी ई सी अनुमोदनों की अनिवार्य रूप से समझौता ज्ञापन के अनुसार गठित संयुक्त समिति द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए।
12.05.2008 संलग्नक आर/10 पी.782	डी. ई. सी. ने एम. एच. आर. डी. द्वारा लिए गए दिनांक 19.02.2008 के निर्णय से अवगत कराया, जिसके तहत यह निर्णय लिया गया कि डी. ई. सी. द्वारा दूरस्थ शिक्षा के लिए दी गई कोई भी मंजूरी (पूर्व कार्योत्तर सहित) अंतिम नहीं है और इसकी संयुक्त समिति द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए।
15.09.2008	आईएएसई ने उपरोक्त निर्णय दिनांक 12.05.2008 को चुनौती देते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय में सीडब्ल्यूपी संख्या 5372/2008 दायर की, जिसमें अदालत द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश के तहत आक्षेपित निर्णय के

	संचालन पर रोक लगा दी गई थी।
17.04.2009	एमएचआरडी ने आईएएसई को दिनांक 17.04.2009 को कारण बताओ नोटिस जारी किया और तथ्यान्वेषी टीम के निष्कर्षों/टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने और कारण बताने के लिए कहा कि क्यों ना विभिन्न शर्तों का उल्लंघन करने पर दिनांक 25.06.2002 की अधिसूचना को वापस ले लिया जाये जिसमें आईएएसई को "मानित यूनिवर्सिटी" घोषित किया गया?
03.06.2009	आई. ए. एस. ई. द्वारा दायर 2009 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 4761 में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिनांक 17.04.2009 के उपरोक्त कारण दर्शाओ नोटिस के संचालन पर रोक लगा दी।
06.11.2012	जनहित याचिका में पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय ने दूरस्थ शिक्षा द्वारा से (आई. ए. एस. ई. और जे. आर. एन. से) प्राप्त इंजीनियरिंग की डिग्री को अमान्य घोषित कर दिया।
14.05.2009	यू. जी. सी. ने एक आदेश पारित कर आई. ए. एस. ई. को 2009-10 के बाद से दूरस्थ मोड द्वारा से कोई भी पाठ्यक्रम आयोजित नहीं करने के लिए कहा और केवल तीन पाठ्यक्रम अर्थात नियमित मोड द्वारा से शिक्षा में बी. एड., एम. एड. और पी. एच. डी.।
29.07.2009	आई. ए. एस. ई. द्वारा दायर 2009 के सी. डब्ल्यू. पी. No.6155 में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने यू. जी. सी. के उपरोक्त आदेश के प्रभाव पर रोक लगा दी।
11.03.2015	डी. ई. बी. द्वारा एक सार्वजनिक सूचना/आदेश जारी

	किया गया था जिसके तहत आई. ए. एस. ई. को दूरस्थ शिक्षा मोड द्वारा इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, स्नातक या मास्टर स्तर की डिग्री प्रदान करने से रोक दिया गया था।
26.05.2015	आई. ए. एस. ई. द्वारा दायर सी. डब्ल्यू. पी. No.5531-2015 में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने डी. ई. बी. के उपरोक्त सार्वजनिक नोटिस के संचालन पर रोक लगा दी।
03.11.2017	सुप्रीम कोर्ट ने ओ. एल. सी. एल. में दिए गए अपने फैसले में पी. एच. एच. सी. के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें तकनीकी शिक्षा (इंजीनियरिंग) में आई. ए. एस. ई. और जे. आर. एन. द्वारा दी गई डिग्री को अमान्य माना गया था।

5.1. दोनों संस्थानों के मुद्दे हालांकि समान और अतिव्यापी हैं, लेकिन जे आर एन के कुछ तथ्यात्मक विराम चिह्नों को आई ए एस ई के उपरोक्त कालक्रम के साथ जोड़ा जा सकता है। इन्हें नीचे सारणीबद्ध किया गया हैः-

19.08.2003	जेआरएन को केवल सामाजिक कार्य, शिक्षा, कला और वाणिज्य के विषयों में परिसर में शिक्षण के लिए आईएएसई के समान शर्तों पर 'मानित विश्वविद्यालय' का दर्जा दिया गया था।
10.05.2004	जेआरएन ने दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए डीईसी की मंजूरी मांगी।
30.08.2005	यू. जी. सी. ने जे. आर. एन. को यह कहते हुए भी लिखा

	कि डी. ई. सी./इग्नू ने इसे देश में कहीं भी किसी भी दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए मान्यता नहीं दी है, क्योंकि इसकी वितरण प्रणाली और स्व-निर्देशात्मक सामग्री में बड़ी कमियां पाई गई थीं।
27.10.2005	अध्ययन केंद्रों के संबंध में यू. जी. सी. के मानदंडों का पालन न करने के लिए यू. जी. सी. द्वारा जे. आर. एन. को कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया था और 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसमें विफल रहने पर यू. जी. सी. द्वारा उचित कार्रवाई की जानी थी।
05.01.2006	डी. ई. सी. द्वारा एक अन्य परिपत्र जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि दूरस्थ मोड के माध्यम से जे. आर. एन. के कार्यक्रमों को डी. ई. सी. द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था।
01.02.2006	जेआरएन ने अपने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम को बंद करने के लिए यूजीसी को पत्र लिखा, लेकिन यूजीसी से उस समय चल रहे कार्यक्रमों में मौजूदा छात्रों के लिए एकमुश्त विशिष्ट अनुमोदन देने का अनुरोध किया।
11.06.2006	यू. जी. सी. द्वारा अपनी बैठक में कार्योत्तर अनुमोदन के लिए जे. आर. एन. के आवेदन पर विचार किया गया और समिति ने अनुमोदन पत्र में बताई गई शर्तों के सख्त अनुपालन और पूर्ति के अधीन डिग्री पाठ्यक्रमों में 01.06.2001 से 31.08.2005 तक दूरस्थ शिक्षा मोड के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए एक बार कार्योत्तर अनुमोदन की सिफारिश की।
03.07.2006	यू. जी. सी. ने जे. आर. एन. द्वारा दूरस्थ शिक्षा मोड द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के संबंध में 01.06.2001 से 31.08.2005 तक एक बार की पूर्व-कार्योत्तर मंजूरी प्रदान की।

03.11.2006	यूजीसी ने जेआरएन को फिर से लिखा कि दिनांक 03.07.2006 के संचार में शामिल अनुमोदन की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है।
15.06.2007	जेआरएन ने सत्र 2007-2008 से दूरस्थ शिक्षा में 69 कार्यक्रम शुरू करने की मंजूरी के लिए डीईसी के साथ एक आवेदन दायर किया।
03.09.2007	डी. ई. सी. ने शैक्षणिक वर्ष 2007-2008 के लिए जे. आर. एन. को दूरस्थ शिक्षा के लिए अनंतिम मंजूरी दी।
08.05.2008	जे. आर. एन. ने दूरस्थ शिक्षा मोड में अपने पाठ्यक्रमों के लिए डी. ई. सी. से वर्ष 2008-2009 के लिए मंजूरी मांगी।
16.12.2008	जे. आर. एन. ने राजस्थान उच्च न्यायालय में 2008 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 9695 दायर किया, जिसमें एम. एच. आर. डी. के निर्णय को सूचित करने वाले डी. ई. सी. के दिनांकित 12.05.2008 पत्र पर आरोप लगाया गया, जिसके तहत यह निर्णय लिया गया कि डी. ई. सी. द्वारा दी गई दूरस्थ शिक्षा के लिए अनुमोदन की समीक्षा संयुक्त समिति द्वारा की जानी है। अदालत द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश के तहत आक्षेपित निर्णय के संचालन पर रोक लगा दी गई।
08.10.2008	डी. ई. सी. ने शैक्षणिक वर्ष 2008-2009 के लिए जे. आर. एन. को दूरस्थ शिक्षा के लिए अनंतिम मंजूरी दी।
19.08.2013	डी. ई. बी. ने जे. आर. एन. को अपने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए नया प्रस्ताव जारी करने के लिए कहा।
26.11.2013	जे. आर. एन. द्वारा दायर सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 13900/2013 में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने डी. ई. बी. के उपरोक्त पत्र/निर्देश के संचालन पर रोक लगा दी।
30.04.2014	यू. जी. सी. ने एक पत्र/आदेश जारी किया जिसके तहत,

	शैक्षणिक सत्र 2013-14 के लिए दूरस्थ शिक्षा मोड में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जे. आर. एन. की मान्यता को बंद कर दिया गया था।
17.07.2014	जेआरएन द्वारा दायर 2014 के सीडब्ल्यूपी नंबर 5194 में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने यूजीसी द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 30.04.2014 के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी।
11.03.2015	डी. ई. बी. द्वारा एक आदेश पारित किया गया था जिसके तहत यह निर्णय लिया गया थाः - 1). यू. जी. सी. विनियम, 2014 को अंतिम रूप दिए जाने तक किसी भी विश्वविद्यालय को एम. बी. ए. और एम. सी. ए. के अलावा इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रम की पेशकश नहीं करनी चाहिए। 2). उन विश्वविद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई करें जो ओडीएल मोड में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में पेशेवर पाठ्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। 3). विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित ओ. डी. एल. कार्यक्रमों के लिए पूर्व-कार्योत्तर अनुमोदन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करना।
04.06.2015	डी. ई. बी. द्वारा एक अन्य आदेश पारित किया गया था जिसके तहत यह निर्णय लिया गया था कि उच्च शिक्षा के गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान से ओ. डी. एल. मोड द्वारा से प्राप्त योग्यता को न तो सरकारी सेवा में रोजगार के उद्देश्य से मान्यता दी जाएगी और न ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए।
16.07.2015	जे. आर. एन. द्वारा दायर सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 7419-2015 में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने जे. आर. एन. के

	खिलाफ उपरोक्त दो आदेशों के संचालन पर रोक लगा दी।
2016-17	यूजीसी ने शैक्षणिक सत्र 2016-17 के लिए जेआरएन को मान्यता देने के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया
15.09.2016	राजस्थान उच्च न्यायालय में जे. आर. एन. द्वारा दायर सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 10310/2016 में जे. आर. एन. को मान्यता देने के लिए यू. जी. सी. को अंतरिम निर्देश जारी किए गए थे।

6. उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, मैंने संबंधित विद्वान वरिष्ठ वकीलों और अन्य विद्वान वकीलों को संबंधित पक्षों के लिए विभिन्न याचिकाओं में उपस्थित होते हुए सुना है और रिकॉर्ड का भी अध्ययन किया है।

याचिकाकर्ताओं की तरफ से प्रस्तुतियाँ/तर्कः-

7. याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने विद्वान अधिवक्ता का तर्क होगा कि उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अनुपात के अनुसार, विश्वविद्यालयों या मानित विश्वविद्यालयों को केवल ए. आई. सी. टी. ई. और एन. सी. टी. ई. जैसे निकायों से तकनीकी शिक्षा के लिए उचित अनुमोदन लेना होगा। शेष सामान्य शिक्षा के लिए नियमित कक्षा शिक्षण या दूरस्थ शिक्षा द्वारा से मानित विश्वविद्यालयों द्वारा किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं थी।

7.1 आगे जोर देते हुए, वकील प्रस्तुत करेगा कि कानून द्वारा निर्धारित सभी वैधानिक विनियमों का पूर्ण अनुपालन है। आई. ए. एस. ई./जे. आर. एन. को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत स्थापित राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एन. ए. ए. सी.) से ग्रेड-बी संस्थान मान्यता प्रमाण पत्र भी दिया गया है।

7.2 तर्क यह भी है कि उड़ीसा लिफ्ट (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय केवल दूरस्थ शिक्षा द्वारा से दी जाने वाली इंजीनियरिंग डिग्री (स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों) से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, प्राथमिक मुद्दे के निर्धारण के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ को मामले की व्यापक जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया। इस निर्देश के अनुरूप, यू. जी. सी. ने मानित विश्वविद्यालय के कामकाज का मूल्यांकन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। विशेषज्ञ समिति ने संस्थानों का दौरा किया और अनुकूल सिफारिशें दीं जिसमें कहा गया कि वे

"मानद विश्वविद्यालयों के रूप में जारी रखा जा सकता है।"

7.3 विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि समिति की अनुकूल सिफारिश से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि संस्थान संबंधित वैधानिक निकायों के वैधानिक मानदंडों के प्रावधानों के अनुसार सभी पाठ्यक्रमों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं और उनका संचालन कर रहे हैं।

7.4 विद्वान अधिवक्ता का तर्क होगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संस्थानों की फिर से जांच कराई और विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की कि मानद विश्वविद्यालय ने नवंबर 2017 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पालन किया था।

7.5 कि मानित विश्वविद्यालयों ने कानून के अनुसार और इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम निर्देशों के तहत सभी पाठ्यक्रमों का संचालन किया है। प्रतिवादी ने ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं दिखाया है जहां संस्थानों ने इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों की अवहेलना करते हुए कोई पाठ्यक्रम संचालित किया हो। संस्थानों ने यू. जी. सी. या उस मामले के लिए डी. ई. सी. द्वारा जारी विभिन्न आदेशों/संचारों को विभिन्न रिट याचिकाएं दायर करके चुनौती दी है।

7.6 यू. जी. सी., ए. आई. सी. टी. ई. और डी. ई. सी. की संयुक्त समिति द्वारा लिए गए दिनांक 07.08.2007 के निर्णय पर भरोसा रखा गया है जो आई. ए. एस. ई. को शैक्षणिक सत्र 2007-08 तक पूर्व-कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करता है। न्यायालय से इस बात की पुष्टि करने और यह घोषित करने का अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त संयुक्त समिति का निर्णय दिनांक 07.08.2007 शैक्षणिक सत्र 2007-08 के बाद भी प्रभावी है।

7.7 यह दोहराते हुए कि इस न्यायालय ने आई. ए. एस. ई./जे. आर. एन. के पक्ष में अंतरिम आदेश दिए जो अभी भी मौजूद हैं और इस बीच, जिन छात्रों को प्रवेश दिया गया था, उन्होंने अपने पाठ्यक्रम पूरे कर लिए हैं और अपने डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के बल पर सैटल हो गए हैं। यू. जी. सी. ने उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के तहत बाद में निरीक्षण और पुनः निरीक्षण भी किया है और पाया है कि संस्थान सभी वैधानिक मानदंडों को पूरा करता है। इसलिए, वे तर्क देंगे कि इस अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेशों को आत्यन्तिक बनाया जाए और सभी रिट याचिकाओं को प्रार्थना के अनुसार अनुमति दी जानी चाहिए।

8. प्रतिवादियों की ओर से प्रस्तुतियाँ/तर्क:-

8.1 ओएलसीएल में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित अनुपात प्रतिवादियों की ओर से तर्कों का मैग्ना कार्टा है। विद्वान अधिवक्ता तर्क देंगे कि यह उक्त उक्ति के आलोक में एक ओपन एंड शट केस है। वे आग्रह करेंगे कि जिस तरह तकनीकी शिक्षा में ए. आई. टी. सी. ई. की पूर्व मंजूरी अनिवार्य है, उसी तरह नए पाठ्यक्रम और नए अध्ययन केंद्र शुरू करने से पहले यू. जी. सी. की भी मंजूरी अनिवार्य है, चाहे वह परिसर में हो या बाहर। इसी तरह, किसी भी प्रकार की दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने के लिए डी. ई. सी./डी. ई. बी. की पूर्व मंजूरी अनिवार्य है, चाहे वह डिग्री हो या डिप्लोमा।

8.2 यह भी माना जाता है कि डीम्ड विश्वविद्यालय यू. जी. सी. अधिनियम की खंड 3 के तहत एक शिक्षा संस्थान को दिया गया एक विशेष दर्जा है। इस प्रकार वे विधायिका द्वारा पारित एक अधिनियम द्वारा स्थापित नहीं किए जाते हैं जैसा कि पूर्ण विश्वविद्यालयों के मामले में होता है, जिन्हें वैधानिक रूप से बनाया जाता है। मानित विश्वविद्यालय आमतौर पर या तो एक पंजीकृत सोसायटी या एक पंजीकृत न्यास होते हैं। चूंकि डीम्ड विश्वविद्यालय का विशेष दर्जा उन्हें यू. जी. सी. अधिनियम के तहत एक घोषणा के माध्यम से दिया जाता है, इसलिए ऐसे संस्थानों को अनिवार्य रूप से यू. जी. सी. के नियमों का पालन करना आवश्यक है। यह इस संदर्भ में है कि जब ऐसी घोषणा/अधिसूचना जारी की जाती है, तो विशिष्ट शर्त होती है कि वह यू. जी. सी. द्वारा जारी किए गए सभी दिशानिर्देशों/निर्देशों का पालन करेगी।

8.3 इसके अलावा, नियामक निकायों की मंजूरी के बिना दूरस्थ मोड द्वारा से प्रदान की जाने वाली डिग्री एक विसंगत स्थिति की ओर ले जाती है क्योंकि डिग्री को राजपत्र अधिसूचना दिनांक 01.03.1995 के अनुसार केंद्र सरकार के तहत रोजगार के उद्देश्य के लिए मान्यता नहीं दी जाती है। इसलिए केंद्र सरकार ऐसी डिग्रियों को गैर-मान्यता प्राप्त मानती है जो बिना उचित अनुमोदन के मानित विश्वविद्यालयों द्वारा शुरू किए गए निम्न-मानक पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों पर आधारित हैं।

8.4 यह भी तर्क है कि प्रासंगिक विशेषज्ञ नियामक निकायों जैसे आयुर्वेद परिषद / होम्योपैथी परिषद / पार्मेसी काउंसिल / बार काउंसिल / डेंटल काउंसिल और की मंजूरी के बिना दूरस्थ माध्यम से व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे फार्मेसी, कानून (एलएलएम), प्रबंधन, आयुर्वेद, होम्योपैथी शुरू करना और वह भी मुख्य परिसर में दूरस्थ अध्ययन केंद्र स्थापित किए बिना, आवश्यक मानक बनाए रखने पर एक गंभीर संदेह पैदा करता है।

8.5 प्रस्तुतिकरण यह है कि तथाकथित अध्ययन केंद्र के बुनियादी ढांचे में आवश्यक गुणवत्ता का अभाव है जैसा कि आई. ए. एस. ई. (इस याचिका में आधारों का उप-आधार (बी)) द्वारा किए गए स्पष्ट प्रवेश से स्वयं स्पष्ट है कि 114 केंद्रों को बंद/रद्द करना पड़ा, जिनमें बुनियादी ढांचे की कमी पाई गई थी, इसी तरह यह स्थापित होता है कि आई. ए. एस. ई. ने नए पाठ्यक्रम शुरू करते समय या परिसर अध्ययन केंद्र स्थापित करते समय या दूरस्थ शिक्षा शुरू करते समय छात्रों के भविष्य के बारे मे बिलकुल नहीं सोचा, यह सब बिना मंजूरी के किया।

8.6 यह जोरदार तर्क दिया गया कि दोनों संस्थानों को प्रासंगिक समय पर बिना किसी परिसर अध्ययन केंद्र के डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था।इस तरह का दर्जा देते समय इसे परिसर अध्ययन केंद्र स्थापित करने की अनुमति देने के लिए तब या बाद में कोई अनुमति नहीं दी गई थी।

8.7 इस संबंध में दिशानिर्देशों और निर्देशों और दोनों संस्थानों द्वारा किए गए उल्लंघनों का संदर्भ दिया गया था और इसलिए, कानून के चार कोनों के भीतर पूरी तरह से लागू किए गए आदेशों का बचाव करते हुए असाधारण रिट क्षेत्राधिकार के तहत इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8.8 यू. जी. सी. की ओर से यह आग्रह किया गया कि दोनों संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय के दर्जे का पूरी तरह से दुरुपयोग किया गया है, क्योंकि उक्त दर्जा हमेशा विशिष्ट शैक्षणिक कार्यक्रम के संस्थानों को प्रदान किया जाता है, और दोनों संस्थानों को प्रदान किया गया था, स्थापना के समय उनके द्वारा एक प्रतिनिधित्व पर और इस आधार पर आयात किए जा रहे थे कि उनके पास ज्ञान के उक्त विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता है। उदाहरण के तौर पर, आईएएसई ने दावा किया था कि शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ संस्थान होने के नाते यह बी.एड., एम.एड. एवं शिक्षा में एम.फिल. के शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान करने के लिए पूरी तरह योग्य है। इसके बाद, उन्होंने यू. जी. सी. अधिनियम की खंड 2 के तहत विश्वविद्यालय की परिभाषा की

गलत व्याख्या करके और यह दावा करके कि उन्हें यू. जी. सी. या किसी अन्य नियामक निकाय से किसी पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, उन्हें दिए गए मानित विश्वविद्यालय के दर्जे का पूरी तरह से दुरुपयोग करके नए शैक्षणिक पाठ्यक्रम शुरू किए।

8.9 दूरस्थ शिक्षा परिषद का रुख यह है कि उसने देखा कि 23 अध्ययन केंद्र, जैसा कि आई. ए. एस. ई.-संस्थानों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में दावा किया गया है, मौजूद नहीं हैं, जैसा कि आने वाले विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा बताया गया है। इसके अलावा, 20 अध्ययन केंद्रों में बहुत खराब बुनियादी ढांचा पाया गया जो शिक्षा प्रदान करने के लिए शायद ही उपयुक्त हो। नतीजतन, डी. ई. सी. ने 27.06.2005 दिनांकित एक पत्र द्वारा से आई. ए. एस. ई.-मानद विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की अपनी गैर-मंजूरी के बारे में सूचित किया।

8.10 डी. ई. सी. ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि निजी फ्रेंचाइजीकरण सख्ती से प्रतिबंधित है, और दूरस्थ शिक्षा मोड द्वारा से किसी भी यू. जी. सी.-अनुमोदित डिग्री पाठ्यक्रम को शुरू करने के लिए, डी. ई. सी. की पूर्व मंजूरी अनिवार्य है। डी. ई. सी. ने 29.08.2007 दिनांकित एक पत्र द्वारा से केवल वर्ष 2005 तक पूर्व कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।इसके बाद, दिनांक 03.09.2007 के एक पत्र द्वारा से,शैक्षणिक वर्ष 2007-08 के लिए आई. ए. एस. ई. को मंजूरी दी गई। इसके बाद, 06.09.2007 दिनांकित एक पत्र द्वारा, आई. ए. एस. ई. ने दूरस्थ शिक्षा मोड के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रमों के लिए पूर्व कार्योत्तर अनुमोदन के अनुदान के लिए यू. जी. सी. को आवेदन किया।

8.11 दिनांक 10.05.2007 के एमओयू के अनुसार, यूजीसी, एआईसीटीई और डीईसी की संयुक्त समिति के गठन पर, यूजीसी ने दिनांक 12.05.2008 को एक पत्र के माध्यम से आईएएसई/जेआरएन के साथ सभी डीम्ड विश्वविद्यालयों को अपने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अनुमोदन/पूर्वव्यापी

अनुमोदन प्रदान करने के लिए संयुक्त समिति से संपर्क करने हेतु सूचित किया।

8.12 प्रत्यर्थी-भारत संघ का बचाव यह है कि एक मानद विश्वविद्यालय के रूप में, आई. ए. एस. ई. को अपने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों और नियमित मोड में किसी भी नए पाठ्यक्रम में छात्रों का नामांकन करने से पहले यू. जी. सी./डी. ई. सी./डी. ई. बी. से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी चाहिए थी।

चर्चा और परिणाम

9. अब मैं बाद के भाग में चर्चा के साथ उपरोक्त तर्कों का मूल्यांकन करने के लिए आगे बढ़ूंगा और कारणों को दर्ज करके अपनी राय दूंगा।

10. आई. ए. एस. ई. और जे. आर. एन. दोनों ने 3 चीजों को पेश करने की मांग की।(i) नए पाठ्यक्रम (ii) परिसर के बाहर अध्ययन केंद्र और iii) क्रमशः वर्ष 2002-3 और 2004-05 में दूरस्थ शिक्षा। इसकी वैधता का निर्णय हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर की ओर ले जाता हैः-

11. विचारणीय प्रश्नः-

(i) क्या मानित विश्वविद्यालय यू. जी. सी. अधिनियम के प्रावधानों और सामान्य शिक्षा प्रदान करने के लिए इसके दिशानिर्देशों द्वारा शासित होते हैं?

(ii) क्या डीम्ड विश्वविद्यालय यूजीसी की पूर्व मंजूरी के बिना, शुरुआत में पेश किए गए पाठ्यक्रमों के अलावा, नए शैक्षणिक पाठ्यक्रम शुरू कर सकते हैं, चाहे वह पारंपरिक कक्षा शिक्षा या दूरस्थ मोड शिक्षा के लिए हो?

(iii) क्या यहां के शैक्षणिक संस्थान बिना पूर्व अनुमोदन के दूरस्थ शिक्षा शुरू कर सकते हैं और डिग्री प्रदान कर सकते हैं?

(iv) क्या डीम्ड विश्वविद्यालय बिना अनुमोदन के फ्रैंचाइजी समझौतों के माध्यम से ऑफ-कैंपस संस्थान/शिक्षा केंद्र/अध्ययन केंद्र स्थापित कर सकते हैं?

(v) क्या नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत के लिए या दूरस्थ शिक्षा शुरू करने के लिए कार्योत्तर मंजूरी दी जा सकती है?

12. उत्तर खोजने के लिए, आइए पहले देखें कि शिक्षा प्रदान करने के लिए मानद विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने में कानून की स्थिति क्या थी और समय के साथ यह कैसे विकसित हुई। एमएचआरडी, यूजीसी और डीईसी द्वारा जारी किए गए अधिनियमों, नियमों, अधिसूचनाओं/परिपत्रों और दिशानिर्देशों के विभिन्न वैधानिक रूप से लागू प्रावधानों को आगे बढ़ने से पहले, उचित होने पर, पहले विज्ञापित किया जा सकता है।

13. शिक्षा भारत के संविधान की प्रविष्टि 66, सूची-1, अनुसूची-7 के अनुसार संघ सूची में आती है।प्रविष्टि में परिकल्पना की गई है कि केंद्र सरकार उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

13.1 संसद ने देश के सभी राज्यों में उच्च शिक्षा के समन्वय के लिए 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (इसके बाद 'यू. जी. सी.' के रूप में संदर्भित) को अधिनियमित किया। 7. यूजीसी द्वारा यूजीसी अधिनियम की प्रस्तावना पर भी भरोसा किया गया था, जो इस प्रकार है:-

> "विश्वविद्यालयों में मानकों के समन्वय और निर्धारण के लिए प्रावधान करने और उस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना करने के लिए एक अधिनियम।"

13.2 यूजीसी इस प्रकार भारत में उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एक नियामक निकाय है और विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय के सुधार के लिए आवश्यक कोई भी उपाय निर्धारित करने और लेने की शक्ति निहित है।

यूजीसी की सलाह पर सांविधिक विश्वविद्यालय के अलावा अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों को केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना के माध्यम से यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत 'मानित विश्वविद्यालय' घोषित किया जा सकता है।इस संदर्भ में, तैयार संदर्भ के लिए यू. जी. सी. अधिनियम, 1956 की खंड 3 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"3. विश्वविद्यालयों के अलावा उच्च अध्ययन के लिए संस्थानों में अधिनियम का अनुप्रयोगः-

केंद्र सरकार, आयोग की सलाह पर, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि विश्वविद्यालय के अलावा उच्च शिक्षा के लिए कोई भी संस्थान, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक विश्वविद्यालय माना जाएगा, और इस तरह घोषणा की जा रही है, इस अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे संस्थान पर लागू होंगे जैसे कि यह धारा 2 के खंड (एफ) के अर्थ में एक विश्वविद्यालय था।"

13.3 शिक्षण और अनुसंधान आदि सहित विभिन्न साधनों द्वारा से सभी क्षेत्रों में ज्ञान के विकास के लिए ऐसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, लगभग वैधानिक विश्वविद्यालय के बराबर शैक्षणिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता प्रदान करने के लिए उपरोक्त प्रावधान खंड 3 के तहत केवल योग्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए किया गया है।

13.4 उल्लेखनीय है कि खंड 3 (उपर्युक्त) के तहत आने वाले ऐसे संस्थान भले ही वैधानिक विश्वविद्यालयों के समान शैक्षणिक स्वतंत्रता का आनंद लेते हों, लेकिन उन्हें 'मानद विश्वविद्यालय' कहा जाता है। इस प्रकार, ऐसा संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की खंड 2 (च) के तहत दी गई विश्वविद्यालय की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। दूसरे शब्दों में, 'मानित विश्वविद्यालय' एक वैधानिक निकाय नहीं है क्योंकि यह

विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित नहीं है। निश्चित रूप से, ऐसे संस्थान या तो पंजीकृत सोसायटी या एक पंजीकृत न्यास होते हैं।

13.5 यू. जी. सी. को यू. जी. सी. अधिनियम की धारा 23 और 24 के तहत विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय को उचित दंडात्मक जुर्माने के साथ दंडित करने/मुकदमा चलाने की शक्तियां भी निहित हैं।

13.6 25.11.1985 से, यूजीसी (कला, मानविकी, ललित कला, संगीत, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य और विज्ञान के संकायों में औपचारिक शिक्षा के माध्यम से पहली डिग्री प्रदान करने के लिए निर्देशों के न्यूनतम मानक) विनियम, 1985 लागू हुआ। ये एक मानद विश्वविद्यालय सहित प्रत्येक विश्वविद्यालय पर लागू थे। इसका प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः-

> "2(3). कोई भी छात्र पहली डिग्री के पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने तीन साल का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर लिया हो; इस डिग्री को B.A./B.SC/B.Com कहा जा सकता है (सामान्य/ऑनर्स/विशेष) डिग्री, जैसा भी मामला हो......
>
> 3(1). प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम के लिए छात्रों का नामांकन करने वाला प्रत्येक विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि एक शैक्षणिक वर्ष में वास्तविक शिक्षण दिनों की संख्या 180 से कम न हो।
>
> 3(2). समय सारिणी में दी गई कुल अवधि सप्ताह में 40 घंटे से कम नहीं होगी। कार्य दिवसों की समय-सारणी इस तरह तैयार की जाएगी कि भौतिक सुविधाओं का पर्याप्त उपयोग किया जाए और दिन में केवल कुछ घंटों के लिए उपयोग न किया जाए।"

13.7 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 ('इग्नू') संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। इग्नू अधिनियम (1985) की खंड 5 (2) में कहा गया है किः

> "उस समय लागू किसी भी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, लेकिन उप-धारा (1) के प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह विश्वविद्यालय का कर्तव्य होगा कि वह ऐसे सभी कदम उठाए जो वह मुक्त विश्वविद्यालयों और दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों के पदोन्नति के लिए उचित समझे और ऐसी प्रणालियों में शिक्षण, मूल्यांकन और अनुसंधान के मानकों के निर्धारण के लिए, और इन कार्यों को करने के उद्देश्य से, विश्वविद्यालय के पास कॉलेजों को अनुदान आवंटित करने और वितरित करने की शक्ति सहित ऐसी शक्तियां होंगी, चाहे इसके विशेषाधिकारों में प्रवेश दिया गया हो या नहीं, या किसी अन्य विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थानों में, जैसा कि क़ानून द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

13.8 पूरे देश में अपनी दूरस्थ शिक्षा की निगरानी के लिए, इग्नू ने दिनांक 22.11.1991 की एक अधिसूचना के माध्यम से, दूरस्थ शिक्षा परिषद-डीईसी 4 की स्थापना की।

13.9 इसे भारत में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के संवर्धन, निर्धारण और मानकों के रखरखाव और समन्वय के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करने के लिए अनिवार्य किया गया था। उपरोक्त अधिसूचना 5 के अनुसार, पूर्ववर्ती डीईसी की निम्नलिखित शक्तियों और कार्यों की परिकल्पना की गई थी:-

2. दूरस्थ शिक्षा परिषद की शक्ति और कार्य।

"दूरस्थ शिक्षा परिषद का यह सामान्य कर्तव्य होगा कि वह ऐसे सभी कदम उठाए जो इस अधिनियम, क़ानूनों और अध्यादेश के प्रावधानों के

अनुरूप हों ताकि मुक्त विश्वविद्यालय/दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों को बढ़ावा दिया जा सके, इसका समन्वित विकास किया जा सके और इसके मानकों का निर्धारण किया जा सके और विशेष रूप सेः

(i) राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और अन्य संबंधित एजेंसियों के परामर्श से देश में मुक्त विश्वविद्यालयों/दूरस्थ शिक्षा संस्थानों का एक नेटवर्क विकसित करना।

x-x-x-x

(viii) देश में मुक्त विश्वविद्यालय/दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के समन्वित विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना।x-x-x-x-x

(xiii) राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और अन्य संबंधित एजेंसियों को खुले विश्वविद्यालय स्थापित करने या दूरस्थ शिक्षा के कार्यक्रम शुरू करने के उनके प्रस्तावों पर सलाह देना।

3. जिन संस्थानों को मंजूरी की आवश्यकता है

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के मौजूदा और नए संस्थानों का आकलन और मान्यता देने के लिए डीईसी के आदेश को ध्यान में रखते हुए, डीईसी उन ओडीई संस्थानों के लिए बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक कर्मचारियों के न्यूनतम स्तर को निर्धारित करने के लिए मानक निर्धारित करता है जो दूरस्थ मोड के माध्यम से शिक्षा प्रदान करते हैं या पेश करने का इरादा रखते हैं।यह इन पर लागू होगाः

(i) राज्य मुक्त विश्वविद्यालय

(ii) पारंपरिक विश्वविद्यालयों/मानद विश्वविद्यालयों आई आई टी आई आई एम में सी सी आई/डी ई आई

(iii) अन्य ओडीएल संस्थान जो समितियों/न्यासों और/या निजी रूप से प्रबंधित के रूप में पंजीकृत हैं

(iv) सभी स्तर (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री) और कार्यक्रमों के प्रकार (व्यावसायिक, व्यावसायिक/सामान्य शिक्षा/ जागरूकता)।

सभी संस्थानों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे नए कार्यक्रमों के लिए परिषद की पूर्व मंजूरी लें और कुछ दूरी पर जारी कार्यक्रमों के लिए डी. ई. सी. द्वारा मान्यता प्राप्त करें।"

(जोर दिया गया)

13.10 केंद्र सरकार (एम. एच. आर. डी.) ने एक राजपत्र अधिसूचना संख्या 44 दिनांक 01.03.1995 जारी की जिसमें कहा गया हैः-

"मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली

दिनांक 1 मार्च, 1995

अधिसूचना (44)

शैक्षिक योग्यता मूल्यांकन बोर्ड की सिफारिश पर, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि संसद या राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, यू. जी. सी. अधिनियम, 1956 की खंड 3 के तहत विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थान और संसद के एक अधिनियम के तहत घोषित राष्ट्रीय महत्व के संस्थान केंद्र द्वारा दूरस्थ शिक्षा द्वारा से प्रदान की जाने वाली सभी योग्यताएं सरकार के तहत पदों और सेवाओं के लिए रोजगार के उद्देश्य से स्वचालित रूप से मान्यता प्राप्त हैं, बशर्ते कि इसे दूरस्थ शिक्षा

परिषद, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, के 76, हौज खास, नई दिल्ली-110016 और जहां भी आवश्यक हो, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, आई. जी. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002 द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

13.11 उपरोक्त अधिसूचना में परिकल्पना की गई है कि दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के संचालन के लिए किसी संस्थान की केवल मंजूरी से मान्यता प्राप्त करने के लिए डिप्लोमा या डिग्री का उद्देश्य पूरा नहीं होता है, जब तक कि संस्थान द्वारा शुरू किए गए पाठ्यक्रम और कार्यक्रम में उक्त योग्यता को दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है।

13.12 यूजीसी ने उपरोक्त धारा 3 के तहत प्रस्तावों पर विचार करने के लिए वर्ष 2000 में दिशानिर्देश भी अधिसूचित किए हैं। उक्त दिशा-निर्देशों (दिशानिर्देश संख्या 6) के अवलोकन से पता चलता है कि विश्वविद्यालय के रूप में घोषित होने की मांग करने वाले शैक्षणिक संस्थान को या तो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम या सार्वजनिक न्यास अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना चाहिए और यू. जी. सी. द्वारा निर्धारित मॉडल प्रारूप के आधार पर संघ और नियमों का एक ज्ञापन भी तैयार करना चाहिए। मॉडल प्रारूप दिशानिर्देशों का एक परिशिष्ट है और संस्थान के नियमों/अनुच्छेदों को इसके अनुरूप बनाया जाना चाहिए। मानित विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक केंद्र खोलने के संबंध में, दिशानिर्देश 15 उसी को नियंत्रित करता है, उपयुक्त होने के कारण, इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> "15. मानित विश्वविद्यालय के लिए अपने क्षेत्र में या अपने मुख्यालय के अलावा अन्य स्थानों पर केंद्र खोलने की अनुमति होगी। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित मापदंडों का पालन किया जाएगाः

(i) केंद्र (ओं) की स्थापना यू. जी. सी. और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से की जाएगी जहां केंद्र (ओं) खोले जाने का प्रस्ताव है। (ii) विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को यू. जी. सी. की मंजूरी होनी चाहिए।

(iii) छात्रों के लिए प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क निर्धारण यू. जी. सी. द्वारा निर्धारित मानदंडों/नियमों के अनुसार होगा।

(iv) केंद्र के समग्र प्रदर्शन की निगरानी यू. जी. सी. द्वारा वार्षिक रूप से की जाएगी, जिसके प्रबंधन, शैक्षणिक विकास और सुधार के निर्देश बाध्यकारी होंगे।

(v) यदि केंद्र का कामकाज यू. जी. सी. के निर्देशों और सिफारिशों को पूरा नहीं करता है और यह तीन साल तक असंतोषजनक रहता है, जैसा कि निगरानी समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर यू. जी. सी. द्वारा तय किया गया है, तो मानित विश्वविद्यालय को यू. जी. सी. द्वारा उस केंद्र को बंद करने का निर्देश दिया जाएगा जिसमें केंद्र की अक्षमताओं को भी संबंधित मानित विश्वविद्यालय द्वारा ले लिया जाएगा।

(vi) मानद विश्वविद्यालय के लिए न केवल भारत में बल्कि किसी भी विदेशी देश में भी शैक्षणिक केंद्र खोलने की अनुमति होगी। विदेशों में शैक्षणिक केंद्र भारत सरकार/यू. जी. सी. और मेजबान देश की सरकार से उचित अनुमति के बाद ही खोले जाएंगे।

(vii) विदेशी परिसर/परिसरों के मामले में, धन का प्रेषण भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

13.13 पहले खंड I के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी यूजीसी की पूर्वानुमति के बिना अपने क्षेत्र में या अपने

मुख्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान पर केंद्र स्थापित नहीं कर सकती है। इस स्तर पर, इस अंतर पर ध्यान देना उचित है कि उपरोक्त दिशानिर्देश दूरस्थ शिक्षा से संबंधित नहीं हैं। यही नियमित कक्षा प्रशिक्षण प्रदान करके परिसर के बाहर पारंपरिक अध्ययन केंद्र के लिए हैं। इस प्रकार दूरस्थ शिक्षा के लिए उक्त दिशानिर्देशों को लागू करना पूरी तरह से अनुचित है।

13.14 नियमों के मॉडल प्रारूप में यह भी निर्धारित किया गया है कि शैक्षणिक संस्थान के प्रबंधन बोर्ड, जिसे डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया जाना है, में बोर्ड के अन्य घटक सदस्यों के अलावा यू. जी. सी. के अध्यक्ष का एक नामांकित व्यक्ति और भारत सरकार द्वारा एक नामित व्यक्ति होना चाहिए। मॉडल प्रारूप नियम विशेष रूप से प्रबंधन बोर्ड को सिफारिश करने के लिए एक चयन समिति का गठन करके प्रोफेसरों, पाठकों और व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए विधि और तरीका भी निर्धारित करते हैं। यहां तक कि कुलपति की नियुक्ति के लिए भी, मॉडल नियम 15 के तहत एक खोज समिति की परिकल्पना की गई है, जिसमें संस्थान के अध्यक्ष का एक नामित व्यक्ति और राज्य/केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति और यू. जी. सी. के अध्यक्ष का एक नामित व्यक्ति शामिल होगा। कुलपति की अधिकतम आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है और कुलपति की नियुक्ति का अधिकतम कार्यकाल भी 5 वर्ष निर्धारित किया गया है और उसके बाद वह पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

13.15 यह दिशानिर्देशों/प्रारूप नियमों की उपरोक्त पृष्ठभूमि में था कि आई ए एस ई को यू जी सी के साथ-साथ डी ई सी के दिशानिर्देशों के सख्त अनुपालन की उम्मीद के साथ डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। यू जी सी द्वारा आई ए एस ई को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा देते हुए जारी अधिसूचना दिनांक 17.07.2002 के माध्यम से उपरोक्त कानूनी स्थिति को और मजबूत किया गया है और स्पष्ट किया गया है। उसी को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने आयोग की सिफारिश पर गांधी विद्या मंदिर सरदारशहर, राजस्थान के विस्तार में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीस को 25 जून, 2002 से उपरोक्त अधिनियम के उद्देश्य से एक विश्वविद्यालय घोषित किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन, गांधी विद्या मंदिर, सरदारशहर, राजस्थान को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा इस शर्त के अधीन है कि यह यू. जी. सी. द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों/निर्देशों का पालन करेगा जैसा कि मानद विश्वविद्यालयों पर लागू होता है।"

13.16 उपरोक्त का अवलोकन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मानित विश्वविद्यालय के रूप में आई. ए. एस. ई. की स्थिति इस शर्त के अधीन है कि यह यू. जी. सी. द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/निर्देशों का पालन करेगा जो मानित विश्वविद्यालय पर लागू होते हैं। इसी तरह, जनार्दन राय नगर विद्यापीठ, उदयपुर ('जे. आर. एन.') को आई. ए. एस. ई. के समान शर्तों पर दिनांकित अधिसूचना 19.08.2003 के माध्यम से 'मानद विश्वविद्यालय' का दर्जा दिया गया था।

13.17 यू. जी. सी. दिशानिर्देश-2004 परिसर के भीतर नए विभागों की स्थापना या परिसर के बाहर केंद्र/संस्थान/तटवर्ती परिसर की स्थापना और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने के लिए शुरू किए गए थे। पालन की जाने वाली प्रक्रिया उसमें निम्नलिखित रूप में निर्धारित की गई थीः-

"2.1 अपने परिसर या परिसर से बाहर केंद्र/संस्थान में एक नया विभाग खोलने का इरादा रखने वाला मानित विश्वविद्यालय इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-I) पर ऐसा केंद्र

खोलने से कम से कम छह महीने पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू. जी. सी.) से संपर्क करेगा। नया परिसर केंद्र/संस्थान शुरू करने या किसी पेशेवर विषय में एक नया पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने के इच्छुक मानित विश्वविद्यालय, वैधानिक पेशेवर परिषदों द्वारा आवश्यक सभी आवश्यकताओं का पालन करेगा और यू. जी. सी. से संपर्क करने से पहले उनकी पूर्व मंजूरी प्राप्त करेगा।

2.2 नए विभाग, नए परिसर से बाहर के केंद्र/संस्थान की स्थापना यू. जी. सी. और संबंधित राज्य सरकार की मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही की जाएगी, जहां ऐसा केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। यू. जी. सी. केंद्र शुरू करने की अनुमति देने से पहले अपनी बुनियादी सुविधाओं, कार्यक्रमों, संकाय, वित्तीय व्यवहार्यता आदि को सत्यापित करने के लिए प्रस्तावित नए विभागों, नए परिसर केंद्र/संस्थानों का मौके पर दौरा/सत्यापन कराएगा। समिति की रिपोर्ट पर आयोग अपनी मंजूरी के लिए विचार करेगा।

x-x-x-x-x

पैरा 4.दूरस्थ शिक्षाः

मानित विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा परिषद (डी. ई. सी.) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू. जी. सी.) की विशिष्ट मंजूरी के साथ ही दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश कर सकता है। इस प्रकार, कोई भी अध्ययन केंद्र केवल दूरस्थ शिक्षा परिषद और यू. जी. सी. की विशिष्ट मंजूरी से ही खोला जा सकता है।

5. कार्योत्तर अनुमोदनः

मानद विश्वविद्यालय निम्नलिखित मामलों में छह महीने की अवधि के भीतर भारत सरकार/यू. जी. सी./डी. ई. सी., जो भी लागू हो, से पूर्व-कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करेंगेः

I. डीम्ड विश्वविद्यालयों और ऑफ-कैंपस अध्ययन केंद्र/संस्थाओं/ऑफशोर कैंपस के परिसर में खोले गए सभी विभागों की निरंतरता यूजीसी की पूर्व मंजूरी के बिना शुरू हुई।

II. डी. ई. सी./यू. जी. सी. की विशिष्ट मंजूरी के बिना दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम/अध्ययन केंद्र शुरू किए गए।

13.18 उपरोक्त जिम्मेदारियों को अधिक सामंजस्यपूर्ण तरीके से निर्वहन करने के लिए, दिनांक 10/05/2007 के एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) को निष्पादित करके यूजीसी, एआईसीटीई और डीईसी की एक संयुक्त समन्वय समिति ('जेसीसी') का गठन (3 साल की प्रारंभिक अवधि के लिए) किया गया था। डी ई सी के अध्यक्ष को जे सी सी का पदेन अध्यक्ष भी बनाया गया था।

13.19 2010 में, यू जी सी ने यू जी सी (विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थान) विनियम (2010 मानद विश्वविद्यालय विनियम) बनाए। विनियम 18.0 ने मानित विश्वविद्यालयों द्वारा दूरस्थ शिक्षा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वही नीचे दिया गया हैः

"18.0.दूरस्थ शिक्षा -

इन विनियमों के बाद केंद्र सरकार द्वारा घोषित विश्वविद्यालय माने जाने वाले किसी भी संस्थान को दूरस्थ मोड में पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही इन विनियमों से पहले घोषित ऐसे संस्थानों को इन विनियमों के बाद अनुमोदित इसके किसी भी ऑफ कैंपस सेंटर/ऑफ-शोर

कैंपस से दूरस्थ मोड में पाठ्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

13.20 एम एच आर डी द्वारा दिनांक 29.12.2012 का एक आदेश पारित किया गया था कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय/डी ई सी की दूरस्थ शिक्षा परिषद अन्य विश्वविद्यालयों के लिए एक नियामक के रूप में कार्य नहीं कर सकती क्योंकि यह हितों का टकराव पैदा करती है। इसका प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिया गया हैः-

"माधव मेनन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों और उस पर सरकार के फैसले के मद्देनजर, इग्नू अधिनियम के क़ानून 28 के तहत बनाई गई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) की दूरस्थ शिक्षा परिषद अन्य विश्वविद्यालयों के लिए एक नियामक के रूप में कार्य नहीं कर सकती क्योंकि यह हितों का टकराव पैदा करती है। दूरस्थ शिक्षा परिषद और इग्नू के प्रबंधन बोर्ड ने पहले ही परिनियम 28 को निरस्त करने और इग्नू के तहत डीईसी को भंग करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। इसलिए, केंद्र सरकार यूजीसी 1956 की धारा 20 की उपधारा 1 और एआईसीटीई अधिनियम, 1987 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है:-

(i) यू. जी. सी. और ए. आई. सी. टी. ई., जो पहले से ही अपने-अपने अधिनियमों के तहत सशक्त हैं, क्रमशः खुला और दूरस्थ शिक्षा (ओ. डी. एल.) मोड द्वारा से उच्च शिक्षा (तकनीकी शिक्षा को छोड़कर) और तकनीकी शिक्षा के लिए एक नियामक के रूप में भी कार्य करेंगे। विश्वविद्यालयों को अपने संबंधित अधिनियम के तहत पारंपरिक मोड में तकनीकी शिक्षा सहित किसी भी कार्यक्रम पाठ्यक्रम की पेशकश करने का अधिकार है। हालांकि यदि वे ओडीएल मोड में कोई कार्यक्रम/पाठ्यक्रम प्रदान

करते हैं तो उन्हें यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई और अध्ययन के उन क्षेत्रों में शिक्षा के पारंपरिक मोड के अन्य ऐसे नियामकों से मान्यता की आवश्यकता होगी।

13.21 परिणामस्वरूप, दिनांक 01.05.2013 की एक अधिसूचना के द्वारा, डीईसी को भंग कर दिया गया और इसके स्थान पर यूजीसी के तत्वावधान और प्रत्यक्ष नियंत्रण में दूरस्थ शिक्षा बोर्ड ('डीईबी') बनाया गया। इस प्रकार, यूजीसी के साथ-साथ डीईसी/डीईबी क़ानून की रचना होने के कारण उच्च शिक्षा के मानकों को बनाए रखने और समन्वय करने की ज़िम्मेदारी के साथ विधिवत रूप से सशक्त हैं। जहां यू. जी. सी. को सामान्य जिम्मेदारी दी गई है, वहीं डी. ई. बी. को दूरस्थ शिक्षा को विनियमित करना है।

13.22 कानून में स्थिति, जो इस प्रकार उभरती है, वह यह है कि डीम्ड विश्वविद्यालय यू. जी. सी. अधिनियम की खंड 3 के तहत एक सृजन है और इसलिए, 'डीम्ड विश्वविद्यालय' के रूप में जारी रखने के लिए यू. जी. सी. के दिशानिर्देशों/विनियमों का पालन करना आवश्यक है। शिक्षा क्षेत्र में अन्य नियामक निकायों और/या वैधानिक प्राधिकरणों जैसे डीईसी/डीईबी द्वारा बनाए गए कोई भी नियम भी अनिवार्य रूप से डीम्ड विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी हैं। वास्तव में, यह एक संस्थान की शर्तों में से एक है जिसे 'मानद विश्वविद्यालय' घोषित किया जाना है।

14. ऊपर चर्चा किए गए कानूनी प्रावधानों की पृष्ठभूमि में, आइए अब हम तत्काल आदेश के पैरा No.11 में तैयार किए गए प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए अनुसार देंः-

प्रश्न (i) का उत्तरः-

यह स्पष्ट है कि यहां संस्थानों को दी गई मानित विश्वविद्यालय की स्थिति यू. जी. सी. द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और निर्देशों के पालन पर निर्भर है। यू.

जी. सी. अधिनियम की प्रस्तावना विश्वविद्यालयों में बनाए रखे जाने वाले मानकों के समन्वय और निर्धारण के लिए यू. जी. सी. को सशक्त बनाने के लिए विधायी इरादे को स्थापित करती है, जिसमें मानित विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। इस प्रकार प्रश्न (i) का उत्तर एम. एच. आर. डी. और यू. जी. सी. दोनों द्वारा जारी अधिसूचनाओं की जांच करने पर सकारात्मक और आसानी से स्पष्ट होता है।

प्रश्न (ii) का उत्तरः-

नए शैक्षणिक पाठ्यक्रमों की शुरूआत के संबंध में, 2000 और 2004 में शुरू किए गए यूजीसी दिशानिर्देश स्पष्ट निर्देश प्रदान करते हैं। 2004 के यूजीसी दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 2.1 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पेशेवर विषयों में नए पाठ्यक्रम शुरू करने के इच्छुक डीम्ड विश्वविद्यालयों को वैधानिक पेशेवर परिषदों द्वारा अनिवार्य सभी आवश्यकताओं का पालन करना होगा और यूजीसी से संपर्क करने से पहले उनकी पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। यह ध्यान देने योग्य है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिए जाने के समय, दोनों संस्थान सीमित संख्या में पाठ्यक्रम पेश करते थे। हालाँकि, पारंपरिक कक्षा कोचिंग के माध्यम से इन पाठ्यक्रमों की पेशकश के बावजूद, किसी भी संस्थान ने पारंपरिक या नियमित तरीकों के माध्यम से नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए पूर्व सहमति के लिए यूजीसी से संपर्क नहीं किया।दूरस्थ शिक्षा द्वारा से पाठ्यक्रमों की शुरुआत के लिए, डी. ई. सी. द्वारा इग्नू अधिनियम, 1985 के तहत स्थापित प्रासंगिक नियामक निकाय ने ऐसे कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए मानित विश्वविद्यालयों के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता जताई। इस बारे में अस्पष्टता पैदा होती है कि क्या नए पाठ्यक्रमों के लिए पारंपरिक और दूरस्थ शिक्षा दोनों तरीकों के लिए यू. जी. सी. की मंजूरी की आवश्यकता है। फिर भी, यह स्पष्ट है कि पारंपरिक या नियमित शिक्षा के लिए यू. जी. सी. की मंजूरी और दूरस्थ शिक्षा के लिए डी. ई. सी. की मंजूरी अनिवार्य थी।

प्रश्न (iii) का उत्तर :-

यहां के संस्थानों द्वारा दूरस्थ शिक्षा की पेशकश की संभावना बिल्कुल सकारात्मक है। हालाँकि, इरादा यह प्रतीत होता है कि दूरस्थ शिक्षा को ऑफ-कैंपस फ्रैंचाइज़ी व्यवस्था के बजाय विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर से संचालित किया जाना चाहिए। यूजीसी (विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थान) विनियम, 2010 की शुरूआत ने डीम्ड विश्वविद्यालयों पर दूरस्थ मोड में पाठ्यक्रम संचालित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। यह विनियमन किसी भी पूर्व अनुमोदन की परवाह किए बिना, मुख्य परिसर और परिसर के बाहर दोनों केंद्रों पर समान रूप से लागू होता है।

प्रश्न (iv) का उत्तर:

परिसर से बाहर के संस्थानों/शिक्षा केंद्रों/अध्ययन केंद्रों की स्थापना के संबंध में, यू. जी. सी. से पूर्व अनुमोदन लेना अनिवार्य है, जैसा कि 2000 में शुरू किए गए दिशानिर्देश 15 में उल्लिखित है। दिशानिर्देश 15 का पहला खंड मानित विश्वविद्यालयों को यू. जी. सी. की पूर्व मंजूरी के अधीन अपने क्षेत्र के भीतर या अपने मुख्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान पर केंद्र स्थापित करने की अनुमति देता है। इसके अलावा, ऐसे केंद्रों पर शैक्षणिक पाठ्यक्रम शुरू करने के किसी भी प्रस्ताव को यू. जी. सी. से भी मंजूरी लेनी होगी। जबकि 2004 के यू. जी. सी. दिशानिर्देशों की दिशानिर्देश संख्या 5 छह महीने के भीतर पूर्व कार्योत्तर अनुमोदन की अनुमति देती है, मानक अभ्यास पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए निर्देशित करता है।

प्रश्न (v) का उत्तरः-

एक बार फिर, इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर अमूर्त है, जिसमें नए पाठ्यक्रम शुरू करने या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने के लिए पूर्वव्यापी अनुमोदन प्राप्त करने की शर्तें जुड़ी हुई हैं। जैसा कि प्रश्न संख्या (iv) के उत्तर में बताया गया है, अध्ययन केंद्र स्थापित करने या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

शुरू करने के छह महीने के भीतर ऐसी कार्योत्तर मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए।

15. अब मैं वर्तमान मामले की बारीकियों पर चर्चा करूंगा।

16. सारणीबद्ध तथ्यों जैसे कि उसमें पढ़े गए अनुलग्नकों/पत्राचार की सामग्री के कालक्रम के अवलोकन से, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो उभरता है, वह यह है कि दोनों संस्थानों ने दूरस्थ शिक्षा शुरू की और स्नातक के साथ-साथ स्नातकोत्तर में भी कई धाराओं में डिग्री वितरित करना शुरू कर दिया। वह भी, उनके प्रबंधन द्वारा पारित स्व-सेवा प्रस्ताव के आधार पर, स्वीकार करते हुए। यूजीसी, एआईटीसीई या डीईसी जैसे किसी भी नियामक निकाय से किसी भी प्रकार की कोई मंजूरी नहीं ली गई थी।

16.1 बेशक, बचाव में, जैसा कि दोनों संस्थानों द्वारा लिखे गए पत्रों से पता चलता है, उनका रुख यह है कि विश्वविद्यालय माने जाने के कारण उन्हें किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा, वे अपने रुख को मजबूत करते हैं कि, किसी भी मामले में, अनुमोदन, भले ही आवश्यक हो, उन्हें डी. ई. सी./संयुक्त समिति द्वारा पूर्व कार्योत्तर प्रदान किया गया था। इसके बाद, विभिन्न रिट याचिकाओं में दिए गए अंतरिम संरक्षण (समय-समय पर इस न्यायालय की विभिन्न समन्वय पीठों, फिर इस समूह को) के अनुसार, उन्होंने दूरस्थ शिक्षा द्वारा डिग्री प्रदान करना जारी रखा।

16.2 अब डीम्ड विश्वविद्यालयों द्वारा दूरस्थ शिक्षा की शुरुआत की ओर रुख किया जा रहा है। शुरुआत में ही, मैं यह देखने के लिए विवश हूं कि नियामक निकायों और शिक्षा संस्थानों के बीच आदान-प्रदान किए गए पत्राचार का केवल अवलोकन स्वयं व्याख्यात्मक है और बार-बार चेतावनी के बावजूद, संस्थानों द्वारा किए गए घोर उल्लंघनों की एक स्पष्ट कहानी है। आइये देखते हैं कैसे। इसके बाद की सचित्र कथा और आदान-प्रदान किए

गए पत्रों के पाठ आई. ए. एस. ई. से संबंधित हैं (जे. आर. एन. का भी यही मामला है)।

16.3 डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने के बाद, आई. ए. एस. ई. ने शैक्षणिक सत्र के लिए एम. बी. ए./एम. सी. ए./फार्मेसी/होटल प्रबंधन/कृषि व्यवसाय प्रबंधन के शैक्षणिक पाठ्यक्रम शुरू करने की मांग की और तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार से अनुमति मांगी। आई. ए. एस. ई. को दिनांक 26.10.2002 के पत्र के माध्यम से अधिसूचित किया गया था कि एक मानद विश्वविद्यालय होने के नाते, इसे राज्य सरकार से किसी भी एन. ओ. सी. की आवश्यकता नहीं है। इसका प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिया गया हैः

> "मानद विश्वविद्यालय होने के कारण इसे राज्य सरकार से एन. ओ. सी. की आवश्यकता नहीं है।

16.4 इसके बाद के विवरण से पता चलता है कि राज्य सरकार के उक्त पत्र, जिसमें केवल यह कहा गया है कि उससे किसी एन. ओ. सी. की आवश्यकता नहीं है, का उपयोग आई. ए. एस. ई. द्वारा डी. ई. सी. या यू. जी. सी. या ए. आई. सी. टी. ई., जो क्रमशः सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा जैसे अपने निर्धारित क्षेत्रों में वैधानिक निकाय हैं, से कोई आवश्यक अनुमति नहीं लेकर किए गए घोर उल्लंघनों के खिलाफ ढाल के रूप में किया गया है। इस तरह के पूर्व अनुमोदन वैधानिक रूप से अनिवार्य हैं और फिर भी संस्थान ने राज्य सरकार के उपरोक्त पत्र की आड़ में इस पर आंखें मूंद लीं कि राज्य के तकनीकी शिक्षा विभाग से किसी एनओसी की आवश्यकता नहीं है।

16.5 दिनांक 05.12.2002 के पत्र के माध्यम से, आई. ए. एस. ई. ने डी. ई. सी. को सूचित किया कि उसने आगामी शैक्षणिक सत्र 2003-04 से प्रभावी होकर डी. ई. सी. द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और मानदंडों के

अनुसार दूरस्थ शिक्षा निदेशालय स्थापित करने का निर्णय लिया है और उस उद्देश्य के लिए उसने डी. ई. सी. द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देशों और मानदंडों का एक सेट मांगा है। डी. ई. सी. ने इसके जवाब में, दिनांक 13.12.2002 के अपने पत्र के माध्यम से, दूरस्थ शिक्षा केंद्रों की स्थापना के लिए दिशानिर्देशों की एक प्रति दी। आई. ए. एस. ई. को यह भी सूचित किया गया कि प्रारंभिक आवश्यकता के रूप में, डीम्ड विश्वविद्यालय को अपनी शैक्षणिक परिषद/कार्यकारी परिषद द्वारा इस आशय का एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि वह दूरस्थ शिक्षा के लिए एक केंद्र स्थापित करना चाहता है। इसके बाद, आई. ए. एस. ई. ने यू. जी. सी. के सचिव को अपने मानद विश्वविद्यालय में कुछ अतिरिक्त संकायों के बारे में सूचित किया। शैक्षणिक सत्र 2003-04 के लिए जोड़े जाने वाले प्रस्तावित संकाय निम्नानुसार थेः

1	प्रबंधन निकाय	एमबीए
2	चिकित्सा संकाय	बीएचएमएस एम. डी. (होम.) बीएएमएस बीडीएस।
3	इंजीनियरिंग संकाय	बी. ई. कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी।
4	पैरामेडिकल विज्ञान	बी. पी. टी., बी. ओ. टी., बी. एम. एल. टी., बी. आर. आई. टी. आदि।
5	गृह विज्ञान	स्नातक, बी. एच. एस. सी।
6	विधि संकाय	एलएलबी
7	लाइब्ररी साइन्स संकाय।	बी लिब एम लिब
8	कंप्यूटर विज्ञान	एमसीए, बीसीए, पीजीडीसीए

16.6 एक बार फिर, यह ध्यान देने योग्य है कि किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है कि इन संकायों को दूरस्थ मोड द्वारा से शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया जाना था।

16.7 पत्र दिनांक 24.02.2003 के माध्यम से, आईएएसई ने डीईसी को सूचित किया कि वह शैक्षणिक सत्र 2002-03 से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने के संबंध में संस्थान के प्रबंधन बोर्ड द्वारा पारित दिनांक 18.10.2002 के प्रस्ताव की एक प्रति प्रस्तुत कर रहा है।

16.8 दूरस्थ शिक्षा परिषद/इग्नू के निदेशक ने दिनांक 04.04.2003 के पत्र के माध्यम से आईएएसई को फिर से पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी दूरस्थ शिक्षा को शुरू न करने के लिए आगाह किया। उसी का प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> "विषयः इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन (मानद विश्वविद्यालय), गांधी विद्या मंदिर, सरदारशहर, राजस्थान द्वारा दूरस्थ शिक्षा निदेशालय की स्थापना।
>
> प्रिय,
>
> यह आपके पत्र संख्या ईएएसई/डीयू/जीवीएम/एसआरडीआर/643 दिनांक 24.2.2003 का संदर्भ है, जो अध्यक्ष, डीईसी को संबोधित है, जिसमें सत्र 2002-03 से आपके विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम को शुरू करने के लिए प्रबंधन बोर्ड के संकल्प की एक प्रति जमा की गई है।
>
> **XXXX**
>
> मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूंगा कि डी. ई. सी. की मंजूरी से पहले कोई भी दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शुरू नहीं किया जाना चाहिए।"

16.9 डी. ई. सी. के दिनांकित 04.04.2003 के उपरोक्त पत्र से विचलित हुए बिना, आई. ए. एस. ई. ने डी. ई. सी. को दिनांकित 13.04.2003 के पत्र के माध्यम से जवाब दिया, जिसमें कहा गया थाः

विषयः दूरस्थ शिक्षा संस्थानों और कार्यक्रमों के लिए दिशानिर्देश।

संदर्भः आपका पत्र सं. एफ. संख्या डी. ई. सी./1-- 844/7989 दिनांक 4.4.03

आदरणीय महोदय,

ऊपर उद्धृत विषय के संदर्भ में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस डीम्ड विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद से अनुमोदन के बाद इस निदेशालय द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाए जाते हैं।

1. सूचना प्रौद्योगिकी।
2. प्रबंधन।
3. पैरा मेडिकल।
4. फैशन प्रौद्योगिकी।
5. पारंपरिक पाठ्यक्रम।
6. विज्ञान संकाय
7. व्यावसायिक पाठ्यक्रम।

कृपया दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के तहत इन कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसी संदर्भ में दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा तैयार और प्रकाशित दिशानिर्देशों को तुरंत हमें भेजने का आदेश दें।

मैं दूरस्थ शिक्षा संस्थानों और कार्यक्रमों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को भी स्वीकार करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उचित जानकारी और अनुरोध समय पर प्रस्तुत किए जाएंगे और

विश्वविद्यालय आश्वासन देता है कि हम इस निदेशालय के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

कृपया उपरोक्त कार्यक्रमों के दिशानिर्देश तुरंत भेजें।

सधन्यवाद। "

16.10 इस प्रकार, उपरोक्त पत्र के अवलोकन से पता चलता है कि आईएएसई ने अपने स्वयं के शैक्षणिक परिषद यानी डीम्ड विश्वविद्यालय से स्व-अनुमोदन के तहत विभिन्न कार्यक्रमों में दूरस्थ शिक्षा की शुरुआत की और डीईसी से कोई अनुमोदन नहीं मांगा गया था।

16.11 डीईसी या यूजीसी से किसी भी पूर्व अनुमति के बिना, आईएएसई ने अपने स्वयं के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय की स्थापना करके दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कई शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करने का अधिकार ग्रहण किया, जैसा कि दिनांक 15.04.2003 के पत्र से पता चलता है, जिसमें निम्नानुसार कहा गया है :

"श्रीमान,

सचिव,

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,

बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002

विषय: इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीस इन एडुकेशन, मानद विश्वविद्यालय, सरदारशहर, जिला चुरू (राजस्थान) द्वारा प्रदान की गई डिग्री/डिप्लोमा की मान्यता।

संदर्भः एफ1-8/92 (सीपीपी) फरवरी 1992 सभी भारतीय विश्वविद्यालयों/मानित विश्वविद्यालयों/राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के कुलपति/निदेशक को संबोधित।

आदरणीय महोदय,

ऊपर उद्धृत विषय के संदर्भ में मैं अधोहस्ताक्षरित अनुरोध करता हूं कि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीस इन एडुकेशन, मानद विश्वविद्यालय, सरदारशहर को भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा यू. जी. सी. अधिनियम की खंड 3 के तहत मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था।

दूरस्थ शिक्षा परिषद के मार्गदर्शन और अनुमति के तहत विश्वविद्यालय ने कई कार्यक्रम चलाने के लिए दूरस्थ शिक्षा निदेशालय की स्थापना की।

विश्वविद्यालय भारत के अन्य विश्वविद्यालयों के साथ इस मानद विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्र, डिप्लोमा और डिग्री के समतुल्यता जारी करने का अनुरोध करता है।

सधन्यवाद

भवदीय

पंजीयक।"

16.12 यहां रुकते हुए, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि, डीईसी से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। उपरोक्त पत्र में यह गलत कहा गया है। कारण खोजना दूर की बात नहीं है। जानबूझकर गलत प्रस्तुति यूजीसी से समकक्षता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए की गई है।

16.13 दिनांक 28.07.2003 के पत्र के माध्यम से, यूजीसी ने आईएएसई से नियमित और दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से प्रदान किए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों और इन पाठ्यक्रमों के लिए नामांकित छात्रों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी। आईएएसई ने पत्र दिनांक 19.08.2003 के माध्यम से जवाब दिया कि इसमें दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से कुल

293 छात्र थे, इसके अलावा आईटीएम प्रबंधन में दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से 467 छात्रों ने वर्ष 2002-03 में दाखिला लिया था, इसके अलावा बी.एड और एम.एड पाठ्यक्रमों में नियमित मोड में 467 छात्र थे। जहां तक दूरस्थ शिक्षा माध्यम से जोड़े गए पाठ्यक्रमों की सूची का संबंध है, आईएएसई ने इसे निम्नानुसार बताया है:

क्रमांक	पाठ्यक्रमों के नाम
1	एम. एससी. गणित/रसायन विज्ञान/इलेक्ट्रॉनिक्स/जीवन विज्ञान/आनुवंशिकी/भूविज्ञान/आई. टी./जैव सूचना विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/सूक्ष्म जीव विज्ञान/जैव रसायन।
2	एम कॉम/एम कॉम सूचना सिस्टम
3	बीसीए/एमसीए/पीजीडीसीए
4	बी. एससी. कंप्यूटर विज्ञान/आईटी/एमएलटी/एमआरटी/फिजियोथेरेपी/ प्राकृतिक चिकित्सा और योग/सामान्य/जैव सूचना विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/सूक्ष्म जीव विज्ञान/जैव रसायन/स्वच्छता विज्ञान/फैशन/कपड़ा/आंतरिक डिजाइन/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ऑटोमोबाइल/ आभूषण डिजाइन/रत्न विज्ञान।
5	ई-कॉमर्स/आईटी सक्षम सेवाओं/सूचना प्रौद्योगिकी/एनीमेशन और मल्टीमीडिया/आतिथ्य यात्रा पर्यटन/अंग्रेजी भाषा शिक्षण/कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श/वैदिक विज्ञान/प्रशिक्षण विकास/जैव-सूचना विज्ञान/जैव-प्रौद्योगिकी/पेटेंट कानून/रसायन सूचना विज्ञान में पीजी डिप्लोमा।
6	एमबीए/एफ-एमबीए।
7	बीबीए/बीबीएम।
8	बिजनेस मैनेजमेंट/मार्केटिंग/सप्लाई चेन मैनेजमेंट/पर्सनल

	मैनेजमेंट/पब्लिक रिलेशंस/फाइनेंस/इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट/कैपिटल मार्केट्स और मर्चेंट बैंकिंग/इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट/एमसी में पीजी डिप्लोमा।
9	बी टेक मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/सिविल/आईटी/इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार/जैव प्रौद्योगिकी/सॉफ्टवेयर।
10	बी. पी. टी. (फिजियोथेरेपी)।
11	बी. एच. एम. (अस्पताल प्रबंधन)
12	एमए ओपन/जनरल/शिक्षा/बीमा और जोखिम प्रबंधन।
13	बीए ओपन/जनरल/शिक्षा/बीमा और जोखिम प्रबंधन।
14	एम लिब (एमएलआईएस)।
15	बी लिब (बीएलआईएस)।
16	बी कॉम
17	बी. ए. (एच) आतिथ्य और यात्रा पर्यटन।
18	बीजेएमसी (पत्रकारिता और जन संचार)।
19	एनएमसी।
20	बीजीएल।
21	एल. एल. एम

16.14 ऊपर दी गई तालिका से पता चलता है कि एमबीबीएस और एम. डी. के अलावा पृथ्वी पर लगभग हर शैक्षणिक पाठ्यक्रम आई. ए. एस. ई. द्वारा दूरस्थ शिक्षा मोड द्वारा से पेश किया जा रहा था, इस प्रकार शिक्षा प्रणाली का पूरी तरह से मजाक बनाया जा रहा था।

16.15 वास्तव में, इसके विपरीत, जेआरएन शायद आईएएसई के लिए पेश किए जा रहे पाठ्यक्रमों की संख्या के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता था। जे. आर. एन. द्वारा वर्ष 2001-2005 के दौरान प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की सूची से भी यही पता चलता है, जिन्हें नीचे सारणीबद्ध किया गया हैः-

क्रमांक	पाठयक्रम का नाम
1	एडवांस डिप्लोमा इन फ़ैशन डिज़ाइनिंग (एडीएफडी)
2	एडवांस डिप्लोमा इन इनटिरियर डिज़ाइनिंग (एडीआईडी)
3	एडवांस्ड सर्टिफिकेट इन मेडिकल लैब टेक्नोलोजी (एसीएमएलटी)
4	बैचलर ऑफ बिज़नस मैनेजमेंट (बीबीएम)
5	बैचलर ऑफ कम्प्युटर एप्लिकेशन (बीसीए)
6	बैचलर ऑफ आर्ट्स इन (बी ए सीन)
7	बैचलर ऑफ आर्ट्स इन क्रिएटिव आर्ट्स (बी ए सी ए)
8	बैचलर ऑफ आर्ट्स इन डिजिटल आर्ट्स (बी ए डी ए)
9	बैचलर ऑफ आर्ट्स इन फ़ैशन डिज़ाइनिंग
10	बैचलर ऑफ आर्ट्स इन ग्राफिक्स
11	बैचलर ऑफ आर्ट्स इन हिसटरि/इक्नोमिक्स/पॉलिटिकल साइन्स/हिन्दी/सोशियोलॉजी

12	बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इनटिरियर डिज़ाइनिंग
13	बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जेवेल्लेरी डिज़ाइनिंग
14	बैचलर ऑफ आर्ट्स इन मास कम्युनिकेशन
15	बैचलर ऑफ आर्ट्स इन पेंटिंग
16	बैचलर ऑफ आर्ट्स इन रेडियो & टेलिविजन
17	बैचलर ऑफ आर्ट्स इन स्कल्पचर
18	बैचलर ऑफ बिज़नस मैनेजमेंट (अप्लाइड मैनेजमेंट)
19	बैचलर ऑफ बिज़नस मैनेजमेंट (टेलीकॉम मैनेजमेंट)
20	बैचलर ऑफ बिज़नस मैनेजमेंट इन बैंकिंग & इन्शुरेंस (बीबीएम-बी & आई)
21	बैचलर ऑफ बिज़नस मैनेजमेंट इन बिज़नस प्लानिंग आउटसौर्सिंग (बीबीएम-बीपीओ)
22	बैचलर ऑफ बिज़नस मैनेजमेंट इन एंटर्प्रिन्यरशिप
23	बैचलर ऑफ बिज़नस मैनेजमेंट इन मीडिया मैनेजमेंट (बीबीएम इन एम ई एम)
24	बैचलर ऑफ बिज़नस मैनेजमेंट इन रीटेल मार्केटिंग (बीबीएम-आर एम)
25	बैचलर ऑफ बिज़नस मैनेजमेंट इन टौरिस्म मैनेजमेंट (बीबीएम-टीएम)

26	बैचलर ऑफ कॉमर्स
27	बैचलर ऑफ फ़ाइन आर्ट्स फ़ैशन डिज़ाइन
28	बैचलर ऑफ फ़ाइन आर्ट्स इनटिरियर डिज़ाइन
29	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा & नचूरोपैथी
30	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा साइन्स
31	प्री यूनिवरसिटि कौर्सेस
32	बैचलर ऑफ साइन्स इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलोजी
33	बैचलर ऑफ साइन्स (टेलीकॉम मैनेजमेंट)
34	बैचलर ऑफ साइन्स इन एनिमल साइन्स & बायो टेक्नोलोजी
35	बैचलर ऑफ साइन्स इन बयोलॉजी
36	बैचलर ऑफ साइन्स इन बायो टेक्नोलोजी
37	बैचलर ऑफ साइन्स इन कम्प्युटर साइन्स
38	बैचलर ऑफ साइन्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स
39	बैचलर ऑफ साइन्स इन होम साइन्स
40	बैचलर ऑफ साइन्स इन होटल एंड होस्पिटेलिटी मैनेजमेंट
41	बैचलर ऑफ साइन्स इन होटल मैनेजमेंट & केटरिंग टेक्नोलोजी
42	बैचलर ऑफ साइन्स इन इमेजिंग टेक्नोलोजी

43	बैचलर ऑफ साइन्स इन लाइब्ररी साइन्स
44	बैचलर ऑफ साइन्स इन मैथ्स
45	बैचलर ऑफ साइन्स इन मेडिकल लैब टेक्नोलोजी
46	बैचलर ऑफ साइन्स इन मल्टिमीडिया & ग्राफिक्स एनिमेशन
47	बैचलर ऑफ साइन्स इन ओफ्थल्मीक असिस्टेंट
48	बैचलर ऑफ साइन्स इन ओपटोमेटरी
49	बैचलर ऑफ साइन्स इन फ़िज़िकल एडुकेशन
50	बैचलर ऑफ साइन्स इन योगा & नचूरोपथी
51	बैचलर ऑफ टेक्नोलोजी (टेलीकॉम मैनेजमेंट)
52	बैचलर ऑफ टेक्नोलोजी इन एरोनॉटिकल इंजीन्यरिंग
53	बैचलर ऑफ टेक्नोलोजी इन बायो टेक्नोलोजी इंजीन्यरिंग
54	बैचलर ऑफ टेक्नोलोजी इन बायो इन्फॉर्मैटिक्स
55	बैचलर ऑफ टेक्नोलोजी इन बायो मेडिकल टेक्नोलोजी
56	बैचलर ऑफ टेक्नोलोजी इन केमिकल इंजीन्यरिंग
57	बैचलर ऑफ टेक्नोलोजी इन सिविल इंजीन्यरिंग
58	बैचलर ऑफ टेक्नोलोजी इन कम्प्युटर इंजीन्यरिंग
59	बैचलर ऑफ टेक्नोलोजी इन कम्प्युटर साइन्स

60	बैचलर ऑफ टेक्नोलोजी इन कन्स्ट्रकशन टेक्नोलोजी
61	बैचलर ऑफ टेक्नोलोजी इन इलैक्ट्रिकल इंजीन्यरिंग
62	बैचलर ऑफ टेक्नोलोजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स & कम्युनिकेशन
63	बैचलर ऑफ टेक्नोलोजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स & टेलीकम्यूनिकेशन
64	बैचलर ऑफ टेक्नोलोजी इन मरीन इंजीन्यरिंग
65	बैचलर ऑफ टेक्नोलोजी इन मेकेनिकल इंजीन्यरिंग
66	बैचलर ऑफ टेक्नोलोजी इन मेकेनिकल (औनर्स)
67	बैचलर ऑफ टेक्नोलोजी इन मेटालर्जी & मटिरियल साइन्स
68	बैचलर ऑफ टेक्नोलोजी इन माईनिंग इंजीन्यरिंग
69	बैचलर ऑफ टेक्नोलोजी इन पेट्रो केमिकल टेक्नोलोजी
70	बैचलर ऑफ टेक्नोलोजी इन (इंटेग्रटेड) इलेक्ट्रॉनिक्स & कम्युनिकेशन
71	बैचलर ऑफ टेक्नोलोजी इन (इंटेग्रटेड) कम्प्युटर साइन्स
72	बैचलर ऑफ टेक्नोलोजी इन (इंटेग्रटेड) मेकेनिकल
73	सर्टिफिकेट कोर्स इन असेसरी डिज़ाइनिंग
74	सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्प्युटर ग्राफिक्स
75	सर्टिफिकेट कोर्स इन डीटीपी
76	सर्टिफिकेट कोर्स इन फ़ैशन डिज़ाइनिंग

77	सर्टिफिकेट कोर्स इन गारमेंट कन्स्ट्रकशन
78	सर्टिफिकेट कोर्स इन इनटिरियर डिज़ाइनिंग
79	सर्टिफिकेट कोर्स इन इंटरनेट टेक्नोलोजी
80	सर्टिफिकेट कोर्स इन जूलरि डिज़ाइनिंग
81	सर्टिफिकेट कोर्स इन स्केचिंग
82	सर्टिफिकेट कोर्स इन टेलीकॉम सर्विसेस
83	सर्टिफिकेट कोर्स इन टेक्सटाइल साइन्स
84	सर्टिफिकेट कोर्स इन अकाउंटिंग
85	सर्टिफिकेट कोर्स इन डाटा स्ट्रक्चर
86	सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ प्रोग्रामिंग इन सी
87	सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ प्रोग्रामिंग इन सी++
88	सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ प्रोग्रामिंग इन फॉक्स प्रो
89	सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ प्रोग्रामिंग इन जावा
90	सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ प्रोग्रामिंग इन ओरेकल
91	सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ प्रोग्रामिंग इन एस क्यू एल
92	सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ प्रोग्रामिंग इन वीबी
93	सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन एयर कंडिशनिंग & रेफ्रीजरेशन इंजीन्यरिंग

94	सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन आटोमोबाइल इंजीन्यरिंग
95	सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन इलैक्ट्रिकल इंजीन्यरिंग
96	सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीन्यरिंग
97	सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन मेकेनिकल इंजीन्यरिंग
98	सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन विडियो कम्युनिकेशन इंजीन्यरिंग सर्विसेस
99	सर्टिफिकेट इन अकोमोडेशन ऑपरेशन
100	सर्टिफिकेट इन बैंकिंग प्रैक्टिस
101	सर्टिफिकेट इन बेसिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलोजी
102	सर्टिफिकेट इन बायो मेडिकल टेक्नोलोजी
103	सर्टिफिकेट इन कार्पेंटरी एंड एल्युमिनियम फब्रीकेटर
104	सर्टिफिकेट इन सीमेंट टेक्नोलोजी
105	सर्टिफिकेट इन कम्यूनिटी हैल्थ वर्क
106	सर्टिफिकेट इन कम्प्युटर मैंटेनेंस
107	सर्टिफिकेट इन कम्प्यूटिंग
108	सर्टिफिकेट इन कन्स्ट्रकशनल टेक्नोलोजी
109	सर्टिफिकेट इन डेयरी टेक्नोलोजी
110	सर्टिफिकेट इन फ़ब्रिकटोर वेल्डर टेक्नोलोजी

111	सर्टिफिकेट इन फिट्टर टेक्नोलोजी
112	सर्टिफिकेट इन फूड & बेवेरेज
113	सर्टिफिकेट इन फूड प्रॉडक्शन
114	सर्टिफिकेट इन फ्रंट ऑफिस
115	सर्टिफिकेट इन फ्रूट्स & वेजीटेबल टेक्नोलोजी
116	सर्टिफिकेट इन होटलिंग & केटरिंग सर्विसेस
117	सर्टिफिकेट इन इंडियन ट्रेडीशनल एंब्रोईडेरी
118	सर्टिफिकेट इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलोजी
119	सर्टिफिकेट इन मैकेनिक ऑफ फोर व्हीलर
120	सर्टिफिकेट इन मैकेनिक ऑफ टू व्हीलर
121	सर्टिफिकेट इन मेडिकल लैब टेक्नोलोजी
122	सर्टिफिकेट इन मोबाइल रेपइरिंग
123	सर्टिफिकेट इन एम एस ऑफिस
124	सर्टिफिकेट इन नेचुरोपेथी & योगा टेक्नोलोजी
125	सर्टिफिकेट इन नर्सेरी एडुकेशन
126	सर्टिफिकेट इन पेपर टेक्नोलोजी
127	सर्टिफिकेट इन पेट्रो केमिकल टेक्नोलोजी

128	सर्टिफिकेट इन फ़िज़िकल एडुकेशन
129	सर्टिफिकेट इन फिजियोथेरेपी
130	सर्टिफिकेट इन पॉलिमर टेक्नोलोजी
131	सर्टिफिकेट इन प्राइमरी नर्सिंग मैनेजमेंट
132	सर्टिफिकेट इन प्रिंटिंग टेक्नोलोजी
133	सर्टिफिकेट इन रेफ्रीज़्रेटर मैकेनिक
134	सर्टिफिकेट इन रेपइरिंग ऑफ इलैक्ट्रिकल एक्विप्मेंट्स
135	सर्टिफिकेट इन रेपइरिंग ऑफ मोटर वाइंडिंग
136	सर्टिफिकेट इन सैनिटरि इंस्पेक्टर
137	सर्टिफिकेट इन स्कूल स्पोर्ट्स एडुकेशन
138	सर्टिफिकेट इन टर्नर टेक्नोलोजी
139	सर्टिफिकेट इन टीवी/ वीसीडी मैकेनिक
140	सर्टिफिकेट इन वेटेरिनरी असिस्टेंट
141	डिप्लोमा इन अकाउंटिंग & टैक्स प्रोसीजर
142	डिप्लोमा इन अनेस्थेसिया टेकनीशियन
143	डिप्लोमा इन आर्ट & क्राफ्ट
144	डिप्लोमा इन आटोमोबाइल इंजीन्यरिंग

145	डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी
146	डिप्लोमा इन बायो मेडिकल टेक्नोलोजी
147	डिप्लोमा इन ब्लड बैंकिंग मैनेजमेंट
148	डिप्लोमा इन सिविल इंजीन्यरिंग
149	डिप्लोमा इन कम्प्युटर हार्डवेयर टेक्नोलोजी
150	डिप्लोमा इन कम्प्युटर साइन्स
151	डिप्लोमा इन कम्प्युटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी
152	डिप्लोमा इन कन्स्ट्रकशन टेक्नोलोजी
153	डिप्लोमा इन ड्राविंग & हंडिक्राफ्ट
154	डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स & टेलीकम्युनिकेशन इंजीन्यरिंग
155	डिप्लोमा इन इलैक्ट्रिकल इंजीन्यरिंग
156	डिप्लोमा इन इंग्लिश स्पीकिंग & राइटिंग
157	डिप्लोमा इन फ़ैशन डिज़ाइनिंग
158	डिप्लोमा इन फ़ैशन डिज़ाइन
159	डिप्लोमा इन हैल्थ & ब्युटि
160	डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट & केटरिंग टेक्नोलोजी
161	डिप्लोमा इन होटल ऑपरेशन

162	डिप्लोमा इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलोजी
163	डिप्लोमा इन इनटिरियर
164	डिप्लोमा इन इनटिरियर डिज़ाइनिंग
165	डिप्लोमा इन लाइवस्टॉक & पौल्ट्री डीजीज & डाइगनोसिस मैनेजमेंट
166	डिप्लोमा इन मेटरनल चाइल्ड हैल्थ केयर
167	डिप्लोमा इन मैकानिकल इंजीन्यरिंग
168	डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलोजी
169	डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिओलोजी टेक्नोलोजी
170	डिप्लोमा इन मल्टीपर्पज़ हैल्थ वर्कर
171	डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी & योगा टेक्नोलोजी
172	डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेकनीशियन
173	डिप्लोमा इन ओफ्थल्मीक असिस्टेंट
174	डिप्लोमा इन ओपटोमेटरी
175	डिप्लोमा इन पेट्रो केमिकल टेक्नोलोजी
176	डिप्लोमा इन फिजीशियन असिस्टेंट
177	डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी
178	डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलोजी

179	डिप्लोमा इन टीचिंग ऑफ आर्ट & क्राफ्ट एडुकेशन
180	डिप्लोमा इन टेलीकॉम मैनेजमेंट
181	डिप्लोमा इन टूरिज़म & होटल मैनेजमेंट
182	डिप्लोमा इन वेटेरिनरी & लाइव स्टॉक डेव्लपमेंट असिस्टेंट
183	डिप्लोमा इन वेटेरिनरी असिस्टेंट
184	डिप्लोमा इन वेटेरिनरी फार्मेसी
185	डॉक्टरेट ऑफ फिलोसोफी
186	एक्ज़ीक्यूटिव एम बी ए
187	मास्टर इन कम्प्युटर एप्लिकेशन
188	मास्टर ऑफ सोशियल वर्क
189	मास्टर ऑफ आर्ट्स इन पॉलिटिकल साइन्स
190	मास्टर ऑफ आर्ट्स इन अप्लाइड साइकॉलजी & ओरगेनाइज़ेशनल बिहेवियर
191	मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सिनेमा
192	मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इक्नोमिक्स
193	मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एडुकेशन
194	मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश
195	मास्टर ऑफ आर्ट्स इन फ़ैशन डिज़ाइनिंग

196	मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिन्दी
197	मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री
198	मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इनटिरियर डिज़ाइनिंग
199	मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जेवेलरी डिज़ाइनिंग
200	मास्टर ऑफ आर्ट्स इन मास कम्युनिकेशन
201	मास्टर ऑफ आर्ट्स इन रेडियो & टेलीविज़न
202	मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशिओलोजी
203	मास्टर ऑफ बिज़नस एड्मिनिसट्रेशन (ट्रेडीशनल)
204	मास्टर ऑफ बिज़नस एड्मिनिसट्रेशन इन एडवर्टाइज़िंग मैनेजमेंट
205	मास्टर ऑफ बिज़नस एड्मिनिसट्रेशन इन बायोटेक्नोलोजी
206	मास्टर ऑफ बिज़नस एड्मिनिसट्रेशन इन कन्स्ट्रकशन मैनेजमेंट
207	मास्टर ऑफ बिज़नस एड्मिनिसट्रेशन इन एंटर्प्रिन्यरशिप & लीडरशिप मैनेजमेंट
208	मास्टर ऑफ बिज़नस एड्मिनिसट्रेशन इन एवेंट्स मैनेजमेंट
209	मास्टर ऑफ बिज़नस एड्मिनिसट्रेशन इन फाइनेनशियल मैनेजमेंट
210	मास्टर ऑफ बिज़नस एड्मिनिसट्रेशन इन ह्यूमन रेसौर्स मैनेजमेंट
211	मास्टर ऑफ बिज़नस एड्मिनिसट्रेशन इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलोजी

212	मास्टर ऑफ बिज़नस एड्मिनिसट्रेशन इन इन्शुरेंस रिस्क मैनेजमेंट
213	मास्टर ऑफ बिज़नस एड्मिनिसट्रेशन इन मार्केटिंग मैनेजमेंट
214	मास्टर ऑफ बिज़नस एड्मिनिसट्रेशन इन मास कम्युनिकेशन & जर्नलिज़्म
215	मास्टर ऑफ बिज़नस एड्मिनिसट्रेशन इन मीडिया मैनेजमेंट
216	मास्टर ऑफ बिज़नस एड्मिनिसट्रेशन इन फार्माश्युटिकल मैनेजमेंट
217	मास्टर ऑफ बिज़नस एड्मिनिसट्रेशन इन टूरिज़्म मैनेजमेंट
218	मास्टर ऑफ बिज़नस एड्मिनिसट्रेशन इन बिज़नस प्लानिंग ऑपरेशन
219	मास्टर ऑफ बिज़नस एड्मिनिसट्रेशन इन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट
220	मास्टर ऑफ बिज़नस एड्मिनिसट्रेशन इन इंटरनेशनल बिज़नस मैनेजमेंट
221	मास्टर ऑफ बिज़नस मैनेजमेंट (अप्लाइड मैनेजमेंट)
222	मास्टर ऑफ बिज़नस मैनेजमेंट (टेलिकॉम मैनेजमेंट)
223	मास्टर ऑफ कॉमर्स
224	मास्टर ऑफ फिलोसोफी इन कैमिस्ट्रि
225	मास्टर ऑफ फिलोसोफी इन कॉमर्स
226	मास्टर ऑफ फिलोसोफी इन इकनॉमिक

227	मास्टर ऑफ फिलोसोफी इन एडुकेशन
228	मास्टर ऑफ फिलोसोफी इन इंग्लिश
229	मास्टर ऑफ फिलोसोफी इन हिन्दी
230	मास्टर ऑफ फिलोसोफी इन हिस्ट्री
231	मास्टर ऑफ फिलोसोफी इन मैनेजमेंट
232	मास्टर ऑफ फिलोसोफी इन मैथ्स
233	मास्टर ऑफ फिलोसोफी इन फिजिक्स
234	मास्टर ऑफ फिलोसोफी इन पॉलिटिकल साइन्स
235	मास्टर ऑफ फिलोसोफी इन जूलोजी
236	मास्टर ऑफ फिलोसोफी इन बॉटनी
237	मास्टर ऑफ फिलोसोफी इन कम्प्युटर साइन्स
238	मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी इन कार्डियोथोरेसिक
239	मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी इन हैंड कंडिशनिंग
240	मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी इन न्यूरोलोजी
241	मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी इन ओर्थोपेडिक्स
242	मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी इन स्पोर्ट्स थेरेपी
243	मास्टर ऑफ साइन्स (टेलिकॉम मैनेजमेंट)

244	मास्टर ऑफ साइन्स इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलोजी
245	मास्टर ऑफ साइन्स इन बायोटेक्नोलोजी
246	मास्टर ऑफ साइन्स इन बॉटनी
247	मास्टर ऑफ साइन्स इन कैमिस्ट्रि
248	मास्टर ऑफ साइन्स इन क्लिनिकल पथोलोजी
249	मास्टर ऑफ साइन्स इन कम्प्युटर साइन्स
250	मास्टर ऑफ साइन्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स
251	मास्टर ऑफ साइन्स इन होम साइन्स
252	मास्टर ऑफ साइन्स इन होटल मैनेजमेंट & केटरिंग टेक्नोलोजी
253	मास्टर ऑफ साइन्स इन लाइब्ररी साइन्स
254	मास्टर ऑफ साइन्स इन मैथ्स
255	मास्टर ऑफ साइन्स इन मेडिकल बायोकैमिस्ट्रि
256	मास्टर ऑफ साइन्स इन मेडिकल लैब टेक्नोलोजी
257	मास्टर ऑफ साइन्स इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजि
258	मास्टर ऑफ साइन्स इन माइक्रोबायोलॉजि
259	मास्टर ऑफ साइन्स इन मल्टिमीडिया
260	मास्टर ऑफ साइन्स इन ओप्टोमेट्री

261	मास्टर ऑफ साइन्स इन फर्मास्यूटिकल कैमिस्ट्रि
262	मास्टर ऑफ साइन्स इन फिजिक्स
263	मास्टर ऑफ साइन्स इन साइकॉलजी & बिहेविरल साइन्स
264	मास्टर ऑफ साइन्स इन जूलोजी
265	मास्टर ऑफ टेक्नोलोजी इन बायो मेडिकल टेक्नोलोजी
266	मास्टर ऑफ टेक्नोलोजी इन सिविल
267	मास्टर ऑफ टेक्नोलोजी इन कम्प्युटर साइन्स
268	मास्टर ऑफ टेक्नोलोजी इन कम्प्युटर साइन्स (एम टेक)
269	मास्टर ऑफ टेक्नोलोजी इन कन्स्ट्रकशन टेक्नोलोजी
270	मास्टर ऑफ टेक्नोलोजी इन इलैक्ट्रिकल
271	मास्टर ऑफ टेक्नोलोजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स & कम्युनिकेशन
272	मास्टर ऑफ टेक्नोलोजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स & टेलीकम्युनिकेशन
273	मास्टर ऑफ टेक्नोलोजी इन मैकेनिकल
274	मास्टर ऑफ टेक्नोलोजी इन मेकेनिकल
275	मास्टर ऑफ टेक्नोलोजी इन पेट्रो केमिकल टेक्नोलोजी
276	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैडिसिन
277	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन & डाइटीशियन

278	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायो इन्फॉर्मैटिक्स टेक्नोलोजी
279	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिज़नस मैनेजमेंट
280	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल पथोलोजी
281	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च मैनेजमेंट
282	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्युटर एप्लिकेशन
283	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्युटर इंजीन्यरिंग
284	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलोजी
285	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन होसपिटेलिटी मैनेजमेंट
286	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलोजी
287	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज़्म
288	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्रिंट & एलेक्ट्रोनिक मीडिया
289	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टेलिकॉम मैनेजमेंट
290	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज़्म & कम्युनिकेशन
291	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन विडियो प्रॉडक्शन
सहयोग कार्यक्रम	
292	बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी
293	बैचलर ऑफ होमियोपेथिक मैडिसिन & सर्जरि (बीएचएमएस)

294	बैचलर ऑफ होमियोपेथिक मैडिसिन & सर्जरि (ग्रेडेड)
295	डॉक्टर ऑफ मैडिसिन (होमियोपेथि)

16.16 उपरोक्त तालिका पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि एक बड़े शॉपिंग मॉल में भी उतने आउटलेट नहीं होंगे जितने जेआरएन द्वारा दूरस्थ शिक्षा मोड द्वारा पेश किए जा रहे पाठ्यक्रमों की संख्या यानी कुल 295 कार्यक्रम हैं। रॉकेट विज्ञान या पायलटों के लिए हवाई जहाज उड़ाने या अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष शटल लॉन्च करने/बनाने के लिए पाठ्यक्रम/डिग्री को छोड़कर, पृथ्वी पर लगभग हर चीज की पेशकश की जा रही थी।

16.17 इग्नू के प्रो-वाइस चांसलर द्वारा आईएएसई को लिखा गया दिनांक 17.02.2004 का एक अन्य पत्र, जो स्वयं व्याख्यात्मक है, यहां नीचे दिया गया है:

"प्रोफेसर एस. सी. गर्ग
प्रो-वाइस चांसलर

विषय: कार्यक्रमों की स्वीकृति

प्रिय डॉ. प्रधान,

यह आपका ध्यान दूरस्थ मोड के माध्यम से पेश किए गए कार्यक्रमों की मंजूरी के लिए आपके विश्वविद्यालय के दौरे के दौरान डीईसी विशेषज्ञ समिति को प्रदान की गई अध्ययन केंद्रों की सूची की ओर आकर्षित करने के लिए है। सूची के अवलोकन पर, यह देखा गया है कि विश्वविद्यालय के कुछ अध्ययन केंद्रों में घर के नंबर वाले पते हैं। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि कुछ सलाहकारों की योग्यता

नहीं दी जाती है और 3-4 स्थानों पर पता दिखाई देता है। इससे यह आभास होता है कि विश्वविद्यालय ने कार्यक्रमों की पेशकश के लिए फ्रेंचाइजी व्यवस्था की है।

जैसा कि आप जानते होंगे, अध्ययन केंद्र महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय विभागों में स्थित होने चाहिए जिनमें उचित बुनियादी सुविधाएं और योग्य परामर्शदाता हों।प्रणाली में वैकल्पिक मानकों को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है।हम अपने प्रश्नों के स्पष्टीकरण की प्राप्ति पर अनुरोध को आगे बढ़ाने में समर्थ होंगे।

भवदीय

(एस. सी गर्ग)"

16.18 इस प्रकार, आई. ए. एस. ई. के कुछ अध्ययन केंद्रों में केवल घर के नंबर वाले पते थे। 3-4 स्थानों पर एक ही पता दिखाई देता है, जिससे यह आभास होता है कि आई. ए. एस. ई. ने अपने कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए फ्रेंचाइजी व्यवस्था में प्रवेश किया है। यहां तक कि कुछ सलाहकारों की योग्यता भी नहीं दी गई थी।

16.19 उपरोक्त स्थिति से चिंतित होकर, यूजीसी ने अपने पत्र दिनांक 16.03.2004 के माध्यम से निर्देश दिया कि डीम्ड विश्वविद्यालयों को नए पाठ्यक्रम शुरू करने और नए शैक्षणिक केंद्र खोलने के लिए यूजीसी और डीईसी से पूर्व अनुमोदन लेना होगा:

"यू. जी. सी. ने इसे गंभीरता से लिया है। विश्वविद्यालयों में शिक्षण और अनुसंधान के मानक को बनाए रखने के लिए यू. जी. सी. के आदेश को ध्यान में रखते हुए, यह

निर्णय लिया गया है कि मानद विश्वविद्यालयों को नए पाठ्यक्रम शुरू करने, शैक्षणिक केंद्र/अध्ययन केंद्र खोलने के लिए यू. जी. सी. की पूर्व मंजूरी लेनी होगी। वे सभी मानित विश्वविद्यालय जो पहले से ही इस तरह की गतिविधियों में लगे हुए हैं, इस पत्र के जारी होने के छह महीने के भीतर यू. जी. सी. की मंजूरी मांगेंगे, जिसमें विफल रहने पर विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों/ केंद्रों को यू. जी. सी. द्वारा गैर-मान्यता प्राप्त घोषित कर दिया जाएगा। यू. जी. सी. के दिशानिर्देशों और परिसर के भीतर नए विभागों की स्थापना के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की एक प्रति, ऑफ-कैंपस सेंटर (ओं)/संस्थान (ओं) ऑफ-शोर कैंपस (ओं) की स्थापना और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने के लिए निर्धारित प्रारूप के साथ संलग्न है। आपसे अनुरोध है कि नए केंद्रों की स्थापना और पहले से स्थापित केंद्रों के लिए इन दिशानिर्देशों का अक्षरशः पालन करें। निर्धारित प्रारूप में प्रस्तावों को आयोग के विचार/वास्तविक अनुमोदन के लिए नए और साथ ही निरंतर पाठ्यक्रमों/केंद्रों के लिए यू. जी. सी. को भेजा जाएगा।"

16.20 ध्यान देने योग्य बात यह है कि उपरोक्त पत्र शिक्षण के नियमित तरीके से संबंधित है, हालांकि शिक्षा दिशानिर्देशों के दूरस्थ तरीके को पत्र के साथ जोड़ा गया था।

16.21 आई. ए. एस. ई. को यू. जी. सी. द्वारा उसके द्वारा किए गए उल्लंघनों के बारे में फिर से चेतावनी दी गई थी। आई. ए. एस. ई. को संबोधित यू. जी. सी. के दिनांकित 30.06.2004 पत्र से भी यही पता चलता है। पूरा पत्र, उपयुक्त होने के कारण, नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"कुलपति,
इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़

इन एडुकेशन (मानद विश्वविद्यालय)

सरदारशहर-331401 (राजस्थान)

विषयः आई. ए. एस. ई. के विस्तार केंद्र/दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केंद्र/परिसर से बाहर के केंद्र खोलना।

महोदय,

(1) मुझे यह कहने का निर्देश दिया गया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ इन एडुकेशन (मानद विश्वविद्यालय), सरदारशहर (राजस्थान) को भारत सरकार की अधिसूचना संख्या F9-29/2000-U3 दिनांक 25.6.2002 के माध्यम से मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। संस्थान केवल बी. एड., एम. एड. और पी. एच. डी. पाठ्यक्रम संचालित कर रहा था। मानद विश्वविद्यालय बनने के बाद, संस्थान ने बी टेक, एम टेक और एम बी ए जैसे कई पाठ्यक्रम और आयुर्वेदिक फार्मेसी में पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। इस मानद विश्वविद्यालय द्वारा अपने विभिन्न अध्ययन केंद्रों/परिसर से बाहर के केंद्रों/विस्तार केंद्रों से दूरस्थ शिक्षा द्वारा से तकनीकी पाठ्यक्रम आयोजित करने के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(2) मैं 11 मई, 2004 को सरदारशहर में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन (आई. ए. एस. ई.) डीम्ड यूनिवर्सिटी के प्रबंधन बोर्ड (बी. ओ. एम.) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा किए गए अवलोकन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं (प्रति संलग्न)। यह बताया गया है कि संस्थान ने अब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मंजूरी के बिना पूरे भारत में लगभग 50 विस्तार केंद्रों सहित 600 अध्ययन केंद्र स्थापित किए हैं। यह आरोप

लगाया गया है कि इनमें से कुछ केंद्र व्यावहारिक रूप से अस्तित्व में नहीं हैं और दूरस्थ मोड में शिक्षा के उचित संचालन के लिए शायद ही कोई सहायता प्रणाली है। इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि संस्थान एम. बी. ए., आई. टी. और एम टेक जैसे कुछ कार्यक्रम चला रहा था, जिनके लिए परिसर में उनका अपना संकाय या नियमित कार्यक्रम नहीं था, लेकिन फिर भी इसने दूरस्थ मोड में पाठ्यक्रम शुरू करने का विकल्प चुना है। यह संस्थान की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता को अपूरणीय क्षति पहुंचाता है जिसने हाल ही में मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त किया है।

(3).परिसर से बाहर के केंद्र (पैरा 15) के संबंध में मानित विश्वविद्यालयों पर यू. जी. सी. के दिशा-निर्देशों (2000) पर फिर से ध्यान आकर्षित किया जाता हैः

(i) केंद्र (ओं) की स्थापना यू. जी. सी. और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से की जाएगी जहां केंद्र (ओं) खोले जाने का प्रस्ताव है।

(ii) विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को यू. जी. सी. की मंजूरी होनी चाहिए।

(iv) केंद्र के समग्र प्रदर्शन की निगरानी यू. जी. सी. द्वारा वार्षिक रूप से की जाएगी, जिसके प्रबंधन, शैक्षणिक विकास और सुधार के निर्देश बाध्यकारी होंगे।

(v) यदि केंद्र का कामकाज यू. जी. सी. के निर्देशों और सिफारिशों को पूरा नहीं करता है और यह तीन साल तक असंतोषजनक रहता है, जैसा कि निगरानी समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर यू. जी. सी. द्वारा तय किया गया है, तो

मानित विश्वविद्यालय को यू. जी. सी. द्वारा केंद्र को बंद करने का निर्देश दिया जाएगा, जिस स्थिति में केंद्र की देनदारियों को संबंधित मानित विश्वविद्यालय द्वारा लिया जाएगा।

(4). परिसर से बाहर के केंद्रों/दूरस्थ शिक्षा की स्थापना पर यू. जी. सी. के नए दिशानिर्देश पत्र संख्या F.6-7/2003 (सी. पी. पी.-I) दिनांक 16.03.2004 के माध्यम से प्रसारित किए गए हैं, जिसमें यू. जी. सी. से अनुमोदन लेने का भी प्रावधान हैः

दूरस्थ शिक्षा

"मानित विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा परिषद (डी. ई. सी.) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू. जी. सी.) की विशिष्ट मंजूरी के साथ ही दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश कर सकता है। इस प्रकार, कोई भी अध्ययन केंद्र केवल दूरस्थ शिक्षा परिषद और यू. जी. सी. की विशिष्ट मंजूरी के साथ ही खोला जा सकता है।

(5). आयोग को आई. ए. एस. ई. के संबंध में देश भर में फैले अध्ययन केंद्रों द्वारा से विभिन्न विषयों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के तहत पाठ्यक्रमों की पेशकश के संबंध में कई शिकायतें मिल रही हैं, जिनमें बी टेक, एम टेक और एम. बी. ए. और आयुर्वेदिक फार्मेसी कंप्यूटर विज्ञान, व्यवसाय अध्ययन, पैरा-चिकित्सा अध्ययन आदि शामिल हैं, जिनमें से शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा नहीं है।

(6). डी. ई. सी./ए. आई. सी. टी. ई./यू. जी. सी. द्वारा निर्धारित मानदंडों की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद आई. ए. एस. ई. सरदारशहर ने अभी तक यू. जी. सी. को अध्ययन केंद्र/परिसर से बाहर के केंद्रों की मंजूरी के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

(7). आई. ए. एस. ई. द्वारा दूरस्थ मोड में खोले गए अध्ययन केंद्र/परिसर से बाहर के केंद्र वैधानिक परिषद (ओं)/राज्य सरकार/यू. जी. सी. की पूर्व मंजूरी के बिना हैं।

(8). आई. ए. एस. ई., सरदारशहर दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के विवरण प्रस्तुत करने पर चुप है और न ही दूरस्थ शिक्षा परिषद और यू. जी. सी. की विशिष्ट मंजूरी संलग्न की है।

(9). यह इंगित किया जा सकता है कि जब तक आई. ए. एस. ई. वैधानिक निकायों द्वारा निर्धारित संकाय और बुनियादी ढांचे के संदर्भ में पूरी तरह से तैयार नहीं है, तब तक कोई भी स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम शुरू करना वांछनीय नहीं होगा।

(10). यू. जी. सी. की मंजूरी के बिना चल रहे दूरस्थ मोड में अध्ययन केंद्र (केंद्रों) में प्रवेश पाने के इच्छुक संभावित छात्रों को अपूरणीय नुकसान और पीड़ा से बचने के लिए, यू. जी. सी. और आई. ए. एस. ई. को शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं के साथ शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करना होगा।

(11). इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि आई. ए. एस. ई., सरदारशहर (राजस्थान) इस पत्र के जारी होने की तारीख से 21 दिनों के भीतर संकाय, भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला के संदर्भ में पाठ्यक्रमों/बुनियादी ढांचे का विवरण देते हुए अपने परिसर से बाहर के केंद्रों/अध्ययन केंद्रों/विस्तार केंद्रों की पूरी सूची भेज सकता है, जिसके तहत यू. जी. सी. जनता को यह जानकारी देने के लिए एक सार्वजनिक सूचना जारी करने के लिए विवश होगा

कि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीस इन एडुकेशन सरदारशहर द्वारा संचालित पूरे देश में दूरस्थ मोड में विस्तार केंद्र/अध्ययन केंद्र यू. जी. सी. द्वारा अनुमोदित नहीं हैं। इसलिए, जनता को अपने जोखिम पर प्रवेश लेने की चेतावनी दी जाती है।

भवदीय

(डॉ. (श्रीमती) पंकज मित्तल)

संयुक्त सचिव"

16.22 आई. ए. एस. ई. को यू. जी. सी. के मार्च, 2005 (तिथि स्पष्ट नहीं) के एक अन्य पत्र के माध्यम से इसके द्वारा किए जा रहे घोर उल्लंघन को रोकने के लिए कहा गया था, जो नीचे दिया गया हैः

"रजिस्ट्रार
इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन
एजुकेशन, गांधी विध्या मंदिर
सरदारशहर-331401

विषय: पूरे भारत में विभिन्न दूरस्थ शिक्षा केंद्रों में पाठ्यक्रमों की मान्यता।

महोदय,

यू. जी. सी. के संज्ञान में आया है कि कुछ मानद विश्वविद्यालयों ने दूरस्थ शिक्षा परिषद की पूर्व मंजूरी के बिना दूरस्थ शिक्षा मोड द्वारा से डिग्री पाठ्यक्रम शुरू कर दिए हैं। मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि यदि आपके

संस्थान ने सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना कोई डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किया है, तो आपको इन डिग्री पाठ्यक्रमों को बंद करने के लिए कहा जाता है। यदि आपके संस्थान द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो आपके संस्थान को दिया गया मानद विश्वविद्यालय का दर्जा वापस लिया जा सकता है। आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि आप इस मामले में तत्काल कार्रवाई करें और तदनुसार आयोग को सूचित करें।

भवदीय

(सी. के. कपाही)

उप सचिव"

16.23 यह महसूस करते हुए कि आई. ए. एस. ई. सहित मानित विश्वविद्यालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यू. जी. सी. द्वारा लिखा गया एक अन्य पत्र जिसमें चेतावनी दी गई है कि यदि दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो मानित विश्वविद्यालय का दर्जा वापस ले लिया जाएगा। उक्त पत्र में कहा गया हैः

"महोदय,

हाल ही में, यह देखा गया है कि कुछ संस्थान, जिन्हें मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है, प्रवेश, शुल्क, नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत (दूरस्थ शिक्षा के तहत निजी फ्रेंचाइजी द्वारा से पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों सहित) और छात्रों की प्रवेश क्षमता के संबंध में निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले कुछ मानित विश्वविद्यालयों ने बुनियादी ढांचे में समान वृद्धि किए बिना और किसी भी नियामक प्राधिकरण से

अनुमोदन प्राप्त किए बिना अपनी प्रवेश क्षमता में कई गुना वृद्धि की है। मानित विश्वविद्यालय अपने संगठन ज्ञापन और नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रबंधन बोर्ड और वित्त समिति की नियमित बैठकें भी नहीं कर रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया हैः

1. सभी मानित विश्वविद्यालयों को प्रवेश क्षमता में किसी भी वृद्धि या कोई भी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए यू. जी. सी. से पूर्व अनुमोदन लेना होगा। इस संबंध में संबंधित वैधानिक परिषदों द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन किया जाएगा। पहले से शुरू की गई प्रवेश क्षमता या यू. जी. सी. की मंजूरी के बिना शुरू किए गए पाठ्यक्रमों में वृद्धि को नियमित करने के लिए, मानित विश्वविद्यालयों को इस पत्र के जारी होने के तीन महीने के भीतर पूर्व-कार्योत्तर मंजूरी प्राप्त करने का एक बार का अवसर दिया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए, जानकारी को अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न निर्धारित प्रारूप में यू. जी. सी. को शीघ्रता से प्रस्तुत किया जा सकता है।

2. सभी मानद विश्वविद्यालयों को प्रबंधन बोर्ड और वित्त समिति की नियमित बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता होती है। बैठकों की तारीख, कार्यक्रम और कार्यवृत्त के बारे में जानकारी भी नियमित रूप से यू. जी. सी. और एम. एच. आर. डी. को भेजी जाएगी।

3. यू. जी. सी. मानित विश्वविद्यालयों के कामकाज की लगातार और बारीकी से निगरानी करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिन उद्देश्यों के लिए मानित विश्वविद्यालयों की स्थापना

की गई थी, उन्हें पूरा किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए, यू. जी. सी. यादृच्छिक रूप से किसी भी मानित विश्वविद्यालय या उसके केंद्र का निरीक्षण कर सकता है। इस उद्देश्य के लिए गठित विशेषज्ञ समिति संस्थान के कामकाज और प्रबंधन में आवश्यक किसी भी सुधार का सुझाव दे सकती है और यदि उसे लगता है कि उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा रहा है तो मानित विश्वविद्यालय का दर्जा वापस लेने की भी सिफारिश कर सकती है।

इस उद्देश्य के लिए, प्रासंगिक जानकारी जल्द से जल्द संलग्न प्रारूप (अनुलग्नक-II) में यू. जी. सी. को भेजी जा सकती है।

भवदीय

(पंकज मित्तल)"

16.24 19.04.2005 के उपरोक्त पत्र के लिए, आई. ए. एस. ई. द्वारा अपने दिनांकित 02.07.2005 पत्र के माध्यम से एक प्रतिक्रिया प्रस्तुत की गई थी, जिसमें कहा गया है:

"डॉ. (श्रीमती) पंकज मित्तल
संयुक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली-11002

विषय: पाठ्यक्रमों के पूर्व-कार्योत्तर अनुमोदन के लिए निर्धारित प्रारूप प्रस्तुत करना।

संदर्भ: आपका पत्र डी. ओ. नं. F.6-16/2005 (CPP-1) दिनांक 19 अप्रैल 2005।

आदरणीय महोदया,

उपरोक्त उद्धृत पत्र के संदर्भ में, आपके विचार के लिए निर्धारित प्रारूप में विधिवत भरा गया पत्र संलग्न किया जा रहा है। यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि, आपके डीओ नंबर एफ 6-7/2003 (सीपीपी-1) दिनांक 16 मार्च, 2004 के बाद, हमने पूर्व-कार्योतर अनुमोदन के लिए सितंबर, 2004 (प्रतिलिपि संलग्न) में पहले भी आवेदन किया था। हालाँकि, इस संबंध में अब तक आपसे कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

हम फिर से अपने कार्यक्रमों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं।

1. मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने के समय, गांधी विद्या मंदिर, प्रायोजक संस्थान, पीएचडी (शिक्षा), एम. एड., बी. एड., एस. टी. सी. और एच. ए. एम. एस. (आयुर्वेद में डिग्री) कार्यक्रम चला रहा था।

2. एम फिल (शिक्षा) कार्यक्रम 2003-2004 में शुरू किया गया था।हमने आयोग को अनुमति के लिए दो पत्र भेजे जिन पर 16 अगस्त 2002 की संख्या IASE/D/GVM/SRDR/410/2022 और 16 सितंबर 2002 का आई. ए. एस. ई./डी. यू./जी. वी. एम./एस. आर. डी. आर./467/2002 लिखा था।

3. हमने 29 जनवरी, 2003 के पत्र आई. ए. एस. ई./62 के माध्यम से प्रबंधन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल विज्ञान, गृह विज्ञान, कानून, पुस्तकालय विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान में अतिरिक्त पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आयोग से अनुमति मांगी। यू. जी. सी. ने पत्र संख्या F.1-52-97 (सी. पी. पी.-II) दिनांक 29 जुलाई 2003 के माध्यम से जवाब दिया और इसमे

कहा गया कि उल्लिखित डिग्री में से बी. एम. एल. टी. और बी. आर. आई. टी. को यू. जी. सी. द्वारा निर्दिष्ट नहीं किया गया था। हालाँकि, हमें "केवल उन्हीं डिग्रियों की पेशकश करने का निर्देश दिया गया था जो यू. जी. सी. द्वारा पहले ही निर्दिष्ट की जा चुकी हैं।"हमने उक्त कार्यक्रमों में से कुछ को उन पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए कोई कदम उठाए बिना शुरू किया जो यू. जी. सी. द्वारा निर्दिष्ट नहीं थे।

4. आई. ए. एस. ई. ने अपनी डिग्री बी. ई. (इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग) और एमबीए की मान्यता के लिए ए. आई. सी. टी. ई. को भी आवेदन किया। एआईसीटीई ने सत्र 2005-06 से 2007-08 के लिए एलओआई जारी किया। ए. आई. सी. टी. ई. की विशेषज्ञ समिति ने हमारे बुनियादी ढांचे का निरीक्षण किया है। संस्थान ने ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा बताई गई कमियों को सुधार लिया है और पाठ्यक्रमों पर पुनर्विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया है।

5. आई. ए. एस. ई. को सत्र 2005-06 से नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय शिक्षण और अतिरिक्त बी. एड. कार्यक्रम शुरू करने के लिए एन. सी. टी. ई. से एल. ओ. आई. प्राप्त हुआ है। राजस्थान सरकार ने इस उद्देश्य के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र भी दिया है। संकाय की नियुक्ति यू. जी. सी. द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुसार की जाएगी।

6. आई. ए. एस. ई. ने यू. जी. और पी. जी. पारंपरिक विज्ञान पाठ्यक्रम शुरू किए हैं।

7. उपरोक्त सभी पाठ्यक्रमों को आई. ए. एस. ई. की विद्या परिषद् और प्रबंधन बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है।

आई. ए. एस. ई. आश्वस्त करता है कि यह हमेशा यू. जी. सी. और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित मानदंडों का पालन करेगा।

उपरोक्त स्पष्टीकरणों और औचित्य को ध्यान में रखते हुए, यदि आयोग उपरोक्त पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए पूर्व-कार्योत्तर मंजूरी देता है, तो संस्थान हमेशा आभारी रहेगा।

सकारात्मक जवाब की उम्मीद में।

सादर,

भवदीय,

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) ए. सी. शर्मा

प्रो वाइस चांसलर"

16.25 उपरोक्त के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आई. ए. एस. ई. की ओर से एक स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि उसने आयोग को एम फिल की अनुमति के लिए दो पत्र लिखे थे, लेकिन वर्ष 2003-04 के लिए ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई थी। इसी तरह, प्रबंधन आदि में अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के लिए अनुमति मांगी गई थी, जैसा कि पत्र उपरोक्त के पैरा 3 में बताया गया है, लेकिन मामला वहीं रुक गया। अनुमति की प्रतीक्षा किए बिना, संस्थान ने इन पाठ्यक्रमों को शुरू किया और कुछ पाठ्यक्रमों को यू. जी. सी. द्वारा निर्दिष्ट भी नहीं किया गया था।

16.26 अंत में इग्नू/डी. ई. सी. ने दिनांकित 27.06.2005 पत्र के माध्यम से आई. ए. एस. ई. को सूचित किया कि उसके द्वारा प्रस्तावित

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को मंजूरी नहीं दी गई है। उक्त पत्र नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"प्रोफेसर एस. सी. गर्ग

प्रो-वाइस चांसलर

विषय: आई. ए. एस. ई. मानद विश्वविद्यालय सरदारशहर, राजस्थान के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को मान्यता।

प्रिय डॉ. प्रधान,

इसमें यूजीसी के पत्र दिनांक 19 अगस्त, 2004 की सिफारिशों और डीईसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्यक्रमों की मंजूरी के लिए आपके आवेदन का संदर्भ है, अध्ययन केंद्रों में बुनियादी ढांचे और वितरण तंत्र का मूल्यांकन किया गया था। हमने अध्ययन केंद्रों का दौरा करने के लिए विशेषज्ञ दलों को भेजा जो शिक्षा के लिए मुख्य वितरण केंद्र हैं। यह देखा गया है कि आपके संस्थानों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ में दावा किए गए 23 अध्ययन केंद्र मौजूद भी नहीं थे, जैसा कि आगंतुक विशेषज्ञ सदस्यों ने बताया था। इसके अलावा 20 अध्ययन केंद्रों में बहुत खराब बुनियादी सुविधाएं हैं जो शिक्षा प्रदान करने के लिए शायद ही उपयुक्त हैं।

जैसा कि आप जानते हैं, एक अध्ययन केंद्र दूरस्थ माध्यम से कार्यक्रमों के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सहकर्मी-संवाद और छात्र सहायता के लिए एक नोडल केंद्र के रूप में कार्य करता है। आप इस बात से सहमत होंगे कि इन सुविधाओं की कमी न केवल शिक्षार्थी के प्रदर्शन पर बल्कि ओडीएल प्रणाली की प्रतिष्ठा पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए आपके संस्थान के कार्यक्रमों को मंजूरी नहीं देने का निर्णय लिया गया है।

सादर

भवदीय

16.27 इस प्रकार, याचिका के जवाब में दूरस्थ शिक्षा परिषद का रुख यह है कि उसने पाया कि 23 अध्ययन केंद्र, जैसा कि आईएएसई-संस्थानों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में दावा किया गया है, मौजूद नहीं हैं, जैसा कि विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा रिपोर्ट किया गया है। इसके अलावा, 20 अध्ययन केंद्रों में बहुत खराब बुनियादी ढांचा पाया गया जो शिक्षा प्रदान करने के लिए शायद ही उपयुक्त हो।

16.28 यू. जी. सी. द्वारा दिनांकित 09.08.2005 का सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था, जिसे नीचे दिया गया हैः-

"विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुर शाह जफर मार्ग

नई दिल्ली-110,002

एफ-6-9/2004 (सीपीपी-I) 9 अगस्त, 2005

विषयः मानित विश्वविद्यालयों के अध्ययन केंद्रों की गैर-मान्यता- (i) जे. आर. एन. राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर (ii) इलाहाबाद कृषि संस्थान (ए. ए. आई.), इलाहाबाद और (iii) आई. ए. एस. ई. गांधी विद्या मंदिर (आई. ए. एस. ई.) (मानित विश्वविद्यालय), सरदारशहर, राजस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को मानित विश्वविद्यालयों के अध्ययन केंद्रों, विशेष रूप से (i) जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ (मानित विश्वविद्यालय), उदयपुर (ii) इलाहाबाद कृषि संस्थान (मानित विश्वविद्यालय), इलाहाबाद (iii) गांधी विद्या मंदिर (आई. ए. एस.) के शिक्षा में उन्नत अध्ययन संस्थान (आई. ए. एस.) के बारे में स्पष्टीकरण मांगने वाले व्यक्तियों और संगठनों से बड़ी संख्या में पत्र प्राप्त हो रहे हैं।

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि (i) जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ (मानद विश्वविद्यालय), उदयपुर (ii) इलाहाबाद कृषि संस्थान (मानद विश्वविद्यालय), इलाहाबाद (iii) इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन ऑफ गांधी विद्या

मंदिर (आई. ए. एस. ई.) (मानद विश्वविद्यालय), सरदारशहर, राजस्थान को भारत सरकार द्वारा यू. जी. सी. अधिनियम 1956 की खंड 3 के तहत मानद विश्वविद्यालय घोषित किया गया है।

इन संस्थानों को यू. जी. सी. अधिनियम 1956 की खंड 22 के तहत यू. जी. सी. द्वारा निर्दिष्ट डिग्री प्रदान करने का अधिकार है। हालांकि उपरोक्त तीन मानद विश्वविद्यालयों को एक कॉलेज/संस्थान से संबद्ध करने की अनुमति नहीं दी गई है। इन संस्थानों को दूरस्थ शिक्षा परिषद/यूजीसी द्वारा अब तक दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केंद्र के माध्यम से कोई भी पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति नहीं दी गई है।

यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि दूरस्थ शिक्षा पद्धति के तहत प्रस्तावित पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए दूरस्थ शिक्षा परिषद, इग्नू परिसर, नई दिल्ली-110 067 की पूर्व मंजूरी भी आवश्यक है।

यह सभी संबंधित लोगों की जानकारी के लिए है कि कोई भी मानद विश्वविद्यालय यू. जी. सी. और राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना अध्ययन केंद्र/फ्रेंचाइजी शुरू नहीं कर सकता है। निजी फ्रेंचाइजी की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, दूरस्थ मोड द्वारा से किसी भी यू. जी. सी. अनुमोदित डिग्री पाठ्यक्रम को शुरू करने के लिए, दूरस्थ शिक्षा परिषद की पूर्व मंजूरी अनिवार्य है।

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे डीम्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते समय इन बातों का ध्यान रखें।

(वी. के. जयस्वाल)

अवर सचिव

फोन 011-23235640

प्रकाशन अधिकारी

यूजीसी वेबसाइट

नई दिल्ली "

16.29 फिर भी, डी. ई. सी. द्वारा आई. ए. एस. ई. को उसके द्वारा प्रस्तावित किए जा रहे विभिन्न अस्थायी पाठ्यक्रमों के लिए विभिन्न सक्षम अधिकारियों से वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करने और डी. ई. सी. को प्रस्तुत करने के लिए चेतावनी दी गई थी। उक्त पत्र नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"प्रोफेसर एस. सी. गर्ग

उप-कुलपति

आइजी/पी वी सी/05

11 अगस्त, 2005

प्रिय मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) शर्मा जी,

इसमें हमारे 27 जुलाई, 2005 के पत्र के जवाब में 1 अगस्त, 2005 के आपके पत्र का संदर्भ है। जैसा कि जब आप मेरे कार्यालय में आए थे तब आपको व्यक्तिगत रूप से बताया गया था, आपको फ्रेंचाइज़िंग को पूर्ववत करना होगा और प्रस्तावित विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए वैधानिक प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। इसकी प्राप्ति पर, डीईसी आपके अनुरोध पर समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की पूर्ति के अधीन कार्रवाई करेगा।

इस संबंध में, मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूंगा कि राजपत्र अधिसूचना, जिसकी एक प्रति आपको हाथ से दी गई थी, में यह निर्धारित किया गया है कि दूरस्थ मोड द्वारा से प्रस्ताव पर कोई भी कार्यक्रम सरकारी रोजगार के लिए मान्य नहीं माना जाएगा, जब तक कि इसे डी. ई. सी. द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

इसलिए, आपसे फ्रेंचाइजी संस्थानों की अधिसूचना रद्द करने के बाद अध्ययन केंद्रों की सूची फिर से जमा करने का अनुरोध किया जाता है, जैसा कि हमारे 27 जुलाई, 2005 के पत्र में संकेत दिया गया है। मुझे आशा है कि आप शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए डी. ई. सी. द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए सभी गंभीर प्रयास करेंगे।

सादर

भवदीय

(एस. सी गर्ग)"

16.30 यूजीसी द्वारा पूर्व दिनांक 09.08.2005 की तर्ज पर दिनांक 23.08.2005 को एक और सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी।

16.31 ऐसा प्रतीत होता है कि आईएएसई ने निर्भीकतापूर्वक दूरस्थ माध्यम से विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों की पेशकश जारी रखी है, जैसा कि यूजीसी द्वारा लिखे गए दिनांक 26.10.2005 के पत्र से पता चलता है, जिसके तहत इसे दूरस्थ शिक्षा मोड और देश के प्रत्येक राज्य में प्रत्येक केंद्र के स्थान के नाम को इंगित करने वाले नियमित मोड के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या (पाठ्यक्रम-वार और वर्ष-वार) को इंगित करने के लिए कहा गया था। उक्त पत्र का जवाब आईएएसई द्वारा दिनांक 15.11.2005 के पत्र के माध्यम से दिया गया था, जिसमें खुलासा किया गया था कि पूरे भारत में लगभग सभी राज्यों में इसके 216 केंद्र हैं, जिनमें शैक्षणिक वर्ष 2004-05 के लिए 28,377 छात्र बी.टेक, एम.टेक, एमएससी एमबीए, एमसीए, फार्मेसी, बीए, एमए, बी.कॉम, बीएससी, बीबीए सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया हैं। इसके बाद, यू. जी. सी./डी. ई. सी. के कहने पर, आई. ए. एस. ई. ने निर्धारित प्रारूप में जानकारी प्रदान की और उसी के अवलोकन से पता चलता है कि एक वर्ष की अवधि के भीतर, इसने

दूरस्थ मोड द्वारा से शिक्षा प्रदान करने के लिए यू. जी. सी. की मंजूरी के बिना पूरे भारत में 50 विस्तार केंद्रों सहित 600 अध्ययन केंद्र स्थापित किए थे।

16.32 उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने पर, यू. जी. सी. ने निम्नलिखित आदेश दिनांक 17.11.2005 पारित कियाः

"रजिस्ट्रार,
गांधी विद्या मंदिर का इंस्टीट्यूट ऑफ
एडवांस्ड स्टडीस (आई. ए. एस. ई.)
(मानद विश्वविद्यालय)
सरदारशहर-331401 (राजस्थान)

विषयः गांधी विद्या मंदिर (आईएएसई) (डीम्ड यूनिवर्सिटी) सरदारशहर (राजस्थान) के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम/अध्ययन केंद्रों की गैर-मान्यता

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर आपके पत्र संख्या आईएएसई डीयू/डीई/ दिल्ली कैंप/03/2004 दिनांक 14 सितंबर 2004 का संदर्भ लेने और यह कहने का निर्देश हुआ है कि दूरस्थ शिक्षा परिषद, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम को विनियमित करने के लिए नामित वैधानिक निकाय है। देश के विश्वविद्यालयों ने गांधी विद्या मंदिर (आईएएसई) डीम्ड विश्वविद्यालय, सरदारशहर के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और अध्ययन केंद्रों का मूल्यांकन किया है और अपने पत्र संख्या एफडीईसी/1835 दिनांक 27.6.2005 के अनुसार निष्कर्ष निकाला है।

"डीईसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर दूरस्थ शिक्षा परिषद, इग्नू, नई दिल्ली ने संस्थान को सूचित किया है कि अध्ययन केंद्रों पर बुनियादी ढांचे और वितरण तंत्र का मूल्यांकन किया गया था... यह देखा गया है कि प्रस्तुत दस्तावेजों में दावा किया गया है कि 23 अध्ययन केंद्र आपके संस्थान अस्तित्व में ही नहीं थे जैसा कि विजिटिंग विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा बताया गया है। इसके अलावा 20 अध्ययन केंद्रों में बहुत खराब बुनियादी सुविधाएं हैं जो शिक्षा प्रदान करने के लिए शायद ही उपयुक्त हैं।

जैसा कि आप जानते हैं, एक अध्ययन केंद्र दूरस्थ माध्यम से कार्यक्रमों के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सहकर्मी-संवाद और छात्र सहायता के लिए एक नोडल केंद्र के रूप में कार्य करता है। आप इस बात से सहमत होंगे कि इन सुविधाओं की कमी न केवल शिक्षार्थी के प्रदर्शन पर बल्कि ओडीएल प्रणाली की प्रतिष्ठा पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आपके संस्थान के कार्यक्रमों को मंजूरी नहीं देने का निर्णय लिया गया है।

आईएएसई, सरदारशहर को संबोधित डीईसी (इग्नू) के पत्र संख्या एफ.डीईसी/1835 दिनांक 27.6.2005 की एक प्रति संलग्न है।

डीम्ड विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्रों/दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम की गैर-मान्यता की स्थिति यूजीसी वेबसाइट पर दिनांक 9.8.2005 और 23.8.2005 के नोटिस के माध्यम से भी पोस्ट की गई है (प्रतियां संलग्न हैं)

उपरोक्त के मद्देनजर, यूजीसी को आईएएसई, सरदारशहर द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले दूरस्थ शिक्षा मोड के तहत संचालित अध्ययन केंद्रों/विस्तार केंद्रों/शैक्षणिक केंद्रों के

लिए पूर्वव्यापी मंजूरी देने में असमर्थता पर खेद है। तदनुसार, आपको दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत ऐसे सभी अध्ययन केंद्रों/विस्तार केंद्रों/शैक्षणिक केंद्रों को तुरंत बंद करने और यू. जी. सी. को अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया जाता है।

भवदीय

(डॉ. (श्रीमती) पंकज मित्तल)

संयुक्त सचिव"

16.33 दिनांक 10.05.2007 के एमओयू के अनुसार, यूजीसी, एआईसीटीई और डीईसी की संयुक्त समिति के गठन पर, यूजीसी ने दिनांक 12.05.2008 को एक पत्र के माध्यम से आईएएसई डीम्ड विश्वविद्यालय सहित सभी डीम्ड विश्वविद्यालयों को उनके दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अनुमोदन/पूर्व कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करने के लिए संयुक्त समिति से संपर्क करने के लिए सूचित किया। उक्त पत्र का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

"डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा दूरस्थ मोड के तहत संचालित पाठ्यक्रमों के लिए पूर्व-कार्योत्तर अनुमोदन के आपके प्रस्ताव के संदर्भ में, मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश दिया जाता है कि भारत सरकार, एम. एच. आर. डी. ने 19 फरवरी, 2008 को एक बैठक बुलाई थी, जिसकी अध्यक्षता सचिव, उच्च शिक्षा विभाग ने की थी। यह निर्णय लिया गया कि दूरस्थ शिक्षा परिषद (पूर्व-कार्योत्तर सहित) द्वारा दी गई मंजूरी की समीक्षा की जानी चाहिए और मंजूरी पाठ्यक्रमों को दी जानी चाहिए न कि संस्थान को। दूरस्थ शिक्षा परिषद से यू. जी. सी., ए. आई. सी. टी. ई. और डी. ई. सी. के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में निहित प्रावधानों के अनुसार सख्ती से मंजूरी देने का भी अनुरोध

किया गया है। समझौता ज्ञापन के प्रासंगिक खंड को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> "संयुक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर, संयुक्त समिति द्वारा अनुमोदन पत्र जारी किया जा सकता है।पत्र में स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिएःइसे यू. जी. सी., ए. आई. सी. टी. ई. और डी. ई. सी. की मंजूरी प्राप्त है। पत्र पर सचिव, यू. जी. सी., सदस्य सचिव, ए. आई. सी. टी. ई. और निदेशक, डी. ई. सी. द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
>
> (एससी गर्ग)"

16.34 इसी तरह, जे. आर. एन. की समान रूप से खराब स्थिति, यदि बदतर नहीं है, तो जे. आर. एन. और यू. जी. सी. और डी. ई. सी./डी. ई. बी. के बीच आदान-प्रदान किए गए पत्राचार से प्रकट होती है। उदाहरण के लिए, यू. जी. सी. द्वारा जे. आर. एन. को 27.07.2004 12 दिनांकित केवल एक पत्र का उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है, जो पर्याप्त होना चाहिएः

> "1. आयोग ने 5 मई, 2003 के अपने सम संख्या पत्र और 6 अगस्त, 2003 और 13 अक्टूबर, 2003 के बाद के अनुस्मारकों के माध्यम से विद्यापीठ से अपने अध्ययन केंद्रों का विवरण जमा करने का अनुरोध किया था। इसके जवाब में विद्यापीठ ने अपने पत्र संख्या आरवीयू/वीसी/ 2004-2005/26 दिनांक 2 अप्रैल, 2004 के माध्यम से 517 केंद्रों की एक सूची प्रस्तुत की, लेकिन यूजीसी, वैधानिक परिषदों और संबंधित राज्य सरकारों के अनुमोदन के बारे में कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया। और न ही विद्यापीठ ने इन केंद्रों में प्रदान की गई

बुनियादी सुविधाओं, संकाय आदि के बारे में कोई जानकारी प्रस्तुत की।

5. आयोग को कई शिकायतें मिल रही हैं कि राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर अध्ययन केंद्रों के माध्यम से कंप्यूटर साइंस, बिजनेस स्टडीज, पैरामेडिकल स्टडीज और फिजियोथेरेपी आदि सहित विभिन्न विषयों में पूरे देश में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम पेश करने में लगा हुआ है जहां शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा नहीं है।

6. इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 11 जून, 2004 द्वारा विद्यापीठ को एक चेतावनी भी जारी की गई थी कि दिशानिर्देशों में निहित निर्देशों के उल्लंघन में प्रदान की गई डिग्रियों को अनिर्दिष्ट माना जाएगा और विद्यापीठ को यूजीसी अधिनियम, 1956 के प्रासंगिक प्रावधान के तहत दंडनीय बनाया जाएगा। ।

7. राजस्थान विद्यापीठ द्वारा दूरस्थ मोड में खोले गए अध्ययन केंद्र/परिसर के बाहर के केंद्र यू. जी. सी. की पूर्व मंजूरी के बिना हैं।

8. विद्यापीठ दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के विवरण प्रस्तुत करने पर चुप है और न ही दूरस्थ शिक्षा परिषद और यू. जी. सी. की विशिष्ट मंजूरी संलग्न की है।

9. यह इंगित किया जा सकता है कि जब तक विद्यापीठ वैधानिक निकायों द्वारा निर्धारित संकाय और बुनियादी ढांचे के संदर्भ में पूरी तरह से तैयार नहीं होता है, तब तक कोई भी

स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम शुरू करना वांछनीय नहीं होगा।"

17. यहां संस्थानों को संबोधित नियामक निकायों के कुछ आदेश/पत्र और कई रिट याचिकाएं दायर करके याचिकाओं के इस समूह में लगाए गए कुछ बहुत प्रासंगिक और स्वयं व्याख्यात्मक हैं। त्वरित संदर्भ के लिए उन्हें बाद में यहां भी निकाला गया है:-

17.1 एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4761/2009: - आक्षेपित कारण बताओ नोटिस दिनांक 17.04.2009 को यहां नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"No.F.13-35/2008-U.3 (A)

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्च शिक्षा विभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115

तारीखः17 अप्रैल, 2009

<u>नोटिस</u>

विषयः इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन (आई. ए. एस. ई.), सरदारशहर, राजस्थान के खिलाफ पूछताछ।

चूँकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ इन एजुकेशन (IASE), सरदारशहर, राजस्थान को केंद्र सरकार द्वारा इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या F.9-29/2000-U.3 दिनांक 25.06.2002 के माध्यम से 'संस्थान डीम्ड-टू-बी-यूनिवर्सिटी' घोषित किया गया था, जिसे इसके बाद 'अधिसूचना' के रूप में जाना जाएगा;

2. और जबकि, अधिसूचना के समय, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ इन एजुकेशन, जिसे इसके बाद 'आईएएसई' के रूप में जाना जाता है, केवल शिक्षा में पाठ्यक्रम, अर्थात् बी.एड, एम.एड और पीएच.डी. संचालित कर रहा था;

3. और क्योंकि, 'अधिसूचना' में निर्दिष्ट किया गया था कि 'मानित विश्वविद्यालय' का दर्जा आई. ए. एस. ई. को इस शर्त के अधीन दिया गया था कि संस्थान समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू. जी. सी.) के दिशानिर्देशों/निर्देशों का पालन करेगा जो 'मानित विश्वविद्यालयों' पर लागू होते हैं।

4. और जबकि, भारत सरकार के ध्यान में यह आया है कि आईएएसई द्वारा निम्नलिखित शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं:

• नियमित रूप में -

क) सामान्य (एम कॉम, एमए, बीए, एमएससी, बीएससी);

ख) शिक्षा (पी एच डी, एम एड, एम ए शिक्षा, बी एड, एस टी सी, एन टी टी, शिक्षा शास्त्री);

ग) महिला महाविद्यालय (बीएससी, बीएससी गृह विज्ञान, बीए, एमएससी गृह विज्ञान);

घ) प्रबंधन (एमबीए, बीबीए);

ड़) सूचना प्रौद्योगिकी (एमसीए, बीसीए, एमएससी आईटी, बीएससी आईटी, पीजीडीसीए);

च) इंजीनियरिंग (बी ई मैकेनिकल) बी ई इलैक्ट्रिकल बी ई ई सी ई, बी ई कम्प्युटर साइन्स बी टेक जैव सूचना विज्ञान, बी टेक जैव प्रौद्योगिकी):

छ) जीवन विज्ञान (एमएससी बायोटेक, एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बीएससी बायोटेक, बीएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स);

ज) पैरामेडिकल विज्ञान (बी पी टी, डी पी टी, डी एम एल टी, डी आर आई टी, सी एम एल टी); और

झ) पशु चिकित्सा विज्ञान (डी एल एस ए, सी वी ए एस)।

डिस्टेंस एजुकेशन मोड में -

क) इंजीनियरिंग डिप्लोमा (डी सी ई, डी एम ई, डी ई ई, डी ई सी ई, डी सी एस, एम ई/सी ई/ई ई/ई सी ई/सी एस में डिप्लोमा तीसरे सेमेस्टर में पार्श्व प्रविष्टि);

ख) सूचना प्रौद्योगिकी (एम सी ए, एम सी ए पार्श्व प्रविष्टि 3 और 5 वीं सेमेस्टर, एम एस सी आई टी, एम एस सी सी एस, पार्श्व प्रवेश तीसरा सेमेस्टर, पी जी डी सी ए, पी जी डी सी एस, पी जी डी आई टी, बी सी ए, पार्श्व प्रवेश तीसरा सेमेस्टर, बी एस सी आई टी, पार्श्व प्रवेश तीसरा सेमेस्टर, डी सी ए, डी आई टी);

ग) प्रबंधन (एम बी ए, एम बी ए एफ, एम बी ए एच आर, एम बी ए आई आर एम, एम बी ए आई टी, एम बी ए डी एम, एम बी ए पार्श्व प्रवेश तीसरा सेमेस्टर, पी जी डी एम, पी जी डी आर एम, पार्श्व प्रवेश दूसरा सेमेस्टर, बी बी ए);

घ) होटल प्रशासन (पी जी डी एच ए एच, बी एच ए एच, पार्श्व प्रवेश तीसरा और पांचवां सेमेस्टर, ए डी एच ए एच, पार्श्व प्रवेश तीसरा सेमेस्टर, डी एच ए एच);

ड़) आयुर्वेद और योग (डी ए पी, बी वाई एन, एम ए पी एच ई, एम ए वाई एच ई, एम एस सी वाई एच ई, पार्श्व प्रविष्टि तीसरा सेम., पी जी डी वाई एच ई, डी वाई एच ई);

च) पैरामेडिकल (डी पी टी, पार्श्व प्रविष्टि तीसरी सेमेस्टर, सी पी टी, बी एम एल टी, बी आर आई टी, पार्श्व प्रविष्टि तीसरी और पांचवीं सेमेस्टर, डी एम एल टी, डी आर आई टी पार्श्व प्रविष्टि तीसरी सेमेस्टर, सी एम एल टी, सी आर आई टी);

छ) पशु चिकित्सा विज्ञान (वीएलडीए, डीवीपी);

ज) विज्ञान (बीबीटी, बीबीआई);

झ) फैशन और इंटीरियर डिजाइनिंग (बी. एफ. डी., बी. आई. डी., लेटरल एंट्री 3 और 5 वीं सेमेस्टर। ए. डी. एफ. डी., ए. डी. आई. डी., पार्श्व प्रविष्टि 3 वां सेम., डी. एफ. डी., डी. आई. डी.);

ट) पारंपरिक (एमएएच, एमएई, एमएईडी, एमएसडब्ल्यू, एमकॉम, बीकॉम, अतिरिक्त विषय के साथ बीए, बीए जनरल);

ठ) व्यावसायिक (सी. सी. ए., सी. सी. एच. टी., सी. ई. सी., सी. डी. एम., सी. एफ. एम., सी. डब्ल्यू. एम., सी. आर. ए. आर)

5. और जबकि, आईएएसई द्वारा राजस्थान के सरदारशहर स्थित अपने परिसर में नियमित मोड के साथ-साथ अपने विभिन्न अध्ययन केंद्रों के माध्यम से दूरस्थ मोड में गैर-अनुमोदित शैक्षणिक पाठ्यक्रम संचालित करने के बारे में कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं; और विशेष रूप से ऐसी शिकायतें थीं -

क. जबकि आईएएसई, सरदारशहर को केवल बीएड, एमएड, पीएचडी (शिक्षा) और बीए, एमए, बी कॉम, एम कॉम, बीएससी, एमएससी जैसे नियमित पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति दी गई थी, संस्थान दूरस्थ शिक्षा के तहत 77 पाठ्यक्रम और नियमित मोड में 22 पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। इसके अलावा, आईएएसई एआईसीटीई की मंजूरी के बिना एमबीए, बीटेक और अन्य इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है (शिकायतकर्ता - भंवरलाल शर्मा, विधायक, राजस्थान विधानमंडल)

ख. आईएएसई 1500 केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से अवैध शिक्षा गतिविधियों का संचालन कर रहा है और छात्रों को आईएएसई द्वारा

धोखा दिया जाता है। शिकायत के साथ भारतीय प्रबंधन अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर) (आईएएसई सरदारशहर के समान प्रबंधन के तहत चलने वाला संस्थान) के अवसादग्रस्त छात्रों द्वारा आत्महत्या की कोशिश और यूजीसी द्वारा आईआईएमआर की मान्यता रद्द करने की प्रतियां संलग्न की गईं।(शिकायतकर्ता- प्रोफेसरहरस्वरूप सिंह चौधरी)

ग) आईएएसई को 2002 में "डीम्ड-टू-बी-यूनिवर्सिटी" का दर्जा दिया गया था और यूजीसी द्वारा इसे केवल बी एड, एम एड और पीएचडी (शिक्षा) पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन डीम्ड विश्वविद्यालय यूजीसी की मंजूरी के बिना एम फिल (शिक्षा) और इंजीनियरिंग, प्रबंधन, जीवन विज्ञान, विज्ञान, कला, पैरामेडिकल और पशु चिकित्सा विज्ञान में कई अन्य पाठ्यक्रम का संचालन करता है। आईएएसई यूजीसी की मंजूरी के बिना दूरस्थ मोड में पाठ्यक्रम संचालित करता है। डीईसी द्वारा 2005 तक दी गई मंजूरी (पोस्ट फैक्टो) यूजीसी की मंजूरी के बिना अर्थहीन है। अपने दिशानिर्देशों के पालन के संबंध में यूजीसी के नोटिस में कहा गया है कि ऐसा न करने पर "डीम्ड विश्वविद्यालयों" द्वारा दी गई डिग्री वैध नहीं है। इसके अलावा, आई. ए. एस. ई. ने राजस्थान सरकार को पुष्टि की है कि उसे यू. जी. सी. द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों की सूची के अनुरूप पाठ्यक्रम प्रदान करने का अधिकार है, हालांकि, बी. एड., एम. एड. और पी. एच. डी. (शिक्षा) को छोड़कर उसके द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रम यू. जी. सी. द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों की सूची में शामिल नहीं हैं।(शिकायतकर्ता- राजेंद्र सिंह भाटी)

घ. विभिन्न धाराओं में प्रवेश के संबंध में आई. ए. एस. ई. द्वारा कोई सटीक प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है क्योंकि सभी

पाठ्यक्रमों या किसी भी प्रवेश परीक्षा में कोई निर्धारित कट-ऑफ अंक नहीं होते हैं। आंतरिक मूल्यांकन (अंकन प्रणाली) दोषपूर्ण है क्योंकि जो छात्र कक्षाओं से दूर रहते हैं, उन्हें नियमित रूप से कक्षा में जाने वालों की तुलना में बहुत बेहतर अंक मिलते हैं। आई. ए. एस. ई. की अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रयोगशाला नहीं है और कंप्यूटर प्रयोगशाला अभी भी विकसित नहीं हुई है। विश्वविद्यालय में शिक्षकों की आवश्यक संख्या की कमी के कारण एमबीए पाठ्यक्रमों के साथ बीबीए पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।(आई. ए. एस. ई. में नियमित धारा के शिकायतकर्ता छात्र);

6. और जबकि, केंद्र सरकार को जमीनी स्थिति से अवगत कराने के लिए, मंत्रालय (उच्च शिक्षा ब्यूरो और एकीकृत वित्त प्रभाग), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), दूरस्थ शिक्षा परिषद (यूजीसी), (डीईसी) के अधिकारियों और राजस्थान सरकार (शिक्षा विभाग) का एक प्रतिनिधि के साथ एक तथ्य-खोज टीम का गठन किया गया था। ताकि (i) आईएएसई द्वारा प्रस्तावित विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों का ऑन-द-स्पॉट मूल्यांकन हो और (ii) इन कार्यक्रमों के संचालन के दौरान आईएएसई द्वारा मानदंडों और मानकों का प्रवर्तन सुनिश्चित हो;

7. और जबकि, तथ्यान्वेषी टीम ने 15 और 16 जनवरी, 2009 को आईएएसई, सरदारशहर, राजस्थान का दौरा किया और विज्ञान और इंजीनियरिंग (पुस्तकालय, कक्षाओं और प्रयोगशालाओं सहित), कला और शिक्षा विभागों का दौरा किया। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय ने प्रताप छात्रावास में संकाय सदस्यों (शिक्षा), विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रबंधन के छात्रों और आईएएसई के कुलपति, निदेशक, रजिस्ट्रार आदि के साथ चर्चा की और साथ ही एफ क्रमांक 9-

29/2000-यू3 ए(पीटी) दिनांक 13/1/2009; में संचार के माध्यम से आवश्यक विवरण एकत्र किए।

8. और जबकि, तथ्यान्वेषी टीम ने 20 मार्च, 2009 को भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) को अपनी रिपोर्ट सौंपी और उक्त रिपोर्ट के प्रासंगिक भाग की एक प्रति और एक प्रति दिनांक 25.6.2002 की अधिसूचना इस नोटिस के साथ संलग्न है;

9. और जबकि, तथ्य-खोज दल ने अन्य बातों के साथ साथ निम्नानुसार अवलोकन किया हैः

• आई. ए. एस. ई. में अनुभवहीनता/कम अनुभवी संकाय सहित न्यूनतम सुविधाएं हैं।

• संस्थान अध्ययन केंद्रों के माध्यम से दूरस्थ मोड के तहत कई पाठ्यक्रम चलाता है (उनमें से कई नियमित मोड के तहत पेश नहीं किए जाते हैं)।

• अध्ययन केंद्रों की तुलना में संस्थान द्वारा अपनाए गए राजस्व-साझाकरण पैटर्न से पता चलता है कि संस्थान इन अध्ययन केंद्रों में नामांकित छात्रों से एकत्र की गई फीस का मुश्किल से 30-40% रखता है, जबकि अध्ययन केंद्रों को 60- 70% दिया जाता है।

• संस्थान स्पष्ट रूप से "फ्रेंचाइजी" में लिप्त है, जिसकी यू. जी. सी. और डी. ई. सी. दोनों के प्रासंगिक दिशानिर्देशों/शर्तों के अनुसार अनुमति नहीं है।

10. इसलिए, अब इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन, सरदारशहर, राजस्थान (आईएएसई) को यह नोटिस जारी किया गया है, जिसमें तथ्यान्वेषी टीम के निष्कर्षों/टिप्पणियों पर

अपना स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है। और इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि में कारण बताएं कि केंद्र सरकार उक्त अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन करने के लिए आईएएसई को 'डीम्ड-टू-बी-यूनिवर्सिटी' संस्थान घोषित करने वाली अधिसूचना संख्या 9-29/2000-यू.3 दिनांक 25.06.2002 को वापस क्यों नहीं ले सकती है? यदि निर्धारित समय के भीतर स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होते हैं, तो यह माना जाएगा कि आई. ए. एस. ई. के पास प्रस्तुत करने के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं है, और अधिसूचना को वापस लेने के लिए आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

संलग्नः उपर्युक्त

(उपमन्यु बसु)

निदेशक (एन. सी. आर)

टेलीफैक्स-23387538

ईमेल- ubasu.edu@nic.in..

कुलपति,

इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन

गांधी विद्या मंदिर,

सरदारशहर, जिला चुरू, राजस्थान-331 401 "

17.2 एस. बी. सिविल रिट याचिका No.6155/2009:- 14.05.2009 दिनांकित आक्षेपित पत्र/आदेश/सूचना नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैः

"क्रमांक एफ.-6-25/2008 (सीपीपी-I)

कुलपति

इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीस इन एडुकेशन
(मानद विश्वविद्यालय)
गांधी विद्या मंदिर
सरदारशहर, जिला-चुरू,
राजस्थान-331 401।

विषय: भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित तथ्य खोज दल की रिपोर्ट।

श्रीमान

जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने (i) आईएएसई द्वारा प्रस्तावित विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों का मौके पर मूल्यांकन करने के लिए और (ii) आई. ए. एस. ई. द्वारा इन कार्यक्रमों का संचालन करते समय मानदंडों और मानकों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक तथ्यान्वेषी टीम का गठन किया है। तथ्य खोज दल ने 15 और 16 जनवरी, 2009 को मानद विश्वविद्यालय का दौरा किया और भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए रिपोर्ट की एक प्रति यू. जी. सी. को भी भेजी गई है। समिति की सिफारिशों पर यू. जी. सी. के अध्यक्ष द्वारा विचार किया गया है और इन सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:-

नियमित पद्धति द्वारा से प्रस्तावित कार्यक्रम

1. आई. ए. एस. ई. मानित विश्वविद्यालय को केवल शिक्षा के उस विषय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसके लिए वर्ष 2002 में संस्थान को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था।

तदनुसार, यह केवल बी. एड, एम. एड और शिक्षा मे पी. एच. डी. चला सकता है।

2. मानित विश्वविद्यालय को शैक्षणिक वर्ष 2009-10 के बाद से शिक्षा के अलावा कोई अन्य पाठ्यक्रम संचालित नहीं करना चाहिए।

3. वर्तमान में शिक्षा में बी एड, एम एड और पीएचडी के अलावा विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित सभी छात्रों को राजस्थान राज्य सरकार के परामर्श से तैयार किए जाने वाले तौर-तरीकों के अनुसार नजदीकी कॉलेजों / विश्वविद्यालयों में स्थानांतरित किया जा सकता है।

डिस्टेंस मोड द्वारा से प्रस्तावित कार्यक्रम:

1. आईएएसई डीम्ड विश्वविद्यालय को शैक्षणिक वर्ष 2009-10 के बाद से अपने मुख्यालय या अपने किसी भी अध्ययन केंद्र के माध्यम से कोई भी पाठ्यक्रम संचालित नहीं करना चाहिए।

2. डीईसी द्वारा दी गई मंजूरी की अवधि के दौरान वर्तमान में विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित सभी छात्रों को यूजीसी-डीईसी-एआईसीटीई संयुक्त समिति की मंजूरी के बाद ऐसे कार्यक्रमों के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने कार्यक्रमों को पूरा करने की अनुमति दी जा सकती है।

मानित विश्वविद्यालय को सलाह दी जाती है कि वह यू. जी. सी. और भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सूचित करते हुए तदनुसार कार्रवाई करे।

भवदीय

(एस. सी. चड्ढा)

उप सचिव"

17.3 एस. बी. सिविल रिट याचिका No.13900/2013:- 19.08.2013 दिनांकित आक्षेपित पत्र/आदेश/सूचना नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैः

"विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो

डी. ई. सी. भवन, इग्नू परिसर, मैदान गढ़ी,

नई दिल्ली 110068

टेलीफ़ोन 091-11-29533340,29572634

फ़ैक्स - +91-11-29536668

F.No.UGC/DEB/JRN/RJ/RecogI/2012/1130-1132

तारीखः19 अगस्त, 2013

सेवा मेँ,

कुलपति

जे. आर. एन. राजस्थान विद्यापीठ

(मानद विश्वविद्यालय) एयरपोर्ट रोड, प्रताप नगर

उदयपुर-313001

राजस्थान

विषयः जे. आर. एन. राजस्थान विद्यापीठ (मानद विश्वविद्यालय) से मान्यता जारी रखने का प्रस्ताव प्राप्त नहीं होना।

महोदय/महोदया,

1. डीईसी पत्र एफ संख्या DEC/JRN/RJ/Recog./2012/14324-14326, दिनांक 28/08/2012 का संदर्भ आमंत्रित किया गया है जिसके तहत आपके विश्वविद्यालय को एक शैक्षणिक वर्ष यानी 2012-13 की अवधि के लिए दूरस्थ मोड के माध्यम से कार्यक्रम

पेश करने के लिए मान्यता प्रदान की गई थी जो कि पूर्ववर्ती दूरस्थ शिक्षा परिषद के निर्णय के अनुसार, दूरस्थ मोड के माध्यम से कार्यक्रम पेश करने के लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम के अधीन है।

2. इस संबंध में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से यू. जी. सी. को मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओ. डी. एल.) प्रणाली के नियामक कार्यों के हस्तांतरण के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 17 जून 2013 की अधिसूचना F.No.1-4/2013 (सी. पी. पी.-2) पर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है (प्रति संलग्न)। उसी के अनुसरण में, मान्यता जारी रखने से संबंधित मामले पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विचार करने की आवश्यकता है।

3. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आपके विश्वविद्यालय को दी गई मान्यता शैक्षणिक वर्ष 2012-13 तक थी जो समाप्त हो गया है। हालाँकि, इस कार्यालय को अभी तक मान्यता जारी रखने/नवीनीकरण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है जैसा कि पहले डीईसी पत्र एफ.सं. DEC/ JRN/RJ/Recog./2012/14324-14326, दिनाँक 28.08.2012 (प्रति संलग्न) में दर्शाया गया है। मामला सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा गया था जिसने निर्णय लिया है कि मान्यता के विस्तार के लिए अपना प्रस्ताव भेजने के लिए संस्थान को अनुस्मारक भेजा जा सकता है। तदनुसार, यदि आपका विश्वविद्यालय दूरस्थ मोड द्वारा से कार्यक्रमों की पेशकश करने का इच्छुक है, तो आप इस पत्र की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर उपरोक्त प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

भवदीय

(डी सी शर्मा)

उप निर्देशक

प्रति :

1. निदेशक, डीडीई, जेआरएन राजस्थान विद्यापीठ (मानद विश्वविद्यालय), एयरपोर्ट रोड, प्रताप नगर, उदयपुर-313001, राजस्थान।

2. सदस्य सचिव, ए. आई. सी. टी. ई., 7 वीं मंजिल, चंद्रलोक भवन, जनपथ नई दिल्ली 110001।

3. सम्बन्धित फाइल।

4. मास्टर फाइल।

5. वेबसाइट को अद्यतन करने के लिए वेबमास्टर।"

17.4 एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5194/2014:- 30.04.2014 दिनांकित आक्षेपित पत्र/आदेश/सूचना नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैः

"विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो

डी. ई. सी. भवन, इग्नू परिसर, मैदान गढ़ी,

नई दिल्ली 110 068

F.No.UGC/DEB/JRN/RJ/Report/6391

तारीखः30 अप्रैल, 2014

सेवा में

कुलपति महोदय

जनार्दन राय नगर,

राजस्थान विद्यापीठ (मानद विश्वविद्यालय)

एयरपोर्ट रोड, प्रताप नगर

उदयपुर-313,001, राजस्थान

श्रीमान,

अधोहस्ताक्षरित व्यक्ति को यह सूचित करने का निर्देश दिया जाता है कि आपके विश्वविद्यालय को शैक्षणिक सत्र 2013-14

के लिए दूरस्थ मोड में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मान्यता जारी रखने की अनुमति नहीं दी गई है।

यह आपकी जानकारी के लिए है।

भवदीय

(डी सी शर्मा)

उप निर्देशक"

17.5 एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5531/2015:- 11.03.2015 दिनांकित आक्षेपित पत्र/आदेश/सूचना नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैः

"विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

(दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो)

35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली-110001

(www.ugc.ac.in/deb)

F.No.UGC/DEB/Tech|Edu./1/2015 दिनांकः11-03-2015

सार्वजनिक सूचना

ओ. डी. एल. मोड द्वारा इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में व्यावसायिक पाठ्यक्रम पर

पूर्ववर्ती दूरस्थ शिक्षा परिषद (डीईसी) ने पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय से निर्देश प्राप्त होने पर, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से कार्यक्रम प्रदान करने वाले सभी संस्थानों को वर्ष 2009-10 से दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से बीई/बी.टेक कार्यक्रम की पेशकश बंद करने के लिए लिखा था। .

2. 2010 और 2011 में भी ए. आई. सी. टी. ई. ने वास्तुकला, नगर नियोजन, फार्मेसी, होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी, अनुप्रयुक्त कला और शिल्प और प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी. जी. डी. एम.) सहित इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर दूरस्थ शिक्षा मोड द्वारा से प्राप्त योग्यताओं को मान्यता नहीं देने की अपनी नीति को अधिसूचित किया। इस प्रकार एआईसीटीई केवल दूरस्थ माध्यम से एमबीए और एमसीए कार्यक्रमों को मान्यता देता है, बशर्ते इसे डीईसी और यूजीसी की संयुक्त समिति की मंजूरी मिली हो और मान्यता की स्थिति एआईसीटीई वेब पोर्टल पर अधिसूचित की गई हो।

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पूर्ववर्ती डी. ई. सी. के नियामक कार्य को संभालने के बाद और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा को विनियमित करने के लिए दिए गए जनादेश के अनुसार निर्णय लिया है किः

(i) विश्वविद्यालय/संस्थान माने जाने वाले किसी भी विश्वविद्यालय/संस्थान को यू. जी. सी. (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2014 को अंतिम रूप देने या देश में उच्च शिक्षा प्रणाली में ओ. डी. एल. शिक्षा से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण द्वारा प्रासंगिक विनियमों की अधिसूचना, जो भी पहले हो, तक एम. बी. ए. और एम. सी. ए. के अलावा इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रम की पेशकश नहीं करनी चाहिए।

(ii) यू. जी. सी./ए. आई. सी. टी. ई. उन विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों के खिलाफ

कार्रवाई करेगा जो ओ. डी. एल. मोड (एम. बी. ए. और एम. सी. ए. के अलावा) में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में पेशेवर पाठ्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।

4. यू. जी. सी. ने इस स्तर पर किसी भी विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रस्तावित ओ. डी. एल. कार्यक्रमों के लिए पूर्व-कार्योत्तर अनुमोदन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करने का भी निर्णय लिया है।

उपरोक्त जानकारी छात्रों और माता-पिता सहित सभी संबंधित लोगों की जानकारी के लिए है।

सचिव, यू जी सी"

17.6 एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7419/2015:- 04.06.2015 दिनांकित आक्षेपित पत्र/आदेश/सूचना नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैः

"विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली-110002

***

सार्वजनिक सूचना - जिला शिक्षा कार्यक्रम

एफ. नं. 11-5/2015 (DEB-III)

दिनाँक 04.06.2015

यू. जी. सी. के संज्ञान में आया है कि कुछ विश्वविद्यालय/मानद विश्वविद्यालय/संस्थान पूर्ववर्ती डी. ई. सी./यू. जी. सी. की नीति का घोर उल्लंघन करते हुए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओ. डी. एल.) मोड द्वारा से कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। ये विश्वविद्यालय/मानद विश्वविद्यालय/संस्थान यह कहते हुए भ्रामक विज्ञापन जारी कर रहे हैं कि उनके कार्यक्रम यू. जी. सी. द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

वर्तमान नीति के अनुसार, राज्य विश्वविद्यालय (सार्वजनिक और निजी दोनों) उस राज्य के बाहर अपना परिसर/अध्ययन केंद्र स्थापित नहीं कर सकते हैं जहां वे स्थापित किए गए हैं। और, राज्य के भीतर भी, निजी विश्वविद्यालयों को अपना अध्ययन केंद्र/परिसर के बाहर स्थापित करने के लिए यू. जी. सी. की पूर्व अनुमति लेनी होती है। इसी तरह, मानद विश्वविद्यालयों को अपने मुख्य परिसर के बाहर कोई भी परिसर केंद्र/अध्ययन केंद्र स्थापित करने के लिए यू. जी. सी. से पूर्व अनुमति लेनी होती है। यह उल्लेख करना उचित है कि किसी भी विश्वविद्यालय/संस्थान को इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में ओडीएल मोड के तहत डिप्लोमा/स्नातक/मास्टर स्तर के कार्यक्रमों की पेशकश करने की अनुमति नहीं है। प्रादेशिक क्षेत्राधिकार और ऑफ-कैंपस/अध्ययन केंद्रों के संबंध में यूजीसी की नीति को उसके सार्वजनिक नोटिस दिनांक 27.06.2013 में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, जिसे जनता की जानकारी के लिए यूजीसी वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि यू. जी. सी. ने अभी तक किसी भी विश्वविद्यालय/संस्थान को 'ऑनलाइन' कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए मान्यता नहीं दी है।

छात्रों, अभिभावकों और सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि मान्यता प्राप्त संस्थानों (पाठ्यक्रमों के साथ) की सूची, जिन्हें ओडीएल मोड के माध्यम से कार्यक्रम पेश करने की अनुमति है, यूजीसी की वेबसाइट पर पोस्ट की गई है और इसे www.ugc.ac.in/deb से देखा जा सकता है। उच्च शिक्षा के गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान से ओडीएल मोड द्वारा से प्राप्त योग्यताओं को न तो सरकारी सेवा में रोजगार के उद्देश्य से मान्यता दी जाएगी और न ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए।

सचिव, यू. जी. सी."

18. इस स्तर पर, आइए हम आईएएसई और जेआरएन दोनों के रास्ते में संभवतः सबसे महत्वपूर्ण पहलू और सबसे बड़ी बाधा यानी ओएलसीएल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ध्यान न दें। दोनों "मानित विश्वविद्यालय" यानी जेआरएन और आईएएसई उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न डिप्लोमा और डिग्री प्रमाणपत्रों के कारण कई मुकदमों के जटिल दौर में शामिल रहे हैं। चूँकि उपरोक्त योग्यताएँ कथित तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं थीं, इसलिए, विभिन्न उच्च न्यायालयों में चुनौती का विषय थीं। प्रमुख मामले दो हैं, एक उड़ीसा के उच्च न्यायालय में और दूसरा पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय में। जबकि उड़ीसा में विशिष्ट चुनौती जे. आर. एन. द्वारा प्रदान की गई बी टेक/ बी ई की स्नातक डिग्री के लिए थी, जबकि पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें जे. आर. एन. के साथ-साथ आई. ए. एस. ई. को प्रतिवादी के रूप में रखा गया था।

19. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका सीडब्ल्यूपी नंबर 1640/2008 के तहत करतार सिंह नाम के एक व्यक्ति ने दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि इन डीम्ड विश्वविद्यालयों ने यूजीसी द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते हुए "ऑफ-कैंपस केंद्र" और अध्ययन केंद्र स्थापित किए हैं। इन अध्ययन केंद्रों में विशेष रूप से इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रमों के लिए बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का पूरी तरह से अभाव है, यहां भी वही मामला है, अंतर केवल इतना है कि यहां तकनीकी के अलावा अन्य शिक्षा दी जाती है और एआईसीटीई के बजाय दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से यूजीसी में नियामक संस्था है। इसलिए निर्देश मांगे गए कि इन विश्वविद्यालयों से दूरस्थ शिक्षा से प्राप्त इंजीनियरिंग की डिग्री को अमान्य घोषित किया जाए।

19.1 पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय ने पी. आई. एल. को एक निर्णय दिनांक 06.11.2012 और उसके पैरा 184 के माध्यम से अनुमति दी।-

> "आयोग के निर्देशों के अनुसार, डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए एआईसीटीई से अनुमोदन लेना आवश्यक था। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि डीम्ड विश्वविद्यालयों ने आयोग द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों, निर्देशों, परिपत्रों और विनियमों का उल्लंघन करते हुए तकनीकी शिक्षा में पाठ्यक्रम शुरू किए हैं, न केवल जब उन्होंने ऐसे पाठ्यक्रम शुरू किए, बल्कि अपने बाहर अध्ययन केंद्र भी स्थापित किए। क्षेत्रीय सीमाएं और जिन विषयों के लिए उन्हें डीम्ड विश्वविद्यालय की अनुमति नहीं दी गई, वह एक अवैध कार्य है और ऐसी अवैधता को डीईसी आयोग के कार्यों से हटाया या ठीक नहीं किया जा सकता है।"

19.2 जबकि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने दूरस्थ शिक्षा माध्यम से प्राप्त इंजीनियरिंग की डिग्रियों को अमान्य घोषित कर दिया, लेकिन इसके विपरीत उड़ीसा के उच्च न्यायालय ने इसे यह कहते हुए मान्य कर दिया कि वे ऑफ कैंपस अध्ययन केंद्रों के माध्यम से डिप्लोमा धारक अधिकारियों की सेवा से प्राप्त की गई थीं। इस प्रकार दोनों न्यायालयों ने परस्पर विरोधी विचार रखे। जबकि उड़ीसा उच्च न्यायालय के फैसले को नियोक्ता यानी उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन ने चुनौती दी थी, जिसने डिप्लोमा धारकों की डिग्री को मान्यता देने से इनकार कर दिया था, जबकि डीम्ड विश्वविद्यालयों ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी।

20. उपरोक्त विभिन्न उच्च न्यायालयों की दोनों अपीलों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2017 की सिविल अपील संख्या 17869-70 शीर्षक

उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम रबी शंकर पात्रो और अन्य के रूप में दिए गए एक सामान्य निर्णय द्वारा किया गया था।

20.1 आइए पहले सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यू. जी. सी. द्वारा लिए गए रुख को देखें। तत्काल संदर्भ के लिए यूजीसी के अध्यक्ष श्री वेद प्रकाश द्वारा दायर हलफनामे 14 का उद्धरण (पैरा 19) इस प्रकार है:-

> "यह नोट करना उचित है कि 2010 डीम्ड यूनिवर्सिटी विनियमों को आम जनता के ध्यान में लाते समय, जिसमें सार्वजनिक सूचना संख्या एफ 27-1/2012 (सीपीपी-II), दिनांक 27-6-2013 (तत्काल हलफनामे में बाद में संलग्न और उद्धृत) शामिल है, यूजीसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि 'यूजीसी ने किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी संस्थान को अध्ययन केंद्र स्थापित करने की मंजूरी नहीं दी है। 'यह प्रासंगिक है क्योंकि, सबसे पहले, विश्वविद्यालय का दर्जा ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में शैक्षणिक कार्यक्रमों को प्रदान किया जाता है। इस मामले में, चार मानित विश्वविद्यालयों को निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्यक्रम प्रदान करने के लिए वह दर्जा प्रदान किया गया था:

क्रमांक	मानद विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त संस्थानों के लिए विशेषज्ञता का क्षेत्र
1	जेआरएन राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर, राजस्थान	सामाजिक कार्य, शिक्षा, कला और वाणिज्य

2	इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीस इन एडुकेशन, सरदारशहर, राजस्थान	शिक्षा
3	इलाहाबाद कृषि संस्थान, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	कृषि अभियांत्रिकी खाद्य एवं पोषण जैव प्रौद्योगिकी, डेयरी प्रौद्योगिकी
4	विनायक मिशन रिसर्च फाउंडेशन, सलेम, तमिलनाडु	चिकित्सा विज्ञान, दंत विज्ञान, नर्सिंग, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी और होम्योपैथी

फिर भी, विश्वविद्यालय माने जाने वाले तीन संस्थानों (अर्थात्, जेआरएन विद्यापीठ उदयपुर, राजस्थान; आईएएसई गांधी विद्या मंदिर, सरदारशहर, राजस्थान; और इलाहाबाद कृषि अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद, यूपी) ने अपने अधिदेश से आगे बढ़कर यूजीसी/एआईसीटीई की मंजूरी के बिना विशेषज्ञता के क्षेत्र से बाहर बी. ई./बी. टेक डिग्री प्रदान करने सहित दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए।दूसरे, दिनांक 9-8-2001 के पत्र (संलग्न और बाद में तत्काल हलफनामे में उद्धृत) के माध्यम से, यूजीसी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि निजी एजेंसियों/प्रतिष्ठानों के माध्यम से शिक्षा की फ्रेंचाइजी की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, यूजीसी एआईसीटीई और डीईसी ने कुलपतियों/संस्थानों के प्रमुखों को दिनांक 13-5-2003 को एक संयुक्त पत्र (तत्काल हलफनामे में बाद में संलग्न और उद्धृत) जारी किया है, जिसमें उनसे उनके संस्थान को उनके मुख्य परिसर के पड़ोस में या अधिक से अधिक राज्य के भीतर दूरस्थ शिक्षा वितरण की

प्रणाली/कार्यक्रम को सीमित करने के लिए कहा गया है। और, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यू. जी. सी. ने कहा है कि विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थान केवल अपने मुख्यालय के भीतर या उन परिसरों/अपतटीय परिसरों से काम कर सकते हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा से अनुमोदित किया गया है, हालांकि यू. जी. सी. ने किसी भी विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थान को मंजूरी नहीं दी है जो मुख्य रूप से फ्रैंचाइज़ व्यवस्था और अध्ययन केंद्रों द्वारा से दूरस्थ शिक्षा प्रदान करते हैं जो यू. जी. सी. की अनुमति से स्थापित नहीं हैं।

20.2 ओ. एल. सी. एल. के निर्णय की प्रासंगिकता निम्नानुसार हैः-

> 55. डीईसी का गठन करने वाली दिनांक 22.11.1991 की अधिसूचना के पैरा 3 से पता चलता है कि एआईसीटीई के किसी भी सदस्य या प्रतिनिधि के लिए कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। इग्नू अधिनियम के प्रावधानों से पता चलता है कि इग्नू अधिनियम में परिभाषित अध्ययन केंद्र इग्नू के हैं, किसी अन्य विश्वविद्यालय या संस्थान के नहीं। धारा 5 के उपखंड (v) के अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा की अवधारणा भी इग्नू के शैक्षणिक कार्यक्रमों के संबंध में है। इसमें निस्संदेह खंड (vii), (xiii) और (xxiii) के तहत अन्य विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करने की शक्तियां हैं, लेकिन इग्नू अधिनियम कहीं भी इग्नू को देश भर में दूरस्थ शिक्षा के पूरे क्षेत्र और अन्य विश्वविद्यालयों या संस्थानों के कार्यक्रमों के संबंध में भी नियंत्रक प्राधिकरण होने का अधिकार नहीं देता है। इसलिए एमएचआरडी द्वारा जारी आदेश दिनांक 29.12.2012 ने सही ढंग से सराहना की कि इग्नू अधिनियम के क़ानून 28 के तहत बनाया गया डीईसी अन्य विश्वविद्यालयों के

लिए नियामक के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। इस मामले की किसी भी स्थिति में, समय-समय पर जारी की गई नीति मार्गदर्शिकाओं में यह स्पष्ट किया गया था कि अकेले डी. ई. सी. को खुले में शिक्षण के लिए अनुमति देने का अधिकार नहीं था और हमेशा आवश्यक अधिकारियों से उचित अनुमति की आवश्यकता होती थी और उन पर जोर दिया जाता था।

ऐसे नीतिगत बयानों के बावजूद, डीईसी एआईसीटीई से परामर्श किए बिना ही अनुमतियां देता रहा। डीईसी की ओर से ऐसा अभ्यास पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना था।

x-x-x-x

57. कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करने की पूरी कवायद को गलत और अवैध पाए जाने के बाद, सामान्य परिस्थितियों में तार्किक पाठ्यक्रम न केवल इस तरह के कार्योत्तर अनुमोदनों को दरकिनार करना होता, बल्कि इंजीनियरिंग में डिग्री प्रदान करने वाले पाठ्यक्रमों के संबंध में इसके अनुसरण में दी गई सभी डिग्री को वापस लेने के लिए परिणामी निर्देश भी पारित करना होता। हालाँकि, चूंकि 2004 के यू. जी. सी. दिशानिर्देशों ने स्वयं संबंधित मानित विश्वविद्यालयों को कार्योत्तर अनुमोदन के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी थी, इसलिए इस मामले पर कुछ सहानुभूति के साथ विचार करने की आवश्यकता है ताकि शैक्षणिक सत्रों के दौरान नामांकित छात्रों के हितों की रक्षा की जा सके। यद्यपि हम इस तथ्य को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते कि संबंधित विश्वविद्यालयों ने खुलेआम उल्लंघन किया और उन क्षेत्रों में प्रवेश किया जहां उनके पास कोई अनुभव नहीं था और अवैध रूप से दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से पाठ्यक्रम संचालित करना शुरू कर दिया, संबंधित छात्रों की अत्यधिक रुचि हमें उक्त

पूर्व कार्योत्तर अनुमोदन के अनुसरण में दी गई इंजीनियरिंग में सभी डिग्री को वापस लेने का सहारा नहीं लेने के लिए राजी करती है। हालांकि, तथ्य यह है कि संबंधित अध्ययन केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं की कभी जांच नहीं की गई और न ही कोई निरीक्षण किया गया। इतने लंबे समय तक किसी भी निरीक्षण का आदेश देना संभव नहीं है। लेकिन संबंधित छात्रों की योग्यता के बारे में विश्वास और आश्वासन होना चाहिए। इसलिए हम संबंधित छात्रों को इस संबंध में सक्षम अधिकारियों द्वारा उनकी योग्यता का परीक्षण करने का कुछ मौका देना उचित समझते हैं। इसलिए हम निर्देश देते हैं कि शैक्षणिक वर्ष 2001 से 2005 के दौरान नामांकित छात्रों को दी गई इंजीनियरिंग की सभी डिग्री तब तक निलंबित रहेगी जब तक कि वे एआईसीटीई-यूजीसी की संयुक्त देखरेख में इस तरह की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेते। इसके अलावा, उस डिग्री के आधार पर हर एक लाभ भी निलंबित रहेगा।

x-x-x-x

60. ऊपर वर्णित तथ्यात्मक वर्णन कुछ बातों को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है। श्री वेद प्रकाश के शपथ पत्र से पता चलता है कि कैसे वर्तमान मामलों में बिना किसी अधिकार के पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी गई थी। एक ओर अधिकारी अपने नीतिगत बयानों की घोषणा कर रहे थे और दूसरी ओर शिकायतों के बावजूद वे अनुमति देने में लगे रहे। उनके आचरण और दृष्टिकोण को किसी भी तर्कसंगत आधार पर समझाना मुश्किल है और वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है। प्रथमदृष्टया हमारा विचार है कि संबंधित अधिकारियों के आचरण पर गौर करने और जांच करने की आवश्यकता है कि क्या उनके द्वारा

शक्ति का प्रयोग पूरी तरह से वास्तविक था या नहीं। हम उस ओर से कोई अंतिम राय व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन सीबीआई को मामले की गहन जांच करने और उसके समापन के बाद उचित कदम उठाने का निर्देश देते हैं।

61. रिकॉर्ड से आगे पता चलता है कि संबंधित मानद विश्वविद्यालयों को बार-बार चेतावनी जारी की गई थी। डॉ. राजीव धवन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपनी दलील में सही कहा है कि यदि कोई मानित विश्वविद्यालय सीमाओं के भीतर काम करते हुए नहीं पाया जाता है, तो मानित विश्वविद्यालय के रूप में इसकी मान्यता वापस ली जा सकती है। हमारे विचार में, संबंधित मानित विश्वविद्यालयों ने अपनी सीमा से बहुत आगे बढ़कर बाध्यकारी नीतिगत बयानों का उल्लंघन किया था। यहां तक कि जब उनके पास संबंधित क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं था और इंजीनियरिंग में कोई नियमित संकाय या कॉलेज नहीं था, तब भी वे दूरस्थ शिक्षा माध्यम से छात्रों को प्रवेश देते रहे। जब मूल में कुछ भी नहीं था। यह विस्तार निर्लज्ज उल्लंघन में तृतीयक स्तरों पर किया गया था। विचार क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने का नहीं था, लेकिन प्रयास शुद्ध वाणिज्यिक कोण से निर्देशित प्रतीत होते हैं। इसलिए, हम यूजीसी को इस बात पर विचार करने का निर्देश देते हैं कि क्या संबंधित संस्थानों, जैसे कि जेआरएन, एएआई, आईएएसई और वीएमआरएफ को प्राप्त मानद विश्वविद्यालय का दर्जा ऐसी किसी वापसी की मांग करता है और इस संबंध में जांच करता है। यदि संबंधित मानित विश्वविद्यालय उपरोक्त निर्देशानुसार संबंधित छात्रों को धन वापस करने में विफल रहते हैं, तो इस तरह की कवायद का संचालन करते समय उस कारक को भी ध्यान में रखा जाएगा।

62. वर्तमान मामलों की सुनवाई और विचार के दौरान हमने जो देखा है, उसे भी हमें रिकॉर्ड में रखना चाहिए। यह हमारे संज्ञान में आया है कि कई संस्थान जिन्हें मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है, वे "विश्वविद्यालय" शब्द का उपयोग कर रहे हैं, जो हमारे विचार में यू. जी. सी. अधिनियम की खंड 23 की भावना के विपरीत है। यू. जी. सी. इस तरह की प्रथा को रोकने के लिए उचित कदम उठाएगा।"

21. संक्षेप में, उड़ीसा लिफ्ट सुप्रा में, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि डीम्ड विश्वविद्यालय यानी आईएएसई और जेआरएन दोनों ने उचित अनुमोदन के बिना दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से इंजीनियरिंग में डिग्री प्रदान की है। नीतिगत वक्तव्यों के विरुद्ध कार्योत्तर स्वीकृतियाँ भी प्रदान की गईं और इस प्रकार उन्हें अधिकार क्षेत्र के बिना घोषित किया गया। मानित विश्वविद्यालयों के इस रुख को खारिज कर दिया गया कि वे कानूनी रूप से बिना किसी मंजूरी के इंजीनियरिंग में नए पाठ्यक्रम शुरू कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने विनियामक आवश्यकताओं के पालन की अनिवार्यता पर जोर देते हुए राज्य के कानून के तहत स्थापित विश्वविद्यालयों और यू. जी. सी. अधिनियम के तहत मानित विश्वविद्यालयों के बीच भी अंतर किया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि दोनों मानद विश्वविद्यालय अर्थात आई. ए. एस. ई. और जे. आर. एन. ने दूरस्थ शिक्षा द्वारा से इंजीनियरिंग में डिग्री प्रदान करके ए. आई. सी. टी. ई. के नियमों का उल्लंघन किया है।

21.1 डिप्लोमा/अंडर-ग्रेजुएशन/पोस्ट-ग्रेजुएशन/पीएचडी में (ए) दूरस्थ शिक्षा (बी) ऑफ कैंपस अध्ययन केंद्रों पर (सी) कैंपस अध्ययन केंद्रों पर विभिन्न पाठ्यक्रमों की शुरूआत के संबंध में, सुप्रीम कोर्ट पहले ही इंजीनियरिंग में डिग्री पाठ्यक्रमों की वैधता द्वारा निर्णय ले चुका है और उन्हें अमान्य घोषित कर चुका है। इस प्रकार, इंजीनियरिंग/तकनीकी शिक्षा में डिग्री प्रदान करने के विवाद पर निर्णय लिया जाता है।

22. वर्तमान मामले पर वापस लौटते हैं। यहां विवाद निजी संस्थानों के माध्यम से विश्वविद्यालय शिक्षा में फ़्रेंचाइज़िंग के प्रसार को लेकर है जिसने महत्वपूर्ण चिंताएँ पैदा की हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू. जी. सी.) ने विश्वविद्यालयों और निजी संस्थानों के बीच सहयोग को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश और निर्देश जारी करके इस मुद्दे को संबोधित किया। यू. जी. सी. ने स्पष्ट रूप से आगाह किया कि निजी संस्थानों के साथ सहयोग करने का इरादा रखने वाले किसी भी डीम्ड विश्वविद्यालय को यू. जी. सी. से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा। इसके अलावा, यू. जी. सी. ने विश्वविद्यालयों को परिसर से बाहर निजी शैक्षिक फ्रेंचाइजी स्थापित करने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित कर दिया है जिससे डिग्री प्रदान की जाती है।

23. यह उल्लेखनीय है कि यू. जी. सी. ने मानद विश्वविद्यालय की प्रथाओं के बारे में भी चिंता जताई और इस मामले को दूरस्थ शिक्षा परिषद के ध्यान में लाया। निरीक्षण करने पर, दूरस्थ शिक्षा परिषद ने पाया कि यहां मानित विश्वविद्यालय होने का दावा करने वाले कई अध्ययन केंद्र या तो मौजूद नहीं थे या उनमें शैक्षिक वितरण के लिए उचित बुनियादी ढांचे की कमी थी। नतीजतन, दूरस्थ शिक्षा परिषद ने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपनी मंजूरी को अस्वीकार कर दिया।

24. इसके अलावा, दूरस्थ शिक्षा परिषद की रिपोर्ट के बाद, यू. जी. सी. ने दूरस्थ शिक्षा मोड के तहत संचालित अध्ययन केंद्रों/विस्तार केंद्रों/शैक्षणिक केंद्रों के लिए पूर्वव्यापी अनुमोदन देने में अपनी असमर्थता के बारे में संस्थानों को सूचित किया। इसलिए यू. जी. सी. ने ऐसे सभी केंद्रों को तुरंत बंद करने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

25. यू. जी. सी. ने कुछ मानित विश्वविद्यालयों द्वारा अनधिकृत गतिविधियों को भी देखा, जैसे कि नए पाठ्यक्रम शुरू करना और बिना अनुमोदन के अध्ययन केंद्र स्थापित करना। शिक्षण और अनुसंधान मानकों को बनाए रखने के लिए, यू. जी. सी. ने नए विभागों, परिसर से बाहर के केंद्रों और

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की स्थापना के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। इन दिशानिर्देशों में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों और अध्ययन केंद्रों के लिए दूरस्थ शिक्षा परिषद (डी. ई. सी.) और यू. जी. सी. से विशिष्ट अनुमोदन अनिवार्य थे। यू. जी. सी. ने इस बात पर जोर दिया कि मानद विश्वविद्यालयों के पास अपना स्वयं का संकाय बुनियादी ढांचा होना चाहिए और कॉलेजों या संस्थानों के साथ संबद्ध होने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी व्यवस्था फ्रेंचाइजी का गठन करती है, जिसकी अनुमति नहीं है। यूजीसी ने विश्वविद्यालय शिक्षा में निजी फ्रेंचाइज़िंग को रोकने के अपने निर्देश को दोहराया।

26. इसके बाद, यू. जी. सी. ने नए विभागों और परिसर से बाहर के केंद्रों की स्थापना के लिए दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में मानद विश्वविद्यालयों के साथ संवाद किया। यूजीसी ने एक निश्चित समय सीमा के भीतर डीम्ड विश्वविद्यालयों से बुनियादी ढांचे का विवरण मांगा, और उपलब्ध न कराने पर सार्वजनिक अधिसूचना जारी करने की धमकी दी। यू. जी. सी. ने कुछ मानद विश्वविद्यालयों से संबद्ध अध्ययन केंद्रों के बुनियादी ढांचे और अस्तित्व के बारे में दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा उठाई गई चिंताओं को भी संबोधित किया। आखिरकार, कोई विकल्प नहीं होने के कारण, यू. जी. सी. ने इन विश्वविद्यालयों से संबद्ध अध्ययन केंद्रों की गैर-मान्यता को स्पष्ट करते हुए सार्वजनिक नोटिस जारी किए।

27. बार-बार चेतावनी और निर्देशों के बावजूद, कुछ मानद विश्वविद्यालयों ने अनधिकृत अध्ययन केंद्रों और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन जारी रखा। नतीजतन, यू. जी. सी. ने दूरस्थ शिक्षा परिषद के साथ समन्वय में, गैर-अनुपालन को दूर करने के लिए उपाय किए, जिसमें अध्ययन केंद्रों के लिए पूर्व-कार्योत्तर अनुमोदन से इनकार करना और तत्काल बंद करने की आवश्यकता शामिल थी।

29. जहां तक 9 अगस्त 2005 और 23 अगस्त 2005 के विवादित नोटिस/परिपत्रों को चुनौती देने का संबंध है, यह निरर्थक हो गया है क्योंकि यूजीसी, एआईसीटीई और डी. ई. सी. की एक संयुक्त समिति बनाने के लिए एमओयू निष्पादित होने के बाद 05.11.2007 को दोनों को वापस ले लिया गया था। इस निर्णय का उद्देश्य संस्थानों को संयुक्त समिति से संपर्क करने देना था, जिसका गठन एमओयू के अनुसार किया गया था।

30. दिनांक 29.08.2008 के पत्र के माध्यम से डीईसी द्वारा दी गई कार्योत्तर मंजूरी को ध्यान में रखते हुए, 22.06.2006 15 के अपने जवाबी हलफनामे में केंद्र सरकार (एमएचआरडी) का रुख बहुत स्पष्ट है। बिना कुछ कहे, डीईसी को व्यापक मंजूरी देने के लिए चेतावनी दी गई है। इसे ध्यान में रखते हुए, इस तरह का पूर्व-कार्योत्तर अनुमोदन पूरी तरह से अवैध है और इस प्रकार मान्य नहीं है। शपथ पत्र के प्रासंगिक अंश इस प्रकार हैंः-

> "6. डीईसी ने अपने पत्र दिनांक 29.08.2008 (रिट याचिका के अनुलग्नक-56) के माध्यम से आईएएसई विश्वविद्यालय के उन सभी कार्यक्रमों को पिछली तारीख से मंजूरी दे दी थी, जिन्हें वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित बताया गया था। आईएएसई का. यह अनुमोदन, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह संयुक्त समिति का है, डीईसी द्वारा सूचित किया गया है, निम्नलिखित के कारण कानूनी रूप से मान्य नहीं प्रतीत होता हैः
>
> "(क) आई. ए. एस. ई. संस्थान ने वर्ष 2003 में यू. जी. सी. की मंजूरी के बिना दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया, जो मानित विश्वविद्यालयों के लिए यू. जी. सी. के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। यह यू. जी. सी. द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में भी विफल रहा, जो इसे विश्वविद्यालय घोषित करने वाली अधिसूचना (आर-वी) में दी गई शर्त का उल्लंघन है।

(ख) आई. ए. एस. ई. संस्थान, जो स्वयं सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक पंजीकृत संस्था है, के पास कोई वैधानिक प्राधिकरण नहीं हो सकता है;

(ग) ए. आई. सी. टी. ई. और अन्य व्यावसायिक परिषदों के पास अपने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों में मानकों को बनाए रखने का अधिकार क्षेत्र और कर्तव्य है।

(घ) अतीत में संचालित कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों को मंजूरी नहीं दी जा सकती क्योंकि उनके मानकों के बारे में पता लगाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है;

(ड़) संयुक्त समिति की ओर से अनुमोदन को केवल यूजीसी, एआईसीटीई और डीईसी की मंजूरी के रूप में माना जा सकता है, जब संबंधित वैधानिक प्राधिकरण यानी यूजीसी, एआईसीटीई और डीईसी का शीर्ष निकाय एमओयू को मंजूरी दे देता है और संयुक्त समिति को शक्तियां सौंप देता है। यू. जी. सी. ने ऐसा केवल फरवरी 2008 के महीने (अनुलग्नक आर-III) में किया था, जबकि पूर्व-कार्योत्तर अनुमोदन वर्ष 2007 में दिया गया था।

(च) एआईसीटीई, एक नीति के रूप में, तकनीकी शिक्षा में मानकों को बनाए रखने के लिए जनादेश के साथ एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में, बी.टेक (एम.टेक) बी. ई./एम. ई. डिग्री के लिए दूरस्थ मोड के माध्यम से तकनीकी शिक्षा प्रदान करने का पक्ष नहीं लेता है।"

उपरोक्त स्थिति कानून और तथ्यों की स्थिति के अनुरूप है। इस प्रकार डीईसी द्वारा दी गई कार्योत्तर मंजूरी बिल्कुल भी उचित प्रतीत नहीं होती है।

31. उल्लेखनीय है कि आईएएसई, राजस्थान को 2007-08 के बाद मान्यता नहीं दी गई है, और जेआरएन राजस्थान विद्यापीठ को 2012-13 के बाद दूरस्थ मोड के माध्यम से किसी भी कार्यक्रम की पेशकश के लिए डीईसी या यूजीसी द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। हालांकि, संस्थान अदालत के अंतरिम आदेशों के आधार पर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश करने का दावा करते हैं।

32. आइए आइएआईएएसई की ओर से दायर 23.11.2022 के अतिरिक्त हलफनामे पर भी गौर करें, जिसमें बाद के घटनाक्रमों की रूपरेखा दी गई है: सर्वोच्च न्यायालय ने 2005 के बाद डिस्टेंस लर्निंग मोड के तहत दी गई इंजीनियरिंग डिग्री को अवैध घोषित कर दिया। उल्लेखनीय है कि आई. ए. एस. ई. मानद विश्वविद्यालय ने 2005 तक इंजीनियरिंग की डिग्री प्रदान की थी। इसके अतिरिक्त, जब एआईसीटीई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए विश्वविद्यालय द्वारा दूरस्थ मोड के तहत पेश किए जाने वाले डिप्लोमा पाठ्यक्रमों पर आपत्ति जताई, तो विश्वविद्यालय ने आदेश के स्पष्टीकरण/संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 22.01.2018 में, इस तर्क को स्वीकार कर लिया और उड़ीसा लिफ्ट मामले में फैसले को केवल दूरस्थ शिक्षा मोड के तहत प्रदान की गई इंजीनियरिंग की डिग्री तक सीमित कर दिया, न कि इंजीनियरिंग में डिप्लोमा तक। प्रासंगिक रूप से, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा न तो ओएचसी और न ही पीएचएचसी से पहले विषय वस्तु थे, हालांकि, यूजीसी/डीईसी/डीईबी द्वारा जारी आदेशों/नोटिस में, सभी पाठ्यक्रम/विषय शामिल हैं, चाहे वह डिग्री हो या डिप्लोमा। यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई भी नया पाठ्यक्रम बिना पूर्व अनुमति के शुरू किया जा सकता था?

32.1 यू. जी. सी. की एक समिति ने 4,5 और 6 अप्रैल 2019 को अपनी यात्रा के दौरान आई. ए. एस. ई. के प्रदर्शन और मानित विश्वविद्यालय के दर्जे के लिए मानदंडों की पूर्ति की समीक्षा की। समिति ने

पाया कि आईएएसई ने सभी कमियों को संतोषजनक ढंग से संबोधित किया है और पूरा किया है और सर्वसम्मति से आईएएसई सरदारशहर, चूरू, राजस्थान के लिए डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा जारी रखने की सिफारिश की है।

32.2 13 जून 2019 को आयोजित 541वीं बैठक में समिति पर भरोसा जताया गया, जिसमें अनुसंधान और प्रकाशनों और नवाचारों की गुणवत्ता में सुधार के लिए संस्थान की कार्य योजना प्राप्त करने के बाद मामले पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया गया।

32.3 28 जून 2019 को, यूजीसी ने विश्वविद्यालय के कामकाज की समीक्षा के संबंध में आईएएसई के कुलपति को एक पत्र भेजा, जिसमें अनुसंधान और प्रकाशनों और नवाचारों की गुणवत्ता में सुधार के संबंध में अनुपालन का फिर से अनुरोध किया गया।

32.4 9 सितंबर 2020 को 548वीं बैठक में यह माना गया कि आईएएसई की अवधारणा एक ग्रामीण विश्वविद्यालय के रूप में की गई है, जो शिक्षा, हिंदी, इतिहास, जीवन विज्ञान, भूगोल, प्रबंधन, आयुर्वेद जैसी स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों और मूल्य-आधारित शिक्षा में पाठ्यक्रम पेश करता है। यूजीसी/आयोग ने आईएएसई, सरदारशहर की ग्रामीण कल्याण गतिविधियों, छात्रों और शिक्षकों के ग्रामीण अनुभव को ध्यान में रखते हुए इसके लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा जारी रखने की सिफारिश की और आईएएसई से नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम/विभाग/संकाय/स्कूल शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

32.5 सितंबर 2020 में, यू. जी. सी. ने भारत सरकार के उप सचिव को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीस इन एडुकेशन द्वारा शुरू किए गए पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों और आई. ए. एस. ई. सरदारशहर के लिए मानित विश्वविद्यालय का दर्जा जारी रखने के संबंध में

यू. जी. सी. द्वारा की गई सिफारिशों और अनुमोदनों के बारे में सूचित किया गया।

32.6 अतिरिक्त हलफनामे (उपरोक्त) में उपरोक्त कथन डीटीयू के रूप में जारी रखने के लिए आईएएसई की साख पर जोर दे रहा है। मौजूदा मामले में जो चुनौती दी जा रही है वह डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली दूरस्थ शिक्षा है न कि डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में इसकी स्थिति को जारी रखना। इसलिए, इस बात पर जोर देने का कोई महत्व नहीं है कि बाद में यू. जी. सी. की सिफारिशें इसे डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में जारी रखने की अनुमति देने के लिए अनुकूल हैं।

33. एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर प्रकाश डाला जाना चाहिए वह है करतार सिंह बनाम भारत संघ, 2012 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 21066 नामक जनहित याचिका में डीबी फैसले के बाद इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करके दोनों संस्थानों द्वारा की गई छुपाव। उपरोक्त जनहित याचिका में उनकी संलिप्तता के बारे में पूरी तरह से अवगत होने के बावजूद, जिसमें पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय ने दूरस्थ शिक्षा द्वारा से प्राप्त इंजीनियरिंग डिग्री को अमान्य घोषित कर दिया था, उन्होंने इस जानकारी का खुलासा किए बिना रिट याचिकाएं दायर करना जारी रखा। इस जानबूझकर भ्रामक आचरण के कारण अंतरिम आदेश जारी किए गए, जिससे नामांकित छात्रों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण उथल-पुथल हुई।

33.1. अंतरिम आदेशों से मजबूत होकर, संस्थानों ने यह दावा करके अपने कार्यों का बचाव करने का प्रयास किया है कि इन आदेशों के संरक्षण के तहत प्राप्त डिप्लोमा और डिग्री पूरी तरह से कानूनी हैं और समानता और न्याय के नाम पर इस स्तर पर हस्तक्षेप से प्रतिरक्षित हैं। हालाँकि, मैं खुद को इस तरह के कमजोर बचाव से असहमत पाता हूँ, विशेष रूप से नियामक निकायों द्वारा उन्हें जारी की गई कई सावधानियों/नोटिस चेतावनियों पर विचार करते हुए, ऐसे पाठ्यक्रमों को शुरू करने से पहले

नियमों और अनुमोदनों के अनुपालन की आवश्यकता होती है। इस बचाव में किसी भी कानूनी औचित्य का अभाव है और इसलिए इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए।

33.2. किसी भी मामले में, इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के आधार पर पारंपरिक नए पाठ्यक्रमों के साथ-साथ दूरस्थ शिक्षा मोड दोनों के माध्यम से नए पाठ्यक्रमों को जारी रखने के तर्क/बचाव को उड़ीसा लिफ्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम रबी शंकर पात्रो 2018 (1) एससीसी 468 के प्रकाश में आवश्यक रूप से खारिज कर दिया जाना चाहिए, जिसका प्रासंगिक भाग यहां नीचे दिया गया है:-

> "44.14. इसी तरह का मामला 17-11-2015 1 और 15-9-2016 2 के अंतरिम आदेशों के संबंध में है। इस प्रकार, जे. आर. एन. अंतरिम आदेशों के बल पर उपरोक्त नीतिगत बयानों के बावजूद छात्रों को प्रवेश देना जारी रख सकता है।
>
> 44.15. इस अवधि के दौरान, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 6-11-2012 3 के निर्णय द्वारा से पहले ही दूरस्थ शिक्षा मोड द्वारा से मानित विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई इंजीनियरिंग में डिग्री को अमान्य घोषित कर दिया था।
>
> उस फैसले के खिलाफ छात्रों और आई. ए. एस. ई. ने अपील की थी लेकिन जे. आर. एन. ने नहीं। किसी भी मामले में, इस न्यायालय के अंतरिम आदेश ने केवल उन संबंधित छात्रों को संरक्षित किया जिनकी डिग्री अमान्य हो गई थी।
>
> 44.16. यदि एक उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26-11-2013, 17-11-2015 और 15-9-2016 के अंतरिम आदेश देश भर में दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से इंजीनियरिंग में डिग्री के लिए

पाठ्यक्रमों का संचालन जारी रखने का औचित्य बन सकते हैं, तो 6-11-2013 को एक अन्य उच्च न्यायालय द्वारा जारी अंतिम घोषणा और पहले संदर्भित नीतिगत बयानों में अधिक बाध्यकारी शक्ति थी।"

34. पूर्ववर्ती में मेरी चर्चा के परिणाम के रूप में, संस्थानों द्वारा किए गए निष्कर्षों/उल्लंघनों का सारांश यहां दिया गया हैः-

(i) यह पूरी जानकारी होने के बावजूद कि डीम्ड विश्वविद्यालयों के छात्रों की पात्रता यू. जी. सी. के दिशानिर्देशों और निर्देशों के अनुपालन पर निर्भर है, दोनों संस्थान खंड 3 के तहत जारी अधिसूचनाओं में उल्लिखित इन नियमों का पालन करने में विफल रहे।

(ii) दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने के लिए संस्थानों के बोर्ड/प्रबंधन द्वारा पारित प्रस्ताव केवल प्रारंभिक कदम थे, जिनके लिए नियामक निकायों से आगे की मंजूरी की आवश्यकता थी। ये संकल्प, स्वभाव से स्व-सेवारत होने के कारण, डीम्ड विश्वविद्यालयों को ऐसे कार्यक्रम शुरू करने का अधिकार नहीं देते थे।

(iii) राजस्थान सरकार के तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्र की कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि इसमें केवल यह कहा गया है कि नए संकायों को शुरू करने के लिए राज्य सरकार से किसी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की आवश्यकता नहीं थी। राज्य सरकार, जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, एक नियामक निकाय नहीं है, और उस समय यू. जी. सी./डी. ई. सी. से अनुमोदन आवश्यक था।

(iv) नए पाठ्यक्रम शुरू करने का एकमात्र बचाव संस्थानों द्वारा यूजीसी को स्वयंभू पत्र थे, जिसमें उन्हें केवल नए संकायों को शामिल करने की सूचना दी गई थी।

(v) डी. ई. सी., यू. जी. सी. द्वारा जारी किए गए कई चेतावनी पत्रों और उनकी वेबसाइटों पर सार्वजनिक नोटिसों का घोर उल्लंघन है, जिसमें बिना पूर्व अनुमोदन के नए पाठ्यक्रम, दूरस्थ शिक्षा शुरू करने या परिसर से बाहर अध्ययन केंद्र स्थापित करने के खिलाफ सलाह दी गई है।

(vi) यू. जी. सी. और डी. ई. सी. द्वारा संस्थानों को लिखे गए पत्र, जिनमें उन्हें पूर्व-कार्योत्तर रूप से देर से लागू करने के लिए कहा गया है, को अधिकार क्षेत्र क्षेत्र से परे माना जाता है। यू. जी. सी. के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि इस तरह की अनुमति दूरस्थ शिक्षा शुरू करने या परिसर से बाहर अध्ययन केंद्र स्थापित करने के छह महीने के भीतर ही दी जा सकती है।

(vii) यह प्रदर्शित करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि दोनों संस्थानों में शुरू किए गए नए पाठ्यक्रमों में आवश्यक संकाय या विशेषज्ञता थी, या कि परिसर के बाहर अध्ययन केंद्र सीधे उनके द्वारा संचालित थे। डिग्री/डिप्लोमा के वितरण के लिए आउटसोर्सिंग या फ्रेंचाइजी द्वारा से प्रतिष्ठानों की स्थापना की गई थी।

(viii) उल्लंघन की सीमा इस तथ्य से स्पष्ट है कि बिना अनुमोदन के दूरस्थ शिक्षा शुरू करने के एक या दो साल के भीतर, दोनों संस्थान पूरे भारत में 500-600 अध्ययन केंद्र होने का दावा करते हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि इतना विशाल नेटवर्क कैसे स्थापित किया गया था, जो निरीक्षण में एक महत्वपूर्ण चूक का संकेत देता है।

(ix) 2010 में यू. जी. सी. के दिशानिर्देशों की शुरुआत के बाद, मानित विश्वविद्यालयों को दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, चाहे वह सामान्य हो या तकनीकी।

(x) केवल पारंपरिक कक्षा शिक्षा द्वारा से इन संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए डिप्लोमा, कार्यक्रम और डिग्री, पूर्व अनुमति के साथ, मान्य माने जाते हैं।

(xi) एक अन्य उल्लंघन 1985 के यू. जी. सी. विनियमों के संबंध में है, जो विभिन्न संकायों में औपचारिक शिक्षा के लिए न्यूनतम मानकों को निर्धारित करता है। अभिलेख इंगित करते हैं कि संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा का तरीका और तरीका शिक्षण दिनों की न्यूनतम संख्या या निर्दिष्ट समय सीमा के संबंध में इन मानदंडों को पूरा नहीं करता था।

निष्कर्ष -

35. अभिमत विश्वविद्यालयों के संचालन की जांच एक खतरनाक प्रवृत्ति को सामने लाती हैः शिक्षा का व्यावसायीकरण। मौजूदा मामले के निष्कर्षों से रेखांकित यह घटना इस बात पर प्रकाश डालती है कि लाभ के लिए शैक्षणिक मानकों की पवित्रता और विश्वसनीयता से किस हद तक समझौता किया जा रहा है। विचाराधीन मामला न केवल इन संस्थानों द्वारा नियोजित आक्रामक फ्रेंचाइजी रणनीतियों का खुलासा करता है, बल्कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू. जी. सी.) जैसे निकायों द्वारा नियामक निरीक्षण में महत्वपूर्ण खामियों का भी खुलासा करता है। इस तरह के व्यावसायीकरण के निहितार्थ, शैक्षिक उत्कृष्टता और योग्यता का क्षरण, और स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और सुधारने में यूजीसी की स्पष्ट विफलता के लिए आगे बढ़ने के लिए गंभीर विचार-मंथन की आवश्यकता है।

35.1 शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने या पर्याप्त बुनियादी ढांचा और संकाय प्रदान करने के लिए उचित ध्यान दिए बिना पाठ्यक्रमों और डिग्री का प्रसार, इस बात का एक स्पष्ट उदाहरण प्रदान करता है कि कैसे मानित विश्वविद्यालयों ने इस वाणिज्यिक क्षेत्र में प्रवेश किया है, परिसर के बाहर अध्ययन केंद्र स्थापित किए हैं और आवश्यक अनुमोदन या बुनियादी ढांचे के बिना दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश की है।

35.2 जब संस्थान शिक्षाशास्त्र पर लाभ को प्राथमिकता देते हैं, तो शिक्षा की गुणवत्ता अनिवार्य रूप से प्रभावित होती है। छात्रों को ऐसी डिग्रियाँ प्रदान की जाती हैं जिनकी पेशेवर दुनिया में मान्यता कम हो सकती है, जिससे उनकी भविष्य की संभावनाएँ कमज़ोर हो सकती हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रदान की जाने वाली डिग्रियों की विश्वसनीयता संदिग्ध है, जिससे देश में उच्च शिक्षा की वैधता पर संकट मंडरा रहा है। मानकों का यह क्षरण न केवल इन कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों को प्रभावित करता है बल्कि एसोसिएशन द्वारा प्रतिष्ठित संस्थानों से डिग्री के मूल्य को भी कम करता है।

35.4 एक व्यावसायिक वस्तु के बजाय सशक्तिकरण के एक उपकरण के रूप में शिक्षा की पवित्रता की पुष्टि करना, देश के शैक्षिक परिदृश्य के भविष्य के लिए आवश्यक है। जैसे-जैसे समाज इन चुनौतियों से जूझ रहा है, ऐसे उपायों को अपनाना अनिवार्य हो जाता है जो एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देते हैं जहां योग्यता और उत्कृष्टता लाभ के उद्देश्यों से निर्बाध रूप से पनप सकती है।

36. विश्वविद्यालय की डिग्री प्रदान करना अकादमिक प्रयासों की एक औपचारिक परिणति से कहीं अधिक है; यह अध्ययन के चुने हुए क्षेत्र में विशिष्ट स्तर की विशेषज्ञता और ज्ञान प्राप्त करने का एक प्रमाण है। विश्वविद्यालय की डिग्री का आंतरिक और सामाजिक मूल्य भी रोजगार के लिए प्रमाण पत्र के रूप में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक विश्वविद्यालय की डिग्री एक ठोस प्रमाण के रूप में कार्य करती है कि एक व्यक्ति ज्ञान के एक विशिष्ट क्षेत्र के भीतर जटिल अवधारणाओं को सीखने, समझने और लागू करने की एक कठोर प्रक्रिया में लगा हुआ है। इस तरह के कार्यक्रम का पूरा होना छात्र के समर्पण, बौद्धिक क्षमता और दृढ़ता की पुष्टि करता है।

36.1 विश्वविद्यालय की डिग्री व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास दोनों की आधारशिला है। यह उपलब्धि का एक चिह्न है जो अवसरों के द्वार खोलता है, धारक को एक निश्चित दर्जा प्रदान करता है, और समाज को व्यक्ति की क्षमताओं का आश्वासन देता है। इस प्रकार, विश्वविद्यालय की डिग्री का महत्व उस चर्मपत्र से कहीं अधिक है जिस पर वह मुद्रित होती है; यह एक आजीवन संपत्ति है जो व्यक्ति के भविष्य को आकार देती है और समाज की उन्नति में योगदान देती है। इसलिए इन डिग्रियों की अखंडता और मूल्य सुनिश्चित करना न केवल डिग्री धारकों के लाभ के लिए बल्कि समाज के सामूहिक हित और कल्याण के लिए भी सर्वोपरि है।

37. जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने ओ. एल. सी. एल. में कहा कि स्थिति डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए प्रभावी निरीक्षण और नियामक तंत्र की स्पष्ट कमी को प्रकाश में लाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि यू. जी. सी., जिसे भारत में उच्च शिक्षा के मानकों को बनाए रखने का काम सौंपा गया है, अपनी जिम्मेदारियों में विफल रहा है। कठोर निरीक्षणों की अनुपस्थिति और अध्ययन केंद्रों पर सुविधाओं की जांच करने में विफलता ने ऐसी स्थिति पैदा की जहां 2001-2005 तक शैक्षणिक सत्रों के लिए इंजीनियरिंग डिग्री को निलंबित या रद्द करना पड़ा। इस प्रकार सुधार की आवश्यकता स्पष्ट है। इसके लिए मौजूदा दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है।

37.1. निष्कर्ष के रूप में, जो बात सामने आती है वह यह है कि मानित विश्वविद्यालय द्वारा न केवल विभिन्न कार्यक्रमों/धाराओं में डिग्री/डिप्लोमा प्रदान करने वाले परिसर अध्ययन केंद्रों की स्थापना में घोर उल्लंघन हुए हैं, बल्कि नए पाठ्यक्रम शुरू करने और दूरस्थ शिक्षा शुरू करने के लिए पूर्व अनुमोदन की अनिवार्य आवश्यकता का भी पालन नहीं किया गया है। किसी भी परिस्थिति में कानूनी परिणामों से बचने के लिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है या इसकी गहरी थाह नहीं ली जा

सकती है। डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली ऐसी सभी डिग्रियों को अमान्य और गैर-मान्यता प्राप्त घोषित किया जा सकता है।

दिशा-निर्देश

38. अनुमोदन की कमी के कारण उल्लंघन आज भी जारी है, और मेरा मानना है कि आगे नुकसान से बचने के लिए सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। आइए अब हम उन उपचारात्मक उपायों की ओर मुड़ें जो इनमें से किसी भी संस्थान द्वारा आगे की शरारत को तुरंत रोकने के लिए तत्काल आवश्यक हैं। तदनुसार, ऐसा करने के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं:-

38.1 एमएचआरडी, यूजीसी, इग्नू और पूर्ववर्ती डीईसी और बाद में डीईबी द्वारा जारी किए गए सभी आक्षेपित आदेश, पत्र और संचार को कानूनी और वैध घोषित किया जाता है। प्रतिवादियों को उनके तार्किक निष्कर्ष तक इन आदेशों/पत्रों के अनुसार आगे की कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं पर दी गई अंतरिम रोक, जिसने ऐसे संचार और पत्रों के संचालन और प्रभाव को रोक दिया था, सभी याचिकाओं में तुरंत हटा दी गई हैं।

38.2 सभी डिप्लोमा और डिग्रियां, चाहे स्नातक, स्नातक, या पीएचडी, नए पाठ्यक्रमों में विशिष्ट अनुमोदन के बिना या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पेश किए गए, डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने के समय मौजूद लोगों के अलावा, अमान्य और गैर-मान्यता प्राप्त घोषित किए जाते हैं।

38.3 नतीजतन, उपरोक्त निर्देश के अनुसार, पहले से मौजूद या मौजूदा पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में दी जाने वाली डिग्री को छोड़कर सामान्य शिक्षा में सभी डिप्लोमा और डिग्री को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है।

38.4 निलंबन की अवधि के दौरान, यू. जी. सी. को उन छात्रों के लिए नई परीक्षा आयोजित करने के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है जिनकी डिग्री उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए निलंबित कर दी गई है। कदम उचित समय के भीतर उठाए जाने चाहिए लेकिन एक वर्ष से अधिक बाद नहीं।

38.5 आई. ए. एस. ई. और जे. आर. एन. दोनों संस्थानों को बिना पूर्व अनुमोदन के नए गैर-अनुमोदित पाठ्यक्रमों, परिसर के बाहर अध्ययन केंद्रों या बिना अनुमोदन के दूरस्थ शिक्षा में नामांकित छात्रों से ली गई पूरी राशि वापस करनी होगी।

38.6 यू. जी. सी. छात्रों के लिए परीक्षाओं को पास करने के लिए समय सीमा निर्धारित करेगा। इस समय सीमा के भीतर उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के डिप्लोमा और डिग्री को बहाल/पुनर्जीवित किया जाएगा।

38.7 संबंधित संस्थानों को इस प्रक्रिया में किए गए सभी खर्चों के लिए यू. जी. सी. को अग्रिम रूप से प्रतिपूर्ति करनी चाहिए।

38.8 जब तक छात्र नई परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं हो जाते, तब तक उनके डिप्लोमा और डिग्री के आधार पर प्राप्त कोई भी लाभ भी निलंबित रहेगा। हालांकि, नियोक्ताओं को इन डिप्लोमा और डिग्री के आधार पर नियोजित उम्मीदवारों को प्रदान किए गए मौद्रिक लाभ या अन्य लाभों की वसूली करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। यूजीसी द्वारा आयोजित/आयोजित की जाने वाली परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहने पर, परिणाम भुगतने होंगे लेकिन नियोक्ताओं द्वारा तब भी कोई धन वसूली नहीं की जाएगी।

38.9 आई. ए. एस. ई. और जे. आर. एन. दोनों संस्थानों को यू. जी. सी. द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के लिए आगामी शैक्षणिक सत्रों के लिए अपनी वेबसाइटों पर कोई भी नामांकन या प्रवेश जानकारी प्रदर्शित करना तुरंत बंद

कर देना चाहिए। यह दूरस्थ शिक्षा द्वारा से नामांकन या प्रवेश पर भी लागू होता है यदि पहले से ही बंद नहीं किया गया है।

38.10 दोनों संस्थानों को अपने परिसर से बाहर के अध्ययन केंद्रों को तुरंत बंद कर देना चाहिए और जब तक पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक कक्षा या दूरस्थ मोड द्वारा से पाठ्यक्रमों की पेशकश बंद कर देनी चाहिए।

38.11 दोनों संस्थानों को पारंपरिक कक्षा कोचिंग द्वारा से परिसर में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों के अलावा अन्य पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश आयोजित करने से प्रतिबंधित किया गया है, और केवल डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने के समय पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों के लिए।

राहत

39. तत्काल संदर्भ के लिए, इस समूह की प्रत्येक याचिका में वर्तमान अंतरिम स्थिति वाले दो संस्थानों और उसके छात्रों द्वारा मांगी गई राहत नीचे दी गई है:

क्रमांक	केस संख्या और शीर्षक	राहत	वर्तमान स्थिति
1	7267-2005 आईएएसई बनाम यूओआई और अन्य	डीईसी और यूजीसी द्वारा क्रमशः जारी दिनांक 27.06.2005 (अनुलग्नक-35) और दिनांक 17.11.2005 (अनुलग्नक-52) के संचार/आदेशों के विरुद्ध, जिसके तहत संस्थान के शैक्षणिक कार्यक्रमों को	दिनांक 19.12.2005 के एक अंतरिम आदेश के तहत, दिनांक 27.06.2005 और 17.11.2005 के आदेश के प्रभाव पर रोक लगा दी गई थी

		मंजूरी नहीं देने का निर्णय लिया गया था।	
2	5372-2008 आईएएसई बनाम यूओआई और अन्य	यूजीसी द्वारा जारी संचार दिनांक 12.05.2008 (अनुलग्नक-64 और 65) के विरुद्ध, जिसके तहत यह निर्णय लिया गया था कि पूर्वव्यापी अनुमोदन की समीक्षा संयुक्त समिति द्वारा की जानी है और इसे पाठ्यक्रमों को प्रदान किया जाना है, न कि संस्थान को।	दिनांक 15.09.2008 के एक अंतरिम आदेश के तहत, दिनांक 12.05.2008 के आदेश का प्रभाव रोक दिया गया था
3	9695-2008 जेआरएन बनाम यूओआई और अन्य	यू. जी. सी. द्वारा दिनांकित 12.05.2008 पत्र के विरुद्ध (अनुलग्नक-18) जिसके तहत यह निर्णय लिया गया कि कार्योत्तर अनुमोदन की समीक्षा संयुक्त समिति द्वारा की जानी है और यह पाठ्यक्रमों को दी जानी है न कि संस्थान को।	दिनांक 16.12.2008 के अंतरिम आदेश के तहत, दिनांक 12.05.2008 के आदेश के प्रभाव पर रोक लगा दी गई
4	4761-2009 आईएएसई बनाम यूओआई और अन्य	एमएचआरडी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 17.04.2009 (अनुलग्नक-67) के विरुद्ध आईएएसई को तथ्यान्वेषी टीम के निष्कर्षों/ टिप्पणियों पर अपना स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने और कारण	दिनांक 03.06.2009 के अंतरिम आदेश के तहत दिनांक 17.04.2009 के नोटिस के प्रभाव पर रोक लगा दी गई

		बताने के लिए कहा गया था कि अधिसूचना दिनांक 25.06. 2002 में आईएएसई को "मानित विश्वविद्यालय" घोषित करने को विभिन्न शर्तों का उल्लंघन करने पर क्यों वापस नहीं लिया जाए।	
5	6155-2009 आईएएसई बनाम यूओआई और अन्य	यू. जी. सी. द्वारा पारित दिनांक 14.05.2009 (अनुलग्नक-40) के आदेश के विरुद्ध जिसमें आई. ए. एस. ई. को संयुक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए कहा गया था।	दिनांक 29.07.2009 के अंतरिम आदेश के तहत, दिनांक 14.05.2009 के आदेश के प्रभाव पर रोक लगा दी गई
6	9754-2012 आईएएसई बनाम यूओआई और अन्य	यू. जी. सी./ए. आई. सी. टी. ई./डी. ई. सी. की संयुक्त समिति द्वारा 03.09.2007 (अनुलग्नक-8) पर आयोजित अपनी तीसरी बैठक में की गई सिफारिश को प्रभावी बनाने और आई. ए. एस. ई. द्वारा वर्ष 2005-06 से वर्तमान शैक्षणिक सत्र तक संचालित पाठ्यक्रमों को मंजूरी देने के लिए निर्देश की मांग करना।	कोई रोक नहीं
7	13900-2013 जे.	डी. ई. बी. द्वारा जारी दिनांक 19.08.2013 (अनुलग्नक-	दिनांक 26.11.2013 के अंतरिम आदेश के

	आर. एन. बनाम डी. ई. यू. और अन्य	33) के एक पत्र के विरुद्ध जिसमें आई. ए. एस. ई. को अपने कार्यक्रमों की मान्यता के लिए एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।	अनुसार, दिनांक 19.08.2013 के पत्र के विरुद्ध रोक स्वीकृत
8	5194-2014 जे. आर. एन. बनाम डी. ई. यू. और अन्य.	यूजीसी द्वारा जारी दिनांक 30.04.2014 के एक पत्र (अनुलग्नक-33) के विरुद्ध, जिसके तहत विश्वविद्यालय को शैक्षणिक सत्र 2013-14 के बाद दूरस्थ शिक्षा मोड में कार्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता जारी रखने की अनुमति नहीं दी गई थी।	दिनांक 17.07.2014 के अंतरिम आदेश के तहत दिनांक 30.04.2014 के आदेश के प्रभाव पर रोक लगा दी गई
9	5531-2015 आई ए एस ई बनाम यूओआई और अन्य	डीईबी द्वारा जारी दिनांक 11.03.2015 (अनुलग्नक-47) के एक सार्वजनिक नोटिस के खिलाफ, जिसके तहत आईएएसई को दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा और अन्य पाठ्यक्रमों की पेशकश करने से रोक दिया गया था।	26.05.2015 के अंतरिम आदेश अनुसार, 11.03.2015 की सार्वजनिक सूचना के प्रभाव पर रोक
10	7419-2015 जेआरएन बनाम	डी. ई. बी. द्वारा जारी दिनांक 11.03.2015 (अनुलग्नक-1) के आदेश के विरुद्ध जिसमें यह निर्णय	दिनांक 16.07.2015 के आदेश के तहत

	यूजीसी और अन्य	लिया गया थाः - 1). यू. जी. सी. विनियम, 2014 को अंतिम रूप दिए जाने तक किसी भी विश्वविद्यालय को एम. बी. ए. और एम. सी. ए. के अलावा इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रम की पेशकश नहीं करनी चाहिए। 2) उन विश्वविद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई करें जो ओडीएल मोड में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में पेशेवर पाठ्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। 3). विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित ओ. डी. एल. कार्यक्रमों के लिए पूर्व-कार्योत्तर अनुमोदन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करना। और, डी. ई. बी. द्वारा जारी आदेश दिनांक 04.06.2015 (अनुलग्नक-2) के खिलाफ, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि उच्च शिक्षा के गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान से ओ. डी. एल. मोड द्वारा से प्राप्त योग्यता को न तो सरकारी सेवा में रोजगार के उद्देश्य से मान्यता दी जाएगी और न ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए।	दिनांक 11.03.2015 और 04.06.2015 के आदेशों के प्रभाव पर रोक लगा दी गई।
11	8832-2015	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की	कोई रोक नहीं

	जेआरएन बनाम यूओआई और अन्य	सूची में जेआरएन को शामिल न करने की यूजीसी की कार्रवाई के खिलाफ (अनुलग्नक-36) जेआरएन द्वारा संचालित मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए, खुले और दूरस्थ शिक्षा के संबंध में नियमों को अंतिम रूप न देने के लिए।	
12	10310-2016 जेआरएन बनाम यूओआई और अन्य	शैक्षणिक सत्र 2016-17 से मान्यता के लिए जेआरएन के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने और खुले और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की सूची में जेआरएन को शामिल नहीं करने के प्रतिवादी यूजीसी की कार्रवाई के खिलाफ।	दिनांक 15.09.2016 के न्यायालय आदेश के तहत रोक की अनुमति दी गई
13	13467-2018 नरेश कुमार बनाम एम. जी. एस. यू.	आईएएसई से गैर-मान्यता प्राप्त एमए डिग्री होने के कारण याचिकाकर्ता के बीएड प्रथम वर्ष दिनांक 29.07.2018 (अनुलग्नक-11) के परिणाम को रोकने की प्रतिवादी विश्वविद्यालय की कार्रवाई के खिलाफ। (एम.ए. इतिहास-2017)	रोक याचिका दिनांक 10.05.2019 के आदेश द्वारा स्वीकृत
14	3051-2019 सुनीता चौधरी बनाम एम. जी. एस. यू	याचिकाकर्ता के बीएड प्रथम वर्ष की परीक्षा, 2018 का परिणाम घोषित नहीं करने और आईएएसई से गैर-मान्यता प्राप्त बीए डिग्री होने के कारण उसे बीएड पार्ट- II में प्रवेश की अनुमति नहीं देने की	कोई रोक नहीं

		प्रतिवादी विश्वविद्यालय की कार्रवाई के खिलाफ। (बी.ए.-2014)	
15	5896-2019 रामनिवास बनाम एम. जी. एस. यू.	प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा पारित दिनांक 16.04.2019 (अनुलग्नक-6) के एक आदेश के खिलाफ, जिसके तहत उसने आईएएसई से गैर-मान्यता प्राप्त बीए डिग्री होने के कारण एलएलबी पाठ्यक्रम के लिए याचिकाकर्ता का नामांकन रद्द कर दिया। (बी.ए.-2017)	दिनांक 01.05.2019 के अंतरिम आदेश के तहत दिनांक 16.04.2019 के आदेश के संचालन पर रोक लगा दी गई
16	5899-2019 राजू राम बनाम एम. जी. एस. यू.	प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा पारित दिनांक 15.04.2019 (अनुबंध-11) के आदेश के खिलाफ, जिसके तहत उसने आईएएसई से गैर-मान्यता प्राप्त बीए डिग्री होने के कारण बीएड पाठ्यक्रम के लिए याचिकाकर्ता का नामांकन रद्द कर दिया।	दिनांक 26.04.2019 के अंतरिम आदेश के तहत दिनांक 15.04.2019 के आदेश के संचालन पर रोक लगा दी गई
17	5905-2019 सुमन बनाम एमजीएसयू	प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा पारित दिनांक 15.04.2019 (अनुलग्नक - 10) के एक आदेश के खिलाफ, जिसके तहत उसने आईएएसई से गैर-मान्यता प्राप्त बीए डिग्री होने के कारण बीएड पाठ्यक्रम के लिए याचिकाकर्ता का नामांकन रद्द कर दिया। (बी.ए.-2015)	दिनांक 26.04.2019 के अंतरिम आदेश के तहत दिनांक 15.04.2019 के आदेश के प्रभाव पर रोक लगा दी गई

18	6111-2019 रेखा पांडिया बनाम एम. जी. एस. यू	प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा पारित दिनांक 16.04.2019 (अनुलग्नक-9) के एक आदेश के खिलाफ, जिसके तहत उसने आईएएसई से गैर-मान्यता प्राप्त बीए डिग्री होने के कारण बीएड पाठ्यक्रम के लिए याचिकाकर्ता का नामांकन रद्द कर दिया। (बी.ए.-2017)	दिनांक 02.05.2019 के एक अंतरिम आदेश के तहत, दिनांक 16.04.2019 के आदेश के संचालन पर रोक लगा दी गई थी।
19	6352-2019 नारायण राम तांडी बनाम राज्य	प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा पारित दिनांक 15.04.2019 (अनुलग्नक-3) के एक आदेश के खिलाफ, जिसके तहत उसने आईएएसई से गैर-मान्यता प्राप्त बीए डिग्री होने के कारण बीएड पाठ्यक्रम के लिए याचिकाकर्ता का नामांकन रद्द कर दिया। (बी.ए.-2017)	दिनांक 08.05.2019 के अंतरिम आदेश के तहत दिनांक 15.04.2019 के आदेश के प्रभाव पर रोक लगा दी गई
20	6455-2019 मोनिका बनाम एम. जी. एस. यू	प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा पारित दिनांक 30.04.2019 (अनुलग्नक-10) के एक आदेश के खिलाफ, जिसके तहत उसने आईएएसई से गैर-मान्यता प्राप्त बीए डिग्री होने के कारण बीएड पाठ्यक्रम के लिए याचिकाकर्ता का नामांकन रद्द कर दिया। (बी.ए.-2017)	दिनांक 09.05.2019 के अंतरिम आदेश के तहत दिनांक 30.04.2019 के आदेश के प्रभाव पर रोक लगा दी गई
21	6596-2019	प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा पारित	दिनांक

	महावीरगर गोस्वामी बनाम राज्य	आदेश दिनांक 15.04.2019 और 16.04.2019 (अनुलग्नक -4, कॉली) के खिलाफ, जिसके तहत उसने आईएएसई से गैर-मान्यता प्राप्त एमए डिग्री होने के कारण बीएड पाठ्यक्रम के लिए याचिकाकर्ता का नामांकन रद्द कर दिया। (एम.ए. अंग्रेजी-2017)	14.05.2019 के अंतरिम आदेश के तहत दिनांक 15.04.2019 के आदेश के प्रभाव पर रोक लगा दी गई
22	4086-2020 प्रताप राम बनाम राज्य	प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा पारित दिनांक 02.03.2020 (अनुलग्नक-7) के एक आदेश/संचार के खिलाफ, जिसके तहत उसने आईएएसई से गैर-मान्यता प्राप्त बीए डिग्री होने के कारण बीएड पाठ्यक्रम के लिए याचिकाकर्ता का नामांकन रद्द कर दिया। (बी.ए.-2017)	दिनांक 22.07.2020 के अंतरिम आदेश के तहत दिनांक 02.03.2020 के आदेश के प्रभाव पर रोक लगा दी गई
23	13575-2021 अनीता राठोड़ बनाम राज्य	प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिनांक 15.09.2021 (अनुलग्नक.16) के एक आदेश/संचार के विरुद्ध, जिसके तहत याचिकाकर्ता का परीक्षा फॉर्म आईएएसई से गैर-मान्यता प्राप्त बी कॉम डिग्री होने के कारण रद्द कर दिया गया था। (बी.कॉम- 2018)	दिनांक 29.09.202 के अंतरिम आदेश के तहत दिनांक 15.09.2021 के आदेश के प्रभाव पर रोक लगा दी गई

39.1 उपरोक्त तालिका के संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी रिट याचिकाओं का निपटान पहले से ही गणना किए गए निर्देशों के साथ किया

जाता है, और यहां जारी किए गए सभी आदेशों/निर्देशों/संचार/कारण बताएँ नोटिसों को तार्किक निष्कर्ष का पालन करने के लिए परिणाम के साथ बरकरार रखा जाता है और इस न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश सभी तुरंत निरस्त किए जाते हैं।

40. सभी लंबित आवेदनों का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा), जे.

क्या रिपोर्ट करने के लिए उपयुक्त हैः हाँ/नहीं

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक

एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।